लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14—गुरुवार, 6 मार्च, 1975/15 फाल्गुन, 1896 (शक)
No. 14—*Thursday March* 6, 1975/*Phalguna* 15, 1896 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों क मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:	
*तारांकित प्रश्न संख्या 243, 245, 246, 252 और 257 से 259	*Starred Question Nos. 243 245, 246, 252 and 257 to 259. . .	2–9
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	Short Notice Question No 2	10–18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:	
तारांकित प्रश्न संख्या 242, 244, 247 से 251, 253 से 256 और 260	Starred Question Nos. 242, 244, 247 to 251, 253 to 256 and 260 .	19–25
अतारांकित प्रश्न संख्या 2391 से 2413; 2415 से 2422 2424 से 2502, 2504 से 2551 और 2553 से 2558	Unstarred Question Nos. 2391 to 2413, 2415 to 2422, 2424 to 2502, 2504 to 2551 and 2553 to 2558. . . .	25–109
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper laid on the Table	109–112
नियम 377 के अन्तर्गत मामला (ग्रिण्डले'स बैंक के कर्मचारियों द्वारा धरना)	Matter under rule 377 (Stay in strike by employees of Grindlay's Bank) .	112
रेलवे बजट 1975-76 सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1975-76 General Discussion— .	
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	113–114
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty .	114–115
श्री रोबीन ककोटी	Shri Robin Kakoti .	115–116
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	116

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga .	11–
श्री फ्रैंक एंथनी	Shri Frank Anthony . .	117–118
श्री एस० ए० कादर	Shri S.A. Kader . .	118–119
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R.S. Pandey .	119
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad .	119–120
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan .	120–121
श्री गेंडा सिंह	Shri Genda Singh . .	121
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha . . .	121–123
श्री नवल किशोर सिंहा	Shri Nawal Kishore Sinba	123
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Ran Bahadur Singh	123–124
श्री शंकरराव सावन्त	Shri Shankerrao Savant .	126–127
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo .	127
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R.N. Barman .	127–128
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram . .	128–129
श्री नुरुल हुडा	Shri Noorul Huda . .	129–130
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M.Ram Goapl Reddy	130
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	131
श्री रानेन सेन	Shri Ranen Sen .	131–132
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav . .	132
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya . . .	133
सभा के अवमान के बार में प्रस्ताव	Motion re Contempt of the House . .	124–125

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 6 मार्च, 1975/15 फाल्गुन, 1896 (शक)
Thursday, March 6, 1975/Phalguna 15, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने प्रश्न काल को निलम्बित करने की पूर्वसूचना दी थी, ताकि आज जो मामला सामने आया है, उस पर चर्चा की जा सके। यदि आप लाल किले की लाचीर पर जाने का कष्ट करें, तो आप देखेंगे कि वहा लोगों का समुद्र उमड़ आया है। . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इस की अनुमती नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। प्रश्न काल को निलम्बित नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपनी पूर्व सूचना पढ़ रहा हूं . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समूचा नगर . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य को अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * * * *

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा—अनुपस्थित, श्री बर्मन।

श्री आर० एन० बर्मन : प्रश्न संख्या 243। **(व्यवधान)**

****कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।
**** Not recorded.

1—13 L.S.S. (N.D.)/75

टीकों के अन्तर्राष्ट्रीय जाली प्रमाण पत्र

*243. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **स्वास्थ और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टीकों के अन्तर्राष्ट्रीय जाली प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारियों ने किन किन ट्रेवल एजेन्सियों के विरुद्ध जांच की थी ;

(ख) टीके लगाने सम्बन्धी जाली प्रमाण पत्र देने वाले इस गिरोह में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) अब तक उन में से कितनों को दण्ड दिया गया है तथा इन व्यक्तियों को किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्रो के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की पुलिस छान-बीन कर रही है ।

(ख) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं प्रश्न काल को निलम्बित करने की अनुमति नहीं देता । **(व्यवधान)** यदि आप ऐसे ही करते रहे, तो मैं आदेश दूंगा कि कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल न किया जाये । आप सभा की कार्यवाही में इस प्रकार बाधा न डालें । हर बात की सीमा होती है ।

मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । मैं प्रश्न काल को निलम्बित नहीं कर रहा हूं । **(व्यवधान)** कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा । **(व्यवधान)**

श्री समर मुखर्जी : कृपया आप श्री ज्योतिर्मय बसु की बात सुनिए । हम सब उत्तेजित हैं । वह चाहते है कि प्रश्न काल को निलम्बित किया जाए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आप को जो पूर्व सूचना दे दी है, उसके सम्बन्ध में संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं । ...

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट में अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सम्बन्धित नियम के अन्तर्गत प्रश्न काल को निलम्बित करने तथा निम्नलिखित प्रस्ताव को लेने की पूर्वसूचना दी थी ।

"समूचे दिल्ली नगर में जीवन ठप हो गया है ..."

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । **(व्यवधान)** ...

मेरे समक्ष जो पूर्व सूचना है, वह नियम 388 के अन्तर्गत प्राप्त हुई है । मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है । अब आप नई बात उठा रहे है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कागजात नहीं देखते ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। आपने प्रश्न काल को निलम्बित करने की पूर्वसूचना दे दी थी, जो मेरे समक्ष है। आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रस्ताव यह है :

(1) कि दिल्ली नगर में जीवन ठप हो गया है। मैंने स्वयं घुम कर देखा है।

(2) जनता के ऐतिहासिक संसद चलो अभियान के तथा पूर्व अनुमति से अध्यक्ष से भेंट करने के अवसर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का लगाया गया।

(3) जनता को संसद तक आने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस के 15,000 अतिरिक्त जवानों का तैनात किया जाना।

इस के अतिरिक्त सरकार ने नगर में बसों के आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा बस चालकों को सताया जा रहा है।

श्री एच० के० एल० भगत : ये सब निराधार आरोप हैं। दिल्ली में अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण है। वह न तो वहां गये हैं और नहीं उन्होंने कुछ देखा है। मैं स्वयं वहां गया था सारे आरोप निराधार है . . . **(व्यवधान)** . . . बसें चल रही हैं। दुकानें खुली हुई हैं। तथाकथित संसद चलो जन अभियान विफल हो गया है। **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : इस मामले के गुणदोषों को देखते हुए मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। यह विधि तथा व्यवस्था का मामला है। विधि तथा व्यवस्था बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बारे में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती। प्रश्न काल को निलम्बित करने का कोई सवाल नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभा की कार्यवाही नहीं चलने देते, तो आप कृपया सभा से बाहर चले जाइये। **(व्यवधान)** . . . मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कृपया बैठ जाइए।

श्री समर मुखर्जी : वस्तुतः सब सड़कों को रोक दिया गया है। हजारों सिपाही तैनात किए गये हैं। लाखों की संख्या में लोग आये हुए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता, इसलिए आप यह सब गड़बड़ कर रहे हैं। **(व्यवधान)** . . .।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको जनता ने चुनकर सभा में भेजा है . . .

श्री समर मुखर्जी : पुलिस का इतना भारी प्रबन्ध क्यों किया गया है ? महोदय आपसे निवेदन किया गया है कि आप उपस्थित रहें ताकि आपको ज्ञापन प्रस्तुत किया जा सके। इतने भारी प्रबन्ध की क्या व्यवस्था है ?

अध्यक्ष महोदय : विधि तथा व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यह एक प्रशासनिक मामला है। आप कृपया बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही में बाधा न डालिए।

आप की पार्टी तो इसमें नहीं है। आप बैठे बैठे ही हीरो बनना चाहते हैं।

श्री समर मुखर्जी : महोदय, हम ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इस प्रदर्शन में क्यों भाग नहीं ले रहे हैं। परन्तु हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इन सब मांगों का समर्थन करते हैं। आपातकाल स्थिति सत्ताधारी दल के हितों के लिए जारी रखी जा रही हैं और इन व्यक्तियों को उस का शिकार बनाया जा रहा है।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : यह बिल्कुल निराधार है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे न चलने दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, आपने जो कुछ कहना था, कह लिया। शान्ति, शान्ति।

श्री नूरुल हुडा : यह पुलिस राज है। नगर की सब सड़कों पर रोक लगा दी गई है। हर स्थान पर सिपाही ही सिपाही मौजूद है। क्या जनता को संसद के समक्ष प्रदर्शन करने का अधिकार नही है? वे आपको अपनी मांगों का ज्ञापन पेश करना चाहते हैं। **(व्यवधान)** . . .।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मुझे खेद है कि आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं ने आप की बात सुन ली है। मैं आपकी और कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। आप की बातें बर्दाश्त की सीमा से बाहर होती जा रही हैं। यदि आपने सोच रखा है कि आज कुछ करना ही है, तो एक मिनट में कह लीजिए जो कहना है।

Shri Jambuwant Dhote : Mr. Speaker, Sir, millions of people have come to Delhi City. It is our duty to present the sentiments of the people in the House. .. (*Interruptions*) It is my humble submission that I may kindly be allowed to express my view point.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एक मिनट दिया है। एक मिनट में कह लीजिए आपको क्या कहना है।

Shri Jambuwant Dhote : Sir, it is your duty to control the House. Unfortunately you have not been able to control the House properly. So I request you to control the House, so that I may be able to make my point clear.

Sir, millions of people have come to Delhi. It is feared that they may be subjected to lathi charge and something may happen. Under the circumstances there is no way out for us, but to express our feelings and sentiments in the question hour. We have given proper notice to you to suspend the question hour. Peoples' march to Parliament is going on. People have come here in lakhs. In such circumstances any thing may happen in the city. So there would be no difference if question hour is suspended, keeping in view the seriousness of the matter, because even otherwise so many hours are wasted in the House. In case you suspend the question hour in view of the sentiments and feelings of the people you would be doing great service to Parliamentary democracy otherwise we would not allow the House to proceed.

श्री पी०जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे से ज्यादा समय बित गया लेकिन एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। यद्यपि मेरे मित्र, श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए विधिवत सूचना दी थी तथापि आपने यह विनिर्णय किया कि प्रश्न काल स्थगित नहीं हो सकता।

आज दिल्ली में जो जलूस निकल रहा है वह ऐतिहासिक है अथवा नहीं, उसमें 5 लाख आदमी आए हुए हैं या दस लाख, लेकिन यह जलूस आ रहा है। (**व्यवधान**) श्रीमन, प्रश्न काल सदस्यों का महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए आप कृपया सभी सदस्यों से कहें कि वे शान्त रहें और हम ऐतिहासिक घटना के सम्बन्ध में अपनी बात प्रश्न संख्या काल के बाद कहें। (**व्यवधान**) . . .

आज जो जलूस निकल रहा है उसका बड़ा महत्व है। इसमें भाग लेने के लिए दश के विभिन्न भागों से लाखों लोग आये हुए हैं। हम सभा को इस जलूस के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। किन्तु ये विचार प्रश्न काल के बाद ही सुने जाए।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए आपको सूचना दी गई, जिस पर आपने अपना विनिर्णय दिया कि प्रश्न-काल स्थगित नहीं किया जा सकता। इस जलूस का क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चा की जाए अथवा नहीं, इसके बारे में निर्णय आपने करना है। प्रश्न काल के बाद बहुत सी बातें, जिन पर हमारा मत भेद होता है, आपकी आज्ञा से और कभी कभी आपकी आज्ञा के बिना उठाई जाती हैं। मेरे विचार में प्रश्न काल के बाद आप यह फैसला करें कि इस सम्बन्ध में चर्चा की जाये अथवा नहीं और आपका फैसला हमें मान्य होगा। किन्तु सभा की कार्यवाही में बाधा डालना संसदीय परम्परा के विरुद्ध है। हमें चार-पांच व्यक्तियों को सभा की कार्यवाही रोकने नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रश्न काल होना चाहिए और यदि कुछ लोग इसे नहीं चाहते तो वे इसमें भाग न लें किन्तु उनके इस रवैये से उनकी निराशा ही प्रकट होती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल होना ही चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अपनी सहमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके लिए यह महान दिन है क्योंकि सारा देश आपको एक याचिक देने आ रहा है। आपको खुष होना चाहिए कि दस लाख लोग आपके पास आ रहे हैं। आपके लिए यह ऐतिहासिक दिन है।

अध्यक्ष महोदय : वे मेरे पास संवैधानिक तरीके से आ रहे है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं।

श्री समर मुखर्जी : इसमें कौनसी गलत बात है कि दस लाख लोग आपके सामने अपनी मांग रखने के लिए आ रहे हैं ? उन्हें क्यों रोका जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वे अपनी मांग प्रस्तुत करने आ रहे है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता।

श्री समर मुखर्जी : ये पुलिस का प्रबन्ध क्यों किया जा रहा है ?

श्री नुरुल हुडा : प्रदर्शन को रोकने के लिए लाखों पुलिस कर्मचारियों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों को क्यों तैनात किया जा रहा है ? वे इस देश के वासी है और आपके समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। सरकार उन्हें क्यों रोक रही है। क्या उन्हें अपनी मांगें प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ? सभा के नेता और गृह मंत्री से पूछिए कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों को क्यों तैनात किया गया है ?

श्री एच०के०एल० भगत : दिल्ली में स्थिति शान्तिपूर्ण और सामान्य है। वे झूटे और निराधार आरोप लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा धैर्य और सन्तोष समाप्त हो जा रहा है। जिस तरह से आप लोग चला रहे हैं उसमें मुझे कुछ अप्रिय काम करना पड़ेगा। पिछले 45 मिनट आप ऐसा कर रहे हैं। मैं वातावरण को खराब नहीं करना चाहता। नेतागण मेरे पास आ रहे हैं और मैंने उनसे कह दिया कि मैं उनका स्वागत करता हूं। किन्तु इस तरीके से आप उनकी कोई खास सेवा नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम ऐसा आचरण करें जिसमें वह भावना ही खत्म हो जाये जिसे लेकर वे लोग आ रहे हैं। मैं हमेशा आपके इस तरीको को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी भी सीमा है। मैं कोई कार्यवाही करने से पहले यह चाहता हुं कि लोग समझ ले कि आप कैसा आचरण कर रहे हैं ताकि बाद में मेरी कार्यवाही को उचित समझा जाए।

Shri Shrichandra Shailani : The call by given by. their master, Jaiprakas Narayan has been rejected by the people. I have myself seen how many persons are there with them. Life in Delhi is peaceful and normal. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : It is for the country to see whether the Parliament is to run through discussion or through shouting. Hon'ble Janeshwar you say whatever you have, to say in a minute.

Shri Janeshwar Mishra : I did not know earlier about the notices of adjournment and suspension of question Hour. Now I have seen them and want to support them. I was stopped by the police while I was coming to attend to House. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : No one can stop an M.P.

Shri Janeshwar Misra : I had to show my identity card, which never happened before. Why so today? Why then should question Hour Continue ?

Secondly, they have affixed posters throughout the city wherein we have been depicted as "perpetrators of lawlessness and removers of democracy whereas, we want to ventilate people's grivances. The way the ruling party is functioning. (*Interruption*). When democracy will be broken by this march, what there is the use of Question Hour? You may go and see that lakhs of person have arrived there. (*Interruption*). How can we take part in these proceedings?

Mr. Speaker : Kindly, take your seat. You have decided not to allow question hour to continue. We are also seeing what you are saying.

Shri Janeshwar Misra : You can see have many policemen have been brought to Delhi why? See 144 has been enforced for Patel Chauk to Boat Club. will Parliament function under the Shadow of Sec. 144 ? If so the people will remove you. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Why don't you sit down.

Shri Shankar Dev : Let the Hon. Speaker take a decision on the Notice seeing suspension of Question Hour. Will they abide by it or not ? Is there any discipline or not ? No member can be heard if four Members will stand up and speak simultaneous. Those who do not want to observe discipline may leave the House.... (*Interruption*)

Shri R. R. Sharma : Sir, many of our colleagues, still do not believe that more than 10 lakh people from all parts of the country are coming to Parliament House to submit a memorandum to the Speaker (*Interruption*). I am astonished, Sir, that these people who hear the stegma of scandles, have the courage to stifle the voice of the people. Sir, I support the motion of Shri Bosu and request you to suspend the Question Hour so that the adjournment motion is taken up.

Mr. Speaker : I have already made it clear that neither the Question Hour will be suspended nor I have admitted the adjournment motion.

Shri Janeshwar Misra : Here the police is stopping Members of Parliament and the ruling party is dubbing the 'Janata March' as end of democracy. How can Parliament function in such atmosphere? What is the use of Question Hour? You may yourself go alongwith the Prime Minister and see the March. We claim that 10 lakh people have come (*Interruption*).

An hon. Member : He is telling a lie.

Shri Shankar Dev : Let those who want to go and see the March, go there but the sitting of the House should continue. (*Interruption*).

बर्मा के ऊपर पान अमेरीकन बोइंग—747 विमान को नष्ट करने का प्रयास

*245. **श्री के० मालन्ना :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस भारतीय व्यापारी ने, जिसे नई दिल्ली निवासी श्री गोविन्द राम ढ़ांग बताया जाता है, यह मान लिया है कि उसने पान अमेरिका एयरवेज के बोइंग-747 जम्बो जेट विमान को बर्मा के ऊपर नष्ट करने का प्रयास किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) हमारी सूचना के अनुसार यह बताया जाता है कि श्री गोविद राम ढांग ने, जोकि भारतीय राष्ट्रिक है, थाई प्राधिकारियों के समक्ष यह स्वीकार कर लिया है कि 2 फरवरी, 1975 को उन्होंने, जबकि वे पैन अमेरिकन फलाइट 001 में थे, विमान को उस समय ध्वस्त करने की कोशिश की थी। जब वह करीब-करीब रंगून के ऊपर था। यह विमान बैंकाक वापस लौट गया था। वह अब थाई प्राधिकारियों को हिरासत में है।

राउरकेला में विशेष इस्पात संयंत्र का विस्तार

*246. **श्री गजाधर माझी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने राउरकेला में विशेष इस्पात संयंत्र के लिए एक दीर्घावधि विस्तार कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी हां।

(ख) अनुमानित लागत 35.1 करोड़ रुपये हैं जिसमें 9.0 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सम्मिलित है।

कार्मिक संघ संगठनों की सदस्य संख्या का सत्यापन

***252. श्री दामोदर पाण्डे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय कार्मिक संघ संघठनों के सदस्यों की संख्या का सत्यापन अगली बार कब किया जायेगा ; और

(ख) ऐसे सत्यापन के करने में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री के०बी०रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) यह सारा मामला विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० रामगोपाल रेड्डी प्रश्न संख्या 257। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जानबूज कर कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। **(व्यवधान)**

जर्मन जनवादी गणतन्त्र से जहाजों की खरीद

***257. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक सरकारी दल ने जहाज खरीदने के लिए जर्मन जनवादी गणतन्त्र का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे के क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) जर्मन लोक तन्त्रात्मक गणतन्त्र के हाल के दौरे के दौरान नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सचीव नेतृत्व वाले दल ने पहले ही से दिये गए आदेश के अतिरिक्त जहाजों की अधिप्राप्ति के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत की। जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य ने 1978–80 के दौरान प्रत्यक 13,810 डी० डब्ल्यू० टी० के 5 आधानीकृत माल लाइनर जहाजों की सप्लाई की पेशकश की है । तकनीकी और अन्य ब्यौरो को जून, 1975 तक उपलब्ध किए जाने की सम्भावना है ।

खेतड़ी तांबा परियोजना

***258. डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना का उद्घाटन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की स्थिति क्या है तथा अब तक कितनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया गया है, ; और

(ग) इस परियोजना में निर्धारित क्षमता के अनुसार कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां। खेतड़ी तांबा प्रद्रावक का विधिवत उदघाटन प्रधान मंत्री द्वारा 5 फरवरी, 1975 को किया गया था।

(ख) यह संयंत्र, जिसकी वार्षिक क्षमता 31,000 टन इलैक्ट्रालिटिक तांबा है, उत्पादन के प्रारम्भिक चरण में है। इस समय उत्पादन प्रक्रिया को स्थिर किया जा रहा है। नवम्बर, 1974 में संयंत्र के चालू होने से अब तक लगभग 2,000 टन ब्लिस्टर तांबे का उत्पादन किया गया है।

(ग) खेतड़ी प्रद्रावक में निर्धारित क्षमता तक उत्पादन मालंजखंड तांबा खान में तथा सांद्रक संयंत्र में उत्पादन शुरु होने पर ही होगा। 1975–76 में तांबा धातु का उत्पादन 18,000 टन होने की आशा है, जिसमें खेतड़ी कापर कम्प्लेक्स में खनित 8000 टन अयस्क शामिल है, तथा शेष 10,000 टन आयात किए जाने वाला तांबा सांद्र के प्रद्रावण से प्राप्त किया जाएगा। आशा है खेतड़ी के देशी तांबा सांद्रों और आयातित सांद्रों का उपयोग करके यह संयंत्र 1977–78 तक अपनी निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत तक उत्पादन करने लगेगा।

Medical facilities to rural population of Madhya Pradesh

***259. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether adequate medical facilities are not available to the rural population in Madhya Pradesh at present;

(b) whether any measures have been taken to ensure better health services and medical facilities in rural areas in Madhya Pradesh; and

(c) if so, the outline thereof?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh): (a), (b) and (c) A statement containing the required information is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

There are 457 Community Development Blocks in Madhya Pradesh. 457 Primary Health Centres are functioning in these Blocks. Some of the Blocks however have more than one primary health centre with the result that five more primary health centres need to be established on the basis of the norm of one PHC per block. There are 23 primary health centres with one doctor and 434 with two doctors.

A sub-centre is required to be established for each Unit of 10,000 population. On this basis 3487 sub-centres are required. Of these, 2724 are already functioning

Medical facilities are also available through the following institutions:

Hospitals/Dispensaries	736
Ayurvedic Aushadalayas	1,510
Upgraded dispensaries	87

The State Government have proposals for augmenting these facilities further. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ। **(व्यवधान)**

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में मायल कोयला खान के निकट खनन दुर्घटना

+

अ० सू० प्र० सं० 2. श्री दामोदर पाण्डेय :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में मायेल कोयला खान के निकट एक खनन दुर्घटना में कई खनिक मारे गये ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुये ;

(ग) क्या इस खान में सरकार की जानकारी से काम हो रहा था ;

(घ) सरकार इस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने और ही सत्य भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि उस क्षेत्रों में बहुत सी खाने पट्टे अथवा बगैर पट्टे के और सरकार की बिना उचित अनुमति के उसी प्रकार काम कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा यह सुचित किया गया है कि गिरिडिह ज़िले (बिहार) में मायेल कोयला खान के सामने दामोदर नदी के उत्तरी किनारे पर 22 फरवरी, 1975 को कई ग्रामवासी जब गैर–कानूनी ढंग से कोयला खोद कर निकाल रहे थे तो एक दुर्घटना हो गई' जिसमें 6 व्यक्ति मर गये और अन्य तीन गम्भीर रूप से घायल हो गये ।

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने इस गैर–कानूनी खनन कार्य की सूचना नवम्बर, 1973 में राज्य सरकार के संबंधित स्थानीय अधिकारियों को दे दी थी ।

(घ) सरकार विचार कर रही है कि खान अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जा सकती है । सरकार इस दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिये खान अधिनियम के अधीन एक जांच न्यायालय नियुक्त करने के प्रश्न तथा सुरक्षा के संदर्भ में इस प्रकार के गैर कानूनी खनन संबंधी अधिक व्यापक प्रश्नों पर भी विचार कर रही है ।

(ङ) इस प्रकार किये जा रहे गैर–कानूनी खनन कार्य को बिहार राज्य सरकार और कोयला विभाग के ध्यान में ला दिया गया है ।

(Interruptions)

One Hon. Member : The police is beating them up, you stop them.

(Interruptions)

Shri Jambuwant Dhote : They have caught him by the neck and taken him away.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आदेश का पालन कीजिए । इर्षा से सभा की कार्यवाही में जो भी बाधा पहुंचायेगा उसे वहां से हटाना ही होगा । वह वाच एंड वार्ड के लोगों से जबरदस्ती कर रहा था ।

Shri Jambuwant Dhote : Such things are happening in this House in your presence and you are simply watching it. It is not good to catch any body by neck. Five or ten persons are assaulting one person: It is not proper.

Mr. Speaker : When he was being taken out, he was resisting with his arms. I saw him. He was beating them.

Shri Jambuwant Dhote : He could be removed from here but not by catching him by neck. 10 persons are handling one person. If such things will happen, the day will come when the members of the ruling party will assault us.

Mr. Speaker : It will never happen. Such day will never come. It will not be allowed. You should not worry. It can never happen.

Shri Damodar Pandey : Hon. Minister has not replied to my question satisfactorily. This is not the first accident. This is second accident (*interruptions*) 10 or 15 persons have been killed in this accident. Only 8 bodies have been discovered so far, I want to know whether such mines are existing there. (*interruptions*) These mines are working without any permission. No information has been given in this regard. (*interruptions*).Proper action has not been taken by the persons responsible for the safety of these labourers. I want to know how many such mines are existing there and if any mine is being illegally excavating, what action the Government is taking to stop the excavation thereof. I want to know the steps being taken by the Government to protect the labourers from such incidents. (*interruptions*).

श्री रघुनाथ रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान **(व्यवधान)**

Shri Jambuwant Dhote : When any visitor raises slogans, he should be removed from there. It is right. But he should be removed in a proper way. This was not the proper way to remove him.

Mr. Speaker : When this issue is raised in the House, we will consider.

Shir Jambuwant Dhote ; It will be difficult for us to carry on the proceedings of the House and at the same time it will be difficult for you also.

Shri Damodar Pandey : This is second mine accident of this kind. Several persons have been killed . I want to know why is there delay in appointing the court of enquiry in this regard. It should be done without any delay. Why the safety measures are being neglected and are not being strictly complied with?....(*Interruptions*)

श्री रघुनाथ रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान............(**व्यवधान**)

Shri Damodar Pandey : Mr. Speaker after this accident, one more accitdent took place in Hisa lang coallery in which 8 bodies have so far been discovered. It is not known how many persons have been killed there. Why the court of enqiury has not been appointed to go into this matter. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Everything will come before the House. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : We have to follow every thing regarding security (*Interruptions*)

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम इस दुर्घटना के कारणों तथा अवैध रूप से खनन करने के बारे में जांच करने के लिए कोर्ट आफ इन्क्वारी करने की सोच रहे हैं। हम ऐसा करने की सोच रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री विरेन्द्र सिंह राव।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमान मैं अपना प्रश्न कैसे पूछूं? मुझे एक भी शब्द नहीं सुनाई दिया है। (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : हम सब श्री वीरेन्द्र सिंह राव को सुनना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इससे पहले मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछूं मैं चाहता हूं कि सभा में व्यवस्था उपस्थित हो।

Shri Jambuwant Dhote : Mr. Speaker, please adjourn the House. (*interruptions*).

Mr. Speaker : Hon. member may please sit down. (*interruptions*).

तत्पश्चात् श्री जनेश्वर मिश्र तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

(**At this stage Shri Janeshwar Misra and Some other Hon. Members left the House**). (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आदेश का पालन कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, मैं उसे सुन नहीं सका। कृपया क्या आप मंत्री महोदय को उन उत्तरों को पुनः कहने के लिए कहेंगे।

Shri Jambuwant Dhote : Mr. Speaker, my point of order....

Mr. Speaker : It is customary in this House that the case of such persons who are arrested here is brought in the House and the House itself gives decision about him. youcan whatever you want at that time.

Shri Jambuwant Dhote : Mr. Speaker an important question is before the House. The Hon. Minister is replying to it. A number of supplementary questions can be asked there on, but the members of opposition parties are not present here.....

(*Interruptions*)

The members will be deprived of the right to ask supplementary questions. Therefore, I request you to suspend this question. for tomorrow. Mr. Speaker you give your ruling on this submission.

Mr. Speaker : The proceedings of the House can not be withheld after the walk out by some members.

Shri Jambuwant Dhote : I agree with you. But in Parliamentary decmocracy several precedents are set. (*interruptions*). Yesterday Shri Mohan Dharia taught them democracy. Their family members will taugh them. What can we teach them? As I have said in a Parliamentary democracy several precedents are set. You set a new precedent in such circumstances by suspending this important Question for tomorrow so that the opposition members could ask supplementary question.

Mr. Speaker : I can not postpone this question to tomorow.

Shir Jambuwant Dhote : You can suspend this Question. You ask for the leave of the House.

Mr. Speaker : I am not empowered to suspend this Question nor there is any rule under which it can be suspended in the absence of few members. You have said to ask for the leave of the House. Is the House of this opinion that this Questin should be suspended?

Several Hon. Membes : No, No.

Shri Jambuwant Dhote : I walk out of the House.

श्री जाम्बुवंत धोटे तब सदन से बाहर चले गए।

(Shri Jambuwant Dhote then left the House.)

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान मंत्री जी को दुबारा उत्तर देने के लिए कहिए ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं एक भी शब्द नहीं सुन सका हूं कि मंत्री महोदय ने क्या कहा है और क्या क्या अनुपूरक प्रश्न पूछे गए हैं। आप उन्हें पुन: दोहराने के लिए कहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तर दोहरा दीजिए ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : (क) हां, श्रीमान

(ख) खान सुरक्षा के महा निदेशक ने बताया है कि गिरिडीह जिला (बिहार) में माईल कोलरी कें सामने दामोदर नदी के उत्तरी किनारे पर कई ग्रामिणो द्वारा कोयले के लिए अवैध रूप से खनन करते समय 22 फरवरी, 1975 को हुई दुर्घटनाओं में 6 व्यक्तियों की मौत हुई और तीन व्यक्तियों गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

(ग) नवम्बर, 1973 में खान सुरक्षा महा निदेशालय के अधिकारियों ने इस अवैध खनन की दुर्घटना की बात राज्य सरकार के संम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारियों को दी ।.

(घ) सरकार विचार कर रही है कि खान अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जा सकती है। इस दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सरकार खान अधिनियम के अन्तर्गत कोर्ट आफ इन्क्वारी नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। सुरक्षा के संदर्भ में इस प्रकार के अवेध खनन के सामान्य प्रश्नों पर भी विचार किया जायेगा ।

(ङ) इस तरह के अवैध खनन के बारे में बिहार राज्य सरकार तथा कोयला विभाग को सूचित कर दिया गया है ।

Shri Damodar Pandey : Mr. Speaker the reply given by the Hon. Minister is not satisfactory. I was hoping that he will reply to my Questions in detail. But he has not done so. I asked the existing number of such illegal mining.

Mr. Speaker : I have not allowed you. You have already asked the Question.

श्री बीरेंद्र सिंह राव : माननीय मंत्री ने निश्चित रुप से यह नहीं बताया कि क्या सरकार को पता है कि इस विशेष क्षेत्र में जहां छ : मजदूरों की मृत्यू हुई है, अवैध रुप से खनन कार्य चल रहा है। उन्होंने अस्पष्ट रूप से कह दिया है कि नवम्बर 1973 में खान सुरक्षा निदेशक ने राज्य सरकार को बता दिया था कि वहां अवैध रूप से खनन कार्य चल रहा है और यह दुर्घटना 1975 में हुई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि क्या यह सुनिश्चित करना, कि खनन अधिनियम लागू हो, महा निदेशक का काम नहीं था। यदि राज्य सरकारने इस बारे में कुछ नहीं किया तो इन श्रमिकों का जिवन बचाने के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिएँ थे। दूसरे उन्होंने यह स्विकार किया है कि अवैध रूप से खनन कार्य चल रहा है। अवैध रुप से खनन करने से यह दुर्घटना हुई है। यह भी राज्य सरकार को बता दिया गया। जहांतक इस विशेष दु र्घटना का सम्बन्ध है, जिसमें 6 व्यक्ति मारे गए हैं, वह कहते हैं कि सरकार इस बात पर विचार कर रहीं है कि खनन अधिनियम को किस तरह लागू किया जाये। उसके बाद सरकार खनन अधिनियमों को लागू करने की ओर ध्यान नहीं दे पाई है।

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि वहां जों बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है क्या वह खान विभाग तथा कोयला खान विभाग के अधिकारियों से सांठ गांठ करके चल रहा है? क्या सरकार ने उनमें से किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जो अवैध खनन को रोकने मे किसी प्रकार की गड़ बड़ी करते है। उन्होंने सारा भार राज्य सरकार पर डाल दिया है। ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में अवैध खनन के बारे में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अन्त में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में कोयले की कमी को ध्यान में रखकर तथा मांग की पूर्ति न कर सकने के कारण बिना अनुमति या लाईसेंस के (जानबूझकर) अवैध खनन करने दे रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इस आरोप को अस्वीकार करता हूं कि सरकार जानबुझकर गैरकानूनी खनन को प्रोत्साहित कर रहि है। मैं स्पष्ट कर दूं कि अवैध खनन की कोई सूचना नहीं देता। यह सब प्राधिकारियों की जानकारी के बिना किया जाता है। यदि ऐसा प्राधिकारियों की जानकारी में किया जाये तो उसे अवैध खनन नहीं कहा जा सकता। खान विनिमय अधिनियम की धारा 4 के अन्तगत आवश्यक लाइसेंस लेने होंगे और धारा 16 के अन्तर्गत खान का निरिक्षण करने तथा किसी विशेष उपक्रम को वहां कार्य करने की अनुमति देने के लिए खान सुरक्षा प्राधिकार तथा खान सुरक्षा के महानिदेशक को सुचना देनी आवश्यक है। अन्यथा वह अवैध खनन समझा जायेगा। अवैध खनन के लिए कोई लाईसेंस नहीं लिया जाता। खान सुरक्षा महा निदेशकने 30 सितम्बर 1974 की रिपोर्ट में बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चला रहा है। यह मामला 15–10–1974 कोयला विभाग के ध्यान में लाया गया था। विभाग बाद में स्मरण पत्र भेजता रहा है। वह इस बात को सराहना करेंगे कि जहांतक खान विभाग अथवा खान सुरक्षा महानिदेशक का सम्बन्ध है, अवैध खनन के बारे में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है परन्तु जब कोई दुर्घटना खान सुरक्षा महानिदेशक के ध्यान में आती है तो फायर ब्रिगेड की तरह जो आगजनी के मामले में भी पहुंचता है, वे उस स्थान पर जाते है और यह तेखते है कि और क्षति न हो वे लोगों की सहायता करने का प्रयास करते हैं। स्थिति यह है। इस दुर्घटना के बारे में मामला 23 फरवरी को खान सुरक्षा महानिदेशक के ध्यान में आया और दुर्घटना 22 को सुबह 8 बजे हुई मालूम होती है। वे तुरन्त घटना स्थलपर पहुंचे और वास्तव में उन्होने यह सुनिश्चित करने के लिये निरोधात्मक उपाय किये कि और नुकसान न हो और 25 तारीख को एक अन्तरिम रिपोर्ट भेजी। उन्होंने इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही की। अवैध खनन करने वाला व्यक्ति चोरी करने वाला व्यक्ति सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना नहीं देता। इसी कारण हम इस घटना विशेष के बारे में न केवल जांच न्यायालय की बात सोच रहे हैं कि यह घटना कैसे हुई अपितु खानों में आवश्यक दण्डनीय कार्यवाही की बात भी सोच रहे हैं और सम्बन्धित अधिकारियों ने वास्तविक

दुर्घटना के बारे में जांच करने हेतु पुलिस को भी रिपोर्ट की है जो इस बात की जांच करे कि इसमें कितना समय निहित है और वास्तव में कितने व्यक्ति इसमें मारे गये। हमें प्राप्त सूचना के अनुसार 6 लाशें मिलि है और तीन व्यक्ति घायल हुए हैं। ये आंकड़े अधिक भी हो सकते हैं क्योंकि दुर्घटना के तुरन्त बाद यह पता चला है कि उन ग्रामीण लोगों जो इस प्रकार अवैध खनन कर रहे थे, स्वयं ही लाशों को ले गये थे और मामला पुलिस के ध्यान में लाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रहीं है। इस स्टेज पर हमें इस बात का पता नहीं है कि और कितनी लाशें मिलेंगी और वास्तव में कितनी हानि हुई है।

श्री विरेन्द्र सिंह राव : मंत्री का वक्तव्य परस्पर विरोधात्मक है। मेरे अनूपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्हों ने बताया है कि अवैध खनन सरकार के ध्यान में नहीं आता और केवल तभी जब कोई व्यक्ति जा कर देखता है कि अवैध खनन चल रहा है, तो कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु, मूल वक्तव्य में उन्हो ने यह स्पष्ट बताया है कि क्षेत्र में अवैध खनन की घटना राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई है। इसका अर्थ है कि सरकार को यह पता था कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है और मामला राज्य सरकार को बताया गया है कि और इसे रोकने हेतु राज्य सरकार के महानिदेशक ने कोई कार्यवाही नहीं की है। दूसरी बात उन्हों ने यह बताई है कि मामला पुलिस को बताया गया है। परन्तु, उन्होने प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से नहों बताया है जो इस प्रकार है :

> "इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध और इस प्रकार की और दुर्घटनाएं रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।"

मै इस बारे में ताजा स्थिति जानना चाहूंगा कि क्या अब तक पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और क्या केवल मामला पुलिस में दर्ज कराया गया है और उसकी जांच की जा रही है अथवा क्या दुर्घटना के कारणों की जांच करने और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाने हेतु कोई जांच कराई जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि अपराधी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और क्या वे अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह बड़े लोग हैं और वे सम्बन्धित राज्य सरकार और आपके अधिकारियों की मिलीभगत से यह अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने जो उत्तर दिये हैं वे परस्पर विरोधात्मक नहीं है। मैं ने बाद में बताया है कि अवैध खनन का यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशक का प्रश्न तभी उठता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है अथवा खनन कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने की सूचना मिलती है जिसे खान अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत लायसेंस दिया गया है। सम्बन्धित अधिकारी तब उस स्थान का निरीक्षण करते हैं और यह पता लगाते हैं कि क्या वह खान खनन कार्य आरम्भ करने की आवश्यक शर्तो को पूरा करती है। इस मामले में यद्यपि राज्य सरकार का ध्यान अवैध खनन के सामान्य प्रश्न की और दिलाया गया है, किसी दुर्घटना का घटित होना या न होना तब तक खान सुरखा अधिकारियो के ध्यान में नहीं लाया जा सकता जबतक कि किसी विशेष तारीख को अवैध खनन का कार्य हो रहा है। यदि यह लगातार चलता रहता है तो यह और बात है। यदि यह लगातार होता है तो ये मामले हमारे ध्यान में नहीं है, परन्तु, सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में यह आया है कि वहां पर अवैध खनन का कार्य चल रहा है और यह सम्बन्धित अधिकारियो के ध्यान में लाया गया है क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार इस प्रकार के अवैध खनन को रोक सकती है। हमने अभी तक यही कार्यवाही की है।

प्रश्नों के भाग (घ) में जहां तक श्रम मंत्रालय में खान सुरक्षा महानिदेशक का सम्बन्ध है, वह केवल खान अधिनियम के अधीन ही कार्यवाही कर सकता है। खान अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मैंने पहले ही बता दी है। सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने बताया है कि पुलिस का ध्यान दिलाया गया है और पुलिस जांच कर रही है क्योंकि यह भारतीय दण्ड संहिता के अधीन चोरी है। मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जांच की स्थिति क्या है ?

Shri Narsingh Narain Pandey : Whether the hon. Minister is aware of such an accident that took place 1st March in Hisalaon after the aforesaid mine incident in which 8 persons were killed. It is still not known how many more persons were killed in it as the debris is still being removed whether Govt. has taken any action in this regard or the State Government have submitted any information to you as to how many illegal mines are functioning in this area. In case you have received the information, the action taken by Government on it and whether you have received the information regarding incident that took place 3 days after the accident in which 8 persons were killed and the preventive measures proposed to be taken in this regard.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरा केवल इस दुर्घटना से सम्बन्ध है। यदि यह किसी अन्य घटना के बारे में है तो मुझे नोटिस चाहिए।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय : मैंने यह भी पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने इन अवैध खानों के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना भेजी है और इस प्रकारके अवैध खनन को रोकने के लिए क्या विरोधात्मक कदम उठाये हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि माननीय सदस्य ने सुबह ही मुझे संकेत दिया होता तो मैं अन्य घटना के बारे में भी सूचना एकत्र करके आता। यदि कोई सूचना उपलब्ध होगी तो मैं माननीय मंत्री को दे दूंगा। अवैध खनन के बारे में खान सुरक्षा महानिदेशक ने राज्य सरकार को सूचित किया है और सम्बन्धित मंत्रालयों का ध्यान इस ओर दिलाया है। श्रम मंत्रालय का अवैध खनन से प्रत्यक्षत: कोई सम्बन्ध नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे अनधिकृत और अवैध खनन के बारे में खान सुरक्षा महानिदेशक से 30 सितम्बर, 1974 को प्राप्त रिपोर्ट पर मामला 15-10-74 को कोयला विभाग के ध्यान में लाया गया। विभाग को 10-12-74, 10-1-75 और 22-2-75 को स्मरणपत्र भेजे गये। हम सम्बन्धित अधिकारियों को स्मरण करा रहे हैं और राज्य सरकार को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। यदि कोई सूचना मिलती है तो मैं यह माननीय मंत्री को भेज दूंगा।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, the Minister has admitted that 6 persons were killed in the accident that took place in Milly Colliery. But I would like to submit that as per report in the Indian Nation of Bihar 40 persons were killed and 8 workers were killed in the accident that took place in the other mine. Eight bodies have been recovered and debris is still being removed. It is not known how many more might have been killed. I would like to know whether Government are aware of illegal mines which are functioning in Bihar and the numbers of workers engaged therein. Whether it is a fact that workers of these illegal mines are not paid wages equal to those being paid to workers of nationalised mines? If so, the action taken by Government to protect their interests and the results achieved? According to my information thousands of workers are paid rupees two or rupee one daily there and their service conditions are very bad. Such type of mining is wrong and illegal. It is causing accidents. What action has been taken to check recurrence of such accidents in future and to protect the interests of the workers?

श्री रघनाथ रेड्डी : प्रश्न अवैध खनन के सम्बन्ध में है न कि वैध खनन के सम्बन्ध में। सदस्य सभी अवैध तथा वैध खानों का विनियमन चाहते है। किसी भी विधान से ऐसा नहीं किया जा सकता। अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने सम्बन्धित विभाग तथा राज्य सरकार को लिखा है। खान अधिनियम के अन्तर्गत हम जांच न्यायालय की बात सोच रहे हैं। हम न केवल किसी विशेष घटना की अपितु, अवैध खनन के प्रश्न पर भी विचार करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसी कोयला खानो में मजदूरों के बारे में आपने क्या सोचा है? इनके अधिकारों की रक्षा आप कैसे कर रहे हैं? राज्य भर की खानो में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अवैध खानो में काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न अवैध खानों में काम करने वाले मजदूरों से सम्बन्धित है। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं है तो आप इसकी जांच कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम अवैध खानो के मजदूरों की कैसे रक्षा कर सकते हैं। अवैध खनन के प्रश्न पर गहराई से विचार करना होगा क्योंकि यह वैध खनन का प्रश्न नहीं है। इसी लिए मैंने कहा है कि हम न केवल इस दुर्घटना की जांच करने हेतु अपितु अवैध खनन के प्रश्न पर विचार करने हतु जांच न्यायालय नियुक्त कर रहे हैं ताकि अवैध खनन के बावजूद भी विरोधात्मक कदम उठाये जा सकें।

डा० कैलास : मंत्री जी कहना है कि सुरक्षा निदशक ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि वहां पर अवैध खनन चल रहा है। यह केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारी का नैतिक कर्तव्य है कि वे उन व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करें जिनका शोषण अधिकारियों को रिश्वत देने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। मंत्री का कहना है कि उनका कार्य राज्य सरकार को सूचित करना है और वह जांच न्यायालय नियुक्त करने की बात सोच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वैध अथवा अवैध खानों में काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार विशेष-कर श्रम मंत्री का नैतिक कर्तव्य है। वह श्रमिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी है इसी कारण उसे श्रम मंत्री नियुक्त किया गया है।

श्री रघुनाथ रेडडी : दुर्घटनाएं अवैध खानों में ही नहीं होती बल्कि वैध रूप से चल रही खानों में भी होती है। यह मामला अवैध खानों से सम्बन्धित है। यह मामला सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है। खान महानिदेशक (सुरक्षा) को इस प्रकार के अवैध खनन को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं दी जाती कि किसी विशेष दिन कोई अवैध खान चल रही है, खुदायी का काम होने वाला है और कोयला चुराया जा रहा है। जैसे ही यह मामला खान महानिदेशक (सुरक्षा) के ध्यान में आया वे तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे और आगे क्षति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

इसी कारण वे खानों को और हानि होने से बचा पाये। जहां तक अवैध खनन के सामान्य प्रश्न के बारे में कायवाही करने का सम्बन्ध है मैं यह नहीं कह सकता कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। इस मामले में कार्यवाही करना सम्बन्धित अधिकारियों का काम है। इसी कारण हम जांच न्यायालय स्थापित कर रहे हैं। हमें निश्चय ही मानव कल्याण की चिन्ता है चाहे वे अवैध अथवा वैध रूप से चल रही खान में काम कर रहे हों। यदि उपयुक्त सूचना मिलती है तो दुर्घटना को रोकने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं।

2—13 L S S (ND)75

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि समूचे प्रश्न की जांच के लिए जांच न्यायालय स्थापित किया जा रहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरी जानकारी यह है कि जिस दिन दुर्घटना हुई, हाजिरी रजिस्टर बदला गया। वे हाजिरी रजिस्टर रखते हैं। सामान्यतया दुर्घटना के बाद मृत व्यक्तियों की पत्नियां और बच्चे आकर हाजिरी रजिस्टर से यह पता लगाते है कि क्या वे उस दिन खान में आये थे अथवा नहीं। इस विशेष मामले में मृत शरिरों को छुपाने और मृत व्यक्तियों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से उन्होंने हाजिरी रजिस्टर बदला। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला भी जांच न्यायालय को सौंपा जायेगा। ताकि मृत व्यक्तियों की संख्या, खान में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन में से वापस घर न लौटन वाले की सही संख्या का पता चल सके।

श्री रघुनाथ रेड्डी : अवैध रूप से चलाई जा रही खानों में हाजिरी रजिस्टर रखे जाते हैं अथवा नहीं इस बात का मुझे पता नहीं है। इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा और आगे जांच की जायेगी। हमारी सूचना यह है कि दुर्घटना के तुरन्त बाद ग्रामीण लोग लाशों को उठाकर ले गये। इस बात का अभी तक पता नहीं है कि कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, कौन काम कर रहे थे और वास्तव में कौन कौन व्यक्ति मारे गये और व कितनी लाशों उठाकर ले गए। अभी तक 6 लाशें मिली हैं और मलबे से तीन घायलों को निकाला गया है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। यदि कोई जानकारी मिलती है तो मैं उसे सभा के सामने पश करना अपना सौभाग्य तथा कर्तव्य समझूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : यह बहुत अच्छा है कि इस दुर्घटना की जांच के लिए एक न्यायालय स्थापित किया जा रहा है। परन्तु यह कैसे हो सकता जबकि दुर्घटना हो चुकी और 8 व्यक्ति मर चुक है तो सरकार के सामने इस मामले को भी जांच न्यायालय में शामिल करने में क्या कठिनाई है। मलवे में और व्यक्ति भी हो सकते हैं। सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम इस सम्बन्ध में उचित रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मै इस बात का पता लगाऊंगा कि क्या कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य के सुझाव पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

श्री अमृत नहाटा : क्या यह तथ्य है कि खान सुरक्षा अधिनियम में यह उपबन्ध है कि यदि कहीं पर कोई घातक दुर्घटना हो जाती है तो प्रबन्धकों को खान सुरक्षा अधिकारियों को तुरन्त सूचित करना चाहिए। इस मामलों में क्या प्रबन्धकों ने खान सुरक्षा अधिकारियों को सूचित किया था ? यदि नहीं तो यह कानून का उल्लंघन है : क्या सरकार उल्लंघन के लिए प्रबन्धकों पर मुकदमा चलायेगी। जांच न्यायालय अपना समय लेगा। परन्तु इसमें खान सुरक्षा विनियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। प्रबन्धकों पर क्यों नहीं मुकदमा चलाना चाहिए।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैंने कहा है कि यह अवैध खनन का मामला है। अवैध खनन के मामले में कोई भी रिपोर्ट नहीं करता कि क्या घटना घटी है।

एक माननीय सदस्य : यह हत्या के समान है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है। मैं यह नहीं कह रहा कि कोई अपराध नहीं किया गया है। हम खान अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर रहे है। परन्तु प्रश्न यह है कि वास्तविक मालिक कौन है, इसके पीछे कौन है। सर्वप्रथम इसका पता लगाना होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEEN ANSWERS TO QUESTIONS

डी० डी० टी० उपलब्ध न होने के कारण मलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि

*242. **श्री के० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में डी० डी० टी० उपलब्ध न होने के कारण मलेरिया के रोगियों की संख्या में वृदिध होती रही है ;

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये चालू वर्ष में कितनी डी० डी० टी० की आवश्यकता होगी ;

(ग) देश में उत्पादन द्वारा कितनी डी० डी० टी० उपलब्ध होती है ; और

(घ) चालू वर्ष में कितनी डी० डी० टी० आयात की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी हां। किन्तु यह वृद्धि अकेले डी० डी० टी० के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुई है।

(ख) 75 प्रतिशत वाटर डिस्पर्सेबल पाउडर वाली डीडीटी के 10,000 टन।

(ग) 75 प्रतिशत वाटर डिस्पर्सेबल पाउडर वाली डीडीटी के 6,000 टन।

(घ) 75 प्रतिशत वाटर डिस्पर्सेबल पाउडर वाली डीडीटी 4,000 टन।

धौला कुआं से दिल्ली हवाई अड्डे तक सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था

244. **श्री शरद यादव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंगडन क्रिसेन्ट से दिल्ली हवाई अड्डे तक का प्रमुख सड़क पर धौला कुआं से उस स्थान तक जहां से गुड़गांव सड़क अलग होती है, प्रकाश का कोई प्रबन्ध नहीं है, ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के मोटर वाले, स्कूटर वाले तथा टक्सी वाले सड़क पर प्रकाश का प्रबन्ध न होने के कारण दुर्घटना होने के डर से रात में नहीं चलते हैं;

(ग) क्या क्षेत्राधिकार संबंधी झगड़े के कारण इस सड़क पर प्रकाश का प्रबन्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस झगड़े को हल करने के लिये तथा पालम रोड के इस भाग पर प्रकाश का प्रबन्ध करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) उल्लिखित सड़क का भाग, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 का भाग है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था करने का सामान्य नियम नहीं है क्योंकि ऐसी आशा की जाती है कि यातायात अपने ही प्रकाश में चलेगा। यद्यपि यह सुझाव देने में कोई प्रमाण नहीं है कि इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामान्य यातायात में बाधा पड़ती है, तथापि सरकार को धोला कुआं से उस स्थान तक की सड़क, जहां गुड़गावं सड़क से अलग होती है, के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) यह प्रश्न कि क्या सामान्य नीति से हटकर इस सड़क पर विशेष स्थिति में प्रकाश की व्यवस्था की जाय या नहीं और यदि की जाये तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर होगी या संबंधित स्थानीय अधिकारी पर होगी, विचाराधीन है।

Transfer of coal washeries to Ministry of Energy

*247. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the number of coal washeries under his Ministry at present and their annual production ;

(b) whether there is a proposal to trasnfer the washeries, run by Hindustan Steel to the Ministry of Energy and if so, the broad outlines thereof ; and

(c) whether labourers and trade unions have opposed this proposal?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav) : (a) There are five coal washeries under Hindustan Steel Limited. The production of clean coal from these washeries in 1973-74 is indicated below :

Name of Washery	(In '000 tonnes) Production of clean coal in 1973-74
Dugda I	616
Dugda II	717
Bhojudih	1,283
Patherdih	754
Durgapur	483

(b) With the transfer of Bharat Coking Coal Limited from the Department of Steel to the new Department of Coal under the new Ministry of Energy in pursuance of certain changes in the Govt. of India (Allocation of Business) Rules, it has been decided to transfer these washeries (except the Durgapur Washery which is a part of the Durgapur Steel Plant Complex) to the Department of Coal.

(c) Notices of strike had been given recently by the Coal Washeries Workers Union and one of the demands was that the Central Coal Washeries Organisation of Hindustan Steel should not be merged with Bharat Coking Coal Limited as this would adversely affect the facilities, amenities, working conditions, service conditions and wage structure enjoyed by the workers by virtue of remaining witn Hindustan Steel Limited. The matter was discussed by the Minister of Energy with representatives of the Union. The notice of strike has since been withdrawn by the Union.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए पांचवीं योजना में परिव्यय

*248. **श्री एस० ए० नुरुल हसन :**

श्री डी० के० पण्डा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिये पांचवी योजना में निर्धारित परिव्यय में कोई काट-छांट की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उन्होंने योजना परिव्यय में वृद्धि करने का आग्रह किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कण सिंह) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों क लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में निम्नलिखित धन राशिया रखी गई हैं :—

	(रुपये करोड़ में)
स्वास्थ्य कार्यक्रम :	
(1) पूर्णत: केन्द्रीय	75.78
(2) केन्द्र पोषित	177.01
(3) राज्य क्षेत्र	543.21
	796.00
परिवार नियोजन कार्यक्रम	516.00
योग	1,312.00

इन धन राशियों में अभी तक कोई कटौती नहीं की गई है।

(ग) और (घ) वार्षिक योजनाओं में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के बारे में यह मंत्रालय समय-समय पर योजना आयोग से अनुरोध करता आ रहा है। योजना आयोग ने केन्द्र और केन्द्र पोषित स्वास्थ्य कायक्रमों के लिए 1975-76 में 44 करोड़ रुपये का खर्च मंजूर किया है जबकि इन के लिए 1974-75 में 31.65 करोड़ रुपये का खर्च मंजूर हुआ था। इसी प्रकार योजना आयोग ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए 1975-76 में 63 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है, जिसमें विदेशी सहायता भी शामिल है जबकि 1974-75 में इस के लिए 54.13 करोड़ का खर्च मंजूर किया गया था।

इस्पात संयंत्रों के उत्पाद मिश्र में परिवर्तन

***249. श्री अनादी चरण दास :**

श्री पुरुषोतम काकोडकर :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने इस्पात प्राधिकरण संयंत्रों के उत्पाद मिश्र में व्यापक परिवर्तन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या प्लेटों और भारी संरचना के उत्पादन पर अधिक बल दिया जा रहा है।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) से (ग) इस्पात कारखानों के प्रोडेक्ट मिक्स का निर्णय विभिन्न इकाइयों विशेषत: बेलन/फिनिशिंग मिलों की किस्म और क्षमता तथा उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर निर्भर है। इसलिए प्रोडेक्ट मिक्स में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। फिर भी एक वर्ष के लिए बनाई गई समस्त उत्पादन योजना में विभिन्न श्रेणियों/सेक्शनों के उत्पादन में कुछ फेर बदल किया जा सकता है।

मांग और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने पिछले कुछ महीनों में संरचनात्मक और प्लेटों के उत्पादन पर अधिक बल दिया है।

भारतीय वायु सेना के लिये बहुप्रयोजनीय लड़ाकू विमान के लिये इंजिन

*250. **श्री भागिरथ भंवर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु सेना के लिए बहुप्रयोजनीय लड़ाकू विमान के इंजिन के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी अश्व शक्तिवाला होगा तथा उस पर कितनी लागत आयेगी और उसके निर्माण पर कितना समय लगने की सम्भावना है ;

(ग) इंजिन की मुख्य विशेषताय क्या है ; और

(घ) क्या उसके लिए किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमन।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी गतिविधियां

*251. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी भारत-बंगला देश सीमा पर अनेक लोगों के लिए जिनमें औरतें और बच्चे भी सम्मिलित हैं, निर्वाह का साधन बन गई है ;

(ख) क्या भारत सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया है कि लोग मुख्यत: चावल और पटसन सिर पर ढोकर पदल या नावों द्वारा सीमा पार ले आते हैं और उनके बदले नमक, मिर्च, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल ले जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत और बंगला देश दोनों ही सरकारों द्वारा चोरी-छिपे माल लाने-ले जाने के विरुद्ध उठाए गए उपायों के परिणामस्वरूप ऐसा मालूम होता है कि सीमा के आर-पार माल की स्मगलिंग में भारी कमी हुई है ।

(ग) भारत और बंगला देश की सरकारें, आवश्यकतानुसार, संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग और उपायों पर विचार करने को सहमत हैं ।

भिलाई इस्पात कारखाने के लिये परिव्यय में कटौती

*253. **श्री विजयपाल सिंह :**

श्री एम० पी० भट्टाचार्य :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1975-76 में भिलाई इस्पात कारखाने के लिये प्रस्तावित परिव्यय में भारी कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रमों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1975-76 में भिलाई इस्पात कारखाने की मुख्य योजनाओं के लिए, जिनमें इस कारखाने का विस्तार भी शामिल है, 101.47 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया था । अंतः मंत्रालय विचार विमर्श के पश्चात् तथा संसाधनों की स्थिति को देखते हुए इन योजनाओं के लिए 61.42 करोड़ रुपये रखे गये हैं । भिलाई इस्पात कारखाने की विस्तार कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूरी तरह पूर्ति की जायेगी । इस कार्यक्रम के मध्य में इस में फेर बदल करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

ब्रिटेन से भारतीय प्रवासियों की वापसी

*254. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में पहुंचे हुए अनेक अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत वापस भेज दिया गया है ;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल की गई है कि वे व्यक्ति किस प्रकार ब्रिटेन पहुंचे ; और

(ग) यदि हां, तो जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला और इस गतिविधि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इनमें से अधिकांश ने वैध पासपोर्टों के आधार पर यात्रा की थी, यद्यपि कुछ लोगों के द्वारा जाली पासपोर्टों के प्रयोग करने की रिपोर्ट है । जिन लोगों को यू०के० में घुसने नहीं दिया जाता या जिन्हें इस देश से उद्वासित कर दिया जाता है उनसे भारत में आप्रवास अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जाती है

और जहां कहीं आवश्यकता होती है जांच भी की जाती है । सरकार को ऐसा विश्वास करने के कारण ह कि भारत और विदेशों के कुछ बईमान यात्रा एजेन्ट ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते ह जिसके कारण संबंधित व्यक्तियों को उद्वास्ति किया जाता है, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा प्रभावित व्यक्तियों के गवाही न देने के कारण इन पर मुकद्मा चलाना मुश्किल हो जाता है ।

बन्धक (बांडेड) श्रम पद्धति समाप्त करना

*255. श्री हरि किशोर सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बन्धक (बांडेड) श्रम पद्धति समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को जो सरकार के विचाराधीन था, इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छद 23 द्वारा बेगार को प्रतिषिद्ध किया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 374 के अनुसार जबरदस्ती काम लेना जुर्म है । इस समय, बन्धक (बांडेड) श्रम के बारे में केन्द्रीय विधान बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और राजस्थान सरकारें इस विषय पर पहले राज्य विधान बना चुकी हैं । हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों ने भी ऋण संबंधी राहत के बारे में राज्य विधान में बन्धक श्रम के उन्मूलन के लिए आवश्यक उपबन्ध बनाया है । कर्नाटक सरकार भी राज्य में बन्धक श्रम के उन्मूलन के बारे में एक कानून बनाने के संबंध में विचार कर रही है ।

Labour Participation in Undertakings and Railways

*256. **Shri Madhavrao Scindia :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the names of Government and semi-Government undertakings in which labour participation has been inroduced at management and policy-making levels;

(b) the names of other undertakings where this practice is being introduced his year ; and

(c) the establishments under the Railways where the practice of labour participation has been introduced?

The Minister of Labour (Shri K.V. Raghunatha Reddy) : (a) Workers have been appointed as directors on the Boards of Management of the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, Hindustan Organic Chemicals Limited and the 14 nationalised banks.

(b) The process of verification of membership of trade unions functioning in the State Bank of India and its subsidiaries by the Chief Labour Commissioners (C) is in progress with a view to appointment of workers as directors in those banks.

(c) Production Committees, Workshop Productivity Council, Joint Committees of Officers and Staff, Staff Benefit Fund Committee, Canteen Management, Committees, Housing Committees, Advisory Committee for staff welfare works Hospital Visiting Committee, Executive Committee of Railway Institutes, Consumer Cooperative Stores and Credit Societies, exist in the Railways in which the workers are associated.

लन्दन में बम विस्फोट के भय के कारण इंडिया हाउस को खाली करना

*260. श्री डी० बी० चन्द्र . गौड़ा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में व्यस्त एलडविच तथा फ्लीट स्ट्रीट क्षेत्रों में 28 जनवरी 1975 को बम विस्फोट के भय के कारण इंडिया हाउस तथा साथ के अन्य कार्यालयों को खाली किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) घटना के तथ्य इस प्रकार हैं :—

स्थानीय पुलिस ने इंडिया हाउस के सामने की सड़क एल्डिच में सभी कार्यालयों को चौकस कर दिया कि उनके पास उस इलाके में कार बम होने की सूचना है जिसमें शायद टाइम यंत्र लगा हुआ था और चूंकि उनके पास बम की तलाश करने का समय न था, इसलिए उन्होंने उस इलाके की सभी इमारतों में रहने वालों को सलाह दी कि वे शीशे की खिड़कियों से दूर रहें। इंडिया हाउस के कर्मचारियों को भी सलाह दी गई कि वे पीछे की ओर चले जाएं। भीड़भाड़ के कारण कुछ कर्मचारी स्वयं पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए।

पास के बुश हाउस और आस्ट्रेलिया हाउस में रहने वालों को भी पुलिस अधिकारियों ने वैसी ही सलाह दी। लेकिन फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक के अधिकारियों ने अपने कर्मचारी हटा दिए। लगभग एक घंटे बाद इंडिया हाउस में सामान्य रूप से काम फिर होने लगा। बाद में पुलिस ने बताया कि वास्तव में कोई विस्फोट नहीं हुआ।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस्पात की कथित बिक्री

2391. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कोलार गोल्ड फील्ड मैसूर के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक ने मद्रास के श्री नटराजन को 1000 मीटरी टन कीमती इस्पात, इस्पात पाइप, भूमिगत बैंडी छड़ियां, गर्डर्स तथा अन्य उपस्कर बेचे ;

(ख) यदि हां, तो इस सामान के निपटान के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गयी है तथा क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ;

(ग) उन ठेकेदारों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1000 मीटरी टन इस्पात की खरीद के लिए टेंडर हेतु आवेदन दिये ;

(घ) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड रद्दी लोहे की सप्लाई के लिए मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड से अनुरोध कर रही थी ; और

(ङ) क्या श्री नटराजन को 1000 मीटरी टन इस्पात तथा अन्य उपस्करों को बेचने से पूर्व फालतू माल की घोषणा करने तथा भविष्य में काम करने के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की आवश्यकताओं के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने 1000 टन रद्दी इस्पात मद्रास के श्री पी० नटराजन को बेचा था। यह रद्दी इस्पात मुख्य संयंत्र और उपकरणों से प्राप्त हुआ था, जो बहुत पुराने हो चुके थे तथा खानों के किसी काम के नहीं थे।

(ख) बिक्री की शर्तों की एक प्रति 'अनुबंध' के रुप में संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9111/75]**

समय सीमा

निर्धारित समय-सीमा 60 दिन थी मूल बिक्रय आदेश 6-9-1973 को जारी किया गया था तथा अवधियों में निम्नलिखित विस्तार किया गया :—

1. 17-12-73 को 16-2-74 तक
2. 11-2-74 को 31-3-74 तक
3. 3-4-74 को 30-4-74 तक
4. 2-5-74 को 18-5-74 तक

अवधियों का विस्तार भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया गया।

(ग) कुल 13 ठेकेदारों ने टेंडर प्रस्तुत किए थे।

(घ) 1000 टन रद्दी इस्पात की बिक्री से पूर्व, भारत गोल्ड माइल्स लिमिटेड 1972 के मध्य से मैसूर आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड को रद्दी इस्पात बच रहा था। मैसूर आइरन एंण्ड स्टील लि० को यह माल 380 रुपये प्रति टन की तय शुदा दर पर बेचा गया। परन्तु, चूंकि मैसूर आइरन एंड स्टील लि० द्वारा माल उठाने की गति बहुत धीमी थी, तथा उनके मूल्य बाजार में रद्दी इस्पात के बढ़े हुए मूल्यों के बराबर नहीं थे इस लिए 1000 टन रद्दी इस्पात के लिए टेंडर मांगे गए थे। श्री नटराजन का टेंडर 727 रु० प्रति टन था, जो सब से ऊंचा था इस लिए उक्त मात्रा के लिए उसे स्वीकार कर लिया गया। श्री नटराजन द्वारा प्रस्तुत 727 रुपये प्रति टन मूल्य का उपयोग कर मैसूर आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड के साथ पुनः बातचीत की गई। फरवरी, 1974 में 700 रुपये प्रति टन मूल्य पर समझौता हुआ। उसके बाद रद्दी इस्पात की बिक्री केवल मैसूर आइरन स्टील लि० को की गई है और यह भी जारी है।

(ङ) रद्दी इस्पात की कुल मात्रा का कोई निर्धारण नहीं किया गया था क्योंकि वह काफी समय से 30 से 40 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में बिखरा पड़ा था।

भारत गोल्ड माइन्स लि० के मूल्यांकन के अनुसार बेचा गया रद्दी इस्पात इस समय अथवा निकट भविष्य में इस्तेमाल किए जाने योग्य नहीं हैं ।

कांगड़ा जिले में पोंग बांध विस्थापितों से राशि एकत्र करने के लिए नियोजित पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किया जाना

2392. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के कुछ ऐसे कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, जिनको कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग बांध विस्थापितों से राशि एकत्र करने के लिए नियोजित किया गया था ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों ने न्याय प्राप्त करने हेतु चण्डीगढ़ में श्रम आयुक्त से प्रार्थना की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा बैंक प्राधिकारियों की कार्यवाही के संबंध में श्रम आयुक्त का निर्णय क्या है ; और

(घ) आयुक्त के निर्णय को मानने तथा उसे क्रियान्वित करने के संबध में प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) छ: पीड़ित श्रमिकों की ओर से औद्योगिक विवाद उठाया गया है और एक के मामले में निर्देश पहले ही न्यायनिर्णय के लिए जा चुका है । शेष पांच के मामले, जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के तैयार माल का परिवहन

2393. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के तैयार माल के परिवहन की लागत कच्चे लेटेक्स के परिवहन की लागत से दस गुनी है और क्या इस कारण तथा अन्य कारणों से इस कम्पनी के निदेशकमंडल के दो अनुभवी सदस्यों ने आग स्थापित किये जाने वाले निरोध के कारखानों को अलग-अलग स्थानों पर स्थापित करने की सिफारिश की है और मुख्य कार्यालय को नई दिल्ली से अन्यत्र ले जाने का विरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने निदेशक-मंडल का पुनर्गठन करते समय केवल इन्हीं दो सदस्यों को निदेशक-मंडल मे नहीं लिया है ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा कश्मीर आदि में भावी निरोध कारखानों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का एन०डी०एम०सी० के मुख्यालय के स्थान के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 36 वें प्रतिवेदन की सिफारिश

10.25 को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के मुख्यालय के स्थान के प्रश्न पर सरकारी उद्यम ब्यूरो जैसे एक विशेषज्ञ संस्था द्वारा फिर से जांच कराये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

भारत सरकार की सामान्य नीति के अनुसार ही हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के मुख्यालय को स्थानान्तरित कर त्रिवेन्द्रम ले जाया गया था ।

(ख) यह सुझाव सही नहीं है ।

(ग) इस स्तर पर नहीं ।

Copper deposits found in Dungarpur

2349. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether large deposits of copper have been found in Dungarpur as was reported in the press on the 4th January, 1974; and

(b) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) & (b) Copper sulphide deposit extending about seven hundred metres and carrying about 1.4 percent copper has been located by the State Department of Mines and Geology at Padarkipal in Dungarpur district of Rajasthan. Detailed investigation by drilling is in progress.

नई दिल्ली में बंगला देश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन

2395. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने 30 जनवरी 1975 को नई दिल्ली में उनके हाई कमीशन के सामने हुये प्रदर्शन के संबध में, ढाका से प्रकाशित दैनिक समाचारपत्रों में छपे समाचार के अनुसार सरकारी तौर पर कोई दोष प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मास्यूटिकल तथा सम्बद्ध उद्योगों में औद्योगिक विवाद अधिनियम का लाभ

2396. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(3) में संशोधन

कर इस अधिनियम के लाभ फार्मास्युटिकल तथा सम्बद्ध उद्योगों में काम कर रहे मेडिकल सेल्स रिप्रेजेनटेटिवसों को देकर उनको नौकरी की सुरक्षा देने के बारे में कोई कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : यह मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

Restrictions on Motor Goods Transport by Bihar Government

2397. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether any memorandum on behalf of the Bihar Chambers of Commerce has been presented to the Prime Minister in regard to the restrictions imposed on the motor goods transport by Bihar Government;

(b) if so, the nature of the restrictions imposed and difficulties experienced in goods transport as a result thereof ; and

(c) the action taken by Government?

Minister of State in the Ministry of Shipping And Transport (Shri H.M. Trivedi): (a), (b) and (c) The Hon'ble Member is presumably referring to the telegram sent by the President, Bihar Chamber of Commerce to the Prime Minister protesting against the letter issued by the Ministry of Petroleum and Chemicals to the Chief Secretaries of all the States on 17-8-74 suggesting some measures to economise the consumption of High Speed and Light Diesel Oils. The matter has since been reconsidered by Government and the restrictions on road transport suggested earlier have been modified by that Ministry on 24-12-74.

जम्मू के निकट मांवल तथा कृष्णपूर शरणार्थी शिविरों में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

2398. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :**
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू के निकट नावल तथा कृष्णपुर शरणार्थी शिविरों में 15 जनवरी, 1975 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से दो व्यक्ति मारे गये थे तथा सात व्यक्ति घायल हुये थे ।

(ख) क्या इस मुठभेड़ में, जो शरणार्थियों द्वारा अपने नेताओं के गिरफ्तार किये जाने के कारण पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण करने से पैदा हुई, 18 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुये थे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 15-1-75 को छम्ब विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों में एक घटना हुई जिसमें हिंसक भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को अश्रु गैस, लाठी प्रहार तथा अन्ततः गोली चलानी पड़ी जिसमें दो व्यक्ति मारे गए ।

(ख) घटना में 15 पुलिस कर्मचारियों, 3 मजिस्ट्रेटों और 3 अन्य अधिकारियों को चोटें आईं।

(ग) घटना के संबंध में रामनगर पुलिस स्टेशन में आर०सी०सी० की धारा 307, 332, 148 और 149 के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए हैं।

विदेशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों/उच्चायुक्तों पर किया गया व्यय

2399. श्री रोबिन ककोटी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत के कुल कितने राजदूत हैं और उन राजदूतों के कार्यालयों में कुल कितने अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी है ;

(ख) विदेशों में भारत के कुल कितने उच्चायुक्त है और उन के कार्यालयों में कुल कितने अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं; और

(ग) विदेशों में उपरोक्त मिशनों को बनाए रखने पर वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 31 दिसम्बर, 1974 तक क्रमशः कितना व्यय हुआ ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क), (ख) और (ग) विदेश मंत्रालय से इतर किसी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में विदेश स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले अधिकारियों के विषय में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। इसकी सूचना मिशनों से मंगाई जा रही है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Ammunition stolen from Defence Department

2400. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing in a Hindi daily on the 8th February 1975 that ammunition from the Defence Department has been stolen;

(b) whether enquiries have been made in this regard; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Minister of Defence (Sardar Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The loss of ammunition is being investigated by the Railway Police who have registered a case under Sections 461 and 379 of the Indian Penal Code and Section 25(c) of Arms Act. The Police have arrested three persons. Qty. 6,066 round of .22 ammunition and 76 bomb fuses have been recovered. A complete physical check of the explosive/ammunition despatched has revealed a deficiency of Qty. 25 rounds of .22 ammunition. A Court of Inquiry has been ordered by the Air Force to go into the circumstances resulting in the loss.

रक्षा कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा

2401. श्री रामचन्द्र कडनापल्ली : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों की वास्तव में क्रियान्विति की तारीख से रक्षा कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा की रियायतकी दृष्ट से पहले

ही दो वर्षों से घाटा हो रहा है और सिफारिश की क्रियान्विति में और अधिक विलम्ब करने से उसका प्रभाव निम्न श्रेणी के कर्मचारियों अर्थात् जवानों की श्रेणी पर मनोबल को तोड़ने वाला होगा ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए छुट्टी यात्रा रियायतों के संबंध में तृतीय वतन आयोग कि सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है और सरकारी आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाने की आशा है। इस बीच ऐसे कार्मिकों को ये रियायतें वर्तमान आदेशों के अधीन दी जा रही हैं।

Findings against former Governer Shri Kanungo in the case of Shri Haji Kuli Mastan

2402. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ishwar Choudhary:
Shri Phool Chand Verma :
Shri Hemendra Singh Banera :
Shri R.R. Sharma :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the former Governor, Shri Kanungo, was found guilty by the Court for having recommended the case of the notorious smuggler Shir Haji Kuli Mastan;

(b) the date thereof; and

(c) the findings of the Court and the action taken against Shri Kanungo in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) The case related to a charge of forgery against Shri Haji Kuli Mastan, Shri Kanungo appeared only as a witness in that case.

(b) The court delivered the judgement on 22-1-1973.

(c) The court rejected the contention that the Certificate said to have been signed by the former Governor was a forged document. In his judgement dated 22-1-1973 the trial Magistrate passed structures against Shri Kunungo. The Bombay High Court hearing the case on appeal, upheld the judgement of the lower court. The question of taking any action against Shri Kanungo did not arise.

एन० एच० 31 से मिलने वाली लेटरल रोड़ का निर्माण

2403. **श्री नूरुल हुडा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल (कुच बिहार) का पूर्वी सीमा से ग्वालपाड़ा जिल्हा तक तथा आसाम राज्य के कामरुप जिला में कुछ भागों तक एन० एच० 31 से मिलनेवाली लेटरल रोड की बहुत बुरी स्थिति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या लेटरल रोड के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने वित्त पोषण नहीं किया था, और

(घ) यदि हां, तो इस सड़क की वर्षों तक उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों की भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रश्नगत सड़क असम की एक राज्य सड़क है । भारत सरकार इसके विकास के लिये सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता की व्यवस्था की । भविष्य में रखरखाव और देख-रेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी । तदनुसार उनसे राज्य निधि से सड़क की उचित मरम्मत के लिये तुरन्त कार्यवाही करने के लिये कहा गया है ।

तटीय देशों के समुद्री संसाधनों सम्बन्धी अधिकार

2404. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र के सजीव एवं निर्जीव संसाधनों के बारे में तटीय देशों के अधिकारों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं; और यदि हां, तो किस हद तक;

(ख) यदि नहीं, तो कैरकस कान्फरेन्स में और तेंहरान में हुए एशियाई-अफ्रीकी विधि परामर्शदात्री समिति (एशियन अफ्रीकन लीगल कन्सलटटिव कमेटी) के 16 वें अधिवेशन में इस बारे में क्या निर्णय किये गये ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल सिंह) : (क) वर्तमान अंतराष्ट्रीय कानून किसी तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र के हिस्से में तथा उसके समुद्र-तल अथव महाद्वीप शैल्फ के नीचे की भूमि में जानदार और बजान संसाधनों पर उसका अधिकार स्वीकार करता है । प्रादेशिक समुद्र से लगने वाले समुद्र में सजीव संसाधनों में तटवर्ती राज्य के विशेष हितों को भी यह कानून मानता है । प्रादेशिक समुद्र आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शैल्फ की ठीक-ठीक सीमाएं अभी स्थिर नहीं की गई हैं ।

(ख) समुद्र कानून सम्मेलन के काराकस अधिवेशन में यद्यपि कोई निर्णय नहीं लिये गये थे लेकीन ऐसे आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था जो तट से समुचित आधार रेखा के साथ साथ 200 मील तक विस्तृत हो और जिसमें तटवर्ती राज्यों का जानकार और बजान संसाधनों पर तथा समुद्री पर्यावरण के रक्षण से संबद्ध मामलोपर और वैज्ञानिक अनुसंधान करने पर संप्रभुसत्तासम्पन्न और एक छत्र अधिकार प्राप्त हो । करीब 100 राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस अवधारणा का समर्थन किया । महाद्वीप शैल्फ ठीक-ठीक बाहरी सीमाएं अभी तय होनी हैं ।

जनवरी 1975 में तेंहरान में एशियाई अफ्रीकी विधि परामर्शदायी समिति के 16 वें अधिवेशन में आर्थिक क्षत्र की अवधारणा के विषय में प्रायः आम सहमति हो गई थी । लेकिन, न तो इस अवधारणा पर कोई निर्णय लिया गया था और न महाद्वीपीय शैल्फ़ की बाहरी सीमाओं के विषय में ।

बम्बई पत्तन न्यास द्वारा सेवाओं पर अधिभार लगाया जाना

2405. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास ने पत्तन सेवाओं पर तदर्थ अधिकार लगाने का निर्णय किया है, ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा उससे कितनी अतिरिक्त आय की सम्भावना है,

(ग) क्या न्यास में श्रमिकों के प्रतिनिधि अधिभार में और वृद्धि करना चाहते थे; और

(घ) यदि हां, तो इसे स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की मंजूरी होने पर बम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड ने नौकर्षण शुल्क, घाट प्रभार और पाया संबंधी वसूलियों (मौजूदा अधिभारो सहित) को छोड़कर अपने सभी दरों और शुल्कों पर 90 प्रतिशत की समान दर पर अधिभार का अनुमोदन किया है, जो कि निम्न प्रकार से है :—

(1) दरों का गोदी मान ;

(2) दरों का बंदर मान और ;

(3) प्रभारों का कनहारी मान ।

नौकर्षण शुल्क, घाट प्रभार और पाया शुल्कों की हालत में 66-2/3 प्रतिशत के अधिभार का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित अधिभार से लगभग 21 करोड़ रुपये के वार्षिक अतीरिक्त राजस्व प्राप्ति की सम्भावना है।

(ग) और (घ) पत्तन न्यास बोर्ड के श्रमिक प्रतिनिधि की यह राय थी कि प्रस्तावित अधिभार बिल्कुल अपर्याप्त है। उसके अनुसार, अधिभार मौजूदा दरों से कम 300 से 400 प्रतिशत अधिक होना चाहिये। परन्तु पत्तन न्यास बोर्ड ने यह सुझाव सम्भवतया इसलिए स्वीकार नहीं किया, ताकि इस अधिभार के लागू करने से पत्तन उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ न पड़े।

कलकत्ता में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में विदेशी टीमों द्वारा भाग लिया जाना

2406. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हो रही विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में भाग लेने भारत आने वाले इजरायली दल को वीजा देने से इन्कार कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त चैम्पियनशिप में पाकिस्तान या चीन ने भाग लिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) भारत के टेबल टेनिस संघ ने जिसने टूर्नामेंट का आयोजन किया था, इजरायल का कलकत्ता के 33 वें विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आमंत्रण नहीं दिया था। चूंकि इज़रायली टीम आमंत्रित नहीं थी इसलिये इसके लिए वीजा देने का प्रश्न ही नहीं था।

(ग) चीन ने भाग लिया, पाकिस्तान ने नहीं ।

3—13 L. S. S. (N.)D./75

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में रक्षा सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती

2407. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री शंकर नारायण सिंह देव :
श्री टुना उरांव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेवाओं में भर्ती के बारे में सरकार की क्या नीति है ; और

(ख) पूर्वी क्षेत्र के राज्यो से वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ?

रक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : एक विवरण संलग्न है ।
[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9112/75 ।]

राष्ट्रमन्डलीय सम्मेलन

2408. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस वर्ष राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भाग लेगा ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुख्य बातो पर विचार किया जायेगा ;

(ग) क्या भारतीय प्रतिनिधि मंडल उसमें अपना कोई प्रस्ताव रखेगा; और

(घ) उक्त सम्मेलन कब होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रमंडल सचिवालय सभी राष्ट्रमंडल सरकारों से सलाह-मशविरा करके अस्थायी कार्य सूची तैयार करने में लगा है ।

(घ) राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों की बैठक 29 अप्रैल से 6 मई 1975 तक किंग्सटन में होगी ।

पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के बारें में बातचीत

2409. श्री समर गुह : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाने की शेष समस्याओं के हल के बारे में गत दो वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कोई बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर बातचीत की गई और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) पांचवीं योजनावधि के दौरान शरणार्थियो को बसाने की योजनाओं पर पश्चिम बंगाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र स्तर पर और राज्यो के स्तर पर पुनर्वास विभाग के परिसमापन का निणय किया है अथवा करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों को पश्चिमी बंगाल में बसाने के प्रश्न पर राज्य के सामान्य सामाजिक आर्थिक ढांचे में प्रवासियों को खपाने तथा पुनर्वास की शेष समस्या को राज्य की पंचवर्षीय योजना के भाग के रुप में हल करने के संदर्भ में बात-चीत की गई थी । ऐसा करने की पद्धतियां विचाराधीन हैं । यह पुनर्वास विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहले ही शामिल की गई योजनाओं के अलावा हैं ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार का यह विचार था कि पुनर्वास योजनाओं के लिए पुनर्वास विभाग की पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई व्यवस्था अपर्याप्त थीं ।

(घ) सरकार ने इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी जोन में कोयला खानों में सुरक्षा की स्थिति

2410. **श्री रोबिन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कोयला खानो में, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में जहां कोयला खनिकों को अधिकारियों दवारा सप्ताह में सात दिन काम करने को विवश किया जा रहा था, सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या खान सुरक्षा महा निदेशक, धनबाद ने इस श्रमिक विरोधी प्रक्रिया को बन्द करने के लिए कोई दृढ़ उपाय नहीं किये ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) खान अधिनियम, 1952 की धारा 28 के उल्लंघन को रोकने के लिए विशेष निरीक्षण किए गए हैं । खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद को कानून के अधीन उचित कारवाई करने का निर्देश दिया गया है ।

कलकत्ता में हुई विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चीन का भाग लेना

2411. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में होने वाली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चीन दवारा भाग लिये जाने के बारे में भारत और चीन के बीच सरकारी स्तर पर कोई पत्र-व्यवहार हुआ था ;

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीन के मंत्री दवारा किया गया था ; और

(ग) क्या चीन के मंत्री के साथ किसी प्रकार की बातचीत या चर्चा की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां । सरकार को आधिकारिक सूत्रों के ज़रीये विश्व टेबिल टेनिस टूर्नामेंट में चीन के भाग लेने की सूचना दी गई थी ।

(ख) चीनी शिष्टमंडल का नेतृत्व नेशनल फिजिकल कल्चर एंड स्पोटर्स कमीशन के उपाध्यक्ष ने किया था ।

(ग) चीनी टेबिल टेनिस टीम की भारत यात्रा का उद्देश्य, खेल में भाग लेना था ।

Vigilance cases in Department of Supply during 1973 and 1974

2412. **Shri M.G. Daga**: Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) which are the persons in the Subordinate Offices of the Department of Supply against whom action by Vigilance Department was taken during 1973 and 1974 indicating the charges against them and the nature of punishment awarded to each of these persons; and

(b) which are the Government employees who have been conveyed Government displeasure or given warning during these years and the reasons therefor?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) Details are furnished in the attached statement (Annexure-I).

(b) Details are furnished in the attached statement (Annexure-II).

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9113/75 ।]

प्रादेशिक सेना के पुनर्गठन के बारे में पटियाला समिति को सिफारिशों को क्रियान्विति

2413. **श्री आर० आर० सिंह देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना के पुनर्गठन के बारे में पटियाला समिति की सिफ़ारिशों के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पटियाला समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित की हैं और अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) मुख्य सिफारिशों पर की गई कारवाई का उल्लेख करते हुए एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 9194/75 ।]**

उच्च डिग्री के रक्षा उपकरन विमान बनाने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

2415. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उच्च डिग्री के रक्षा उपकरण बनाने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की स्थिति में हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और रक्षा प्रयोजनों के लिए भारत द्वारा बनाए जाने वाले सभी पांच किस्मों के विमानों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) टैंकरों, जहाजों और विमानों के निर्माण के बाद रक्षा की दृष्टि से भारत की क्या स्थिति होगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रक्षा उपस्करों के निर्माण में काफी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

(ख) इसमें छोटे शस्त्रों और हल्के तोफखाना, टैंक, टैंक रोधी हथियार और टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्रों का सारा परिवार सम्मिलित है। हम नौसेना के लिए लीअन्डर क्लास फ्रीगेट और वायु सेना के लिए मिग-21, किरण, एच०एस०-748, मारुत विमान और एलाउट हैलीकाप्टरों का निर्माण कर रहे हैं। सेना के लिए संचार, रडार, और निगरानी उपस्कर की आवश्यकताओं को अधिकतर स्वदेशी निर्माण से ही पूरा किया जा रहा है। मझौले तोफखाने का स्वदेशी उत्पादन भी स्थापित किया जा रहा है।

(ग) इसका अर्थ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दशा में अभी एक अन्य कदम होगा।

पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय क्षेत्र

2416. श्री एस० एन० मिश्र :

श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक युद्ध के परिणामस्वरूप भारतीय प्रदेश के कौन-कौन से हिस्से अब भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं और उनका क्षेत्र कितना-कितना है ; और

(ख) भारतीय क्षेत्र को वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) पाकिस्तान ने 1947-48 से अब तक जम्मू तथा कश्मीर राज्य के एक हिस्से पर गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है। इस प्रदेश का जो क्षेत्र आजकल पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका क्षेत्रफल लगभग 30,200 वर्ग मील (78,218 वर्ग किलोमीटर) है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 2000 वर्ग मील (5,180 वर्ग किलोमीटर) का अतिरिक्त क्षेत्र पाकिस्तान ने तथाकथित चीन-पाक करार, 1963 के अंतर्गत गैर-कानूनी तरीके से चीन को दे दिया।

(ख) सरकार की यह नीति है कि जम्मू तथा कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तानी कब्जे से उत्पन्न मसले को द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा शांतिपूर्ण ढ़ंग से तय किय-जाए।

दिल्ली परिवहन निगम को नई बसों की खरीद के लिए ऋण

2417. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली की नई बसो की खरीद के लिये वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान कितनी राशि का ऋण दिया गया है; और

(ख) इस समय दिल्ली परिवहन निगम की बढ़ी हुई संख्या में कितनी बसें सड़कों पर चल रही हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1973-74 तथा 1974-75 में केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को अपने पूंजीगत व्यय पूरे करने के लिए क्रमशः 585.21 लाख तथा 792 लाख रुपये की ऋण सहायता दी । इस धन राशि में से निगम को 1198.21 लाख रुपये के ऋण पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष 179 लाख रुपये की राशि देने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

अब तक दी गई 1198.21 लाख रुपये की राशि में से निगम ने बसों की खरीद पर तथा परिवहन आदि प्रभारों पर 948.67 लाख रुपये व्यय किया है । संबंधित अवधि में (अर्थात् 28-2-75 तक) निगम ने 707 पूरी बसें तथा 119 चेसेस प्राप्त कर ली हैं ।

(ख) सड़क पर प्रतिदिन बसों की संख्या तथा उनके द्वारा तय की कुल किलोमीटर दूरी नीचे दी गई है :

	चल रही बसें	परिचालित किलो मीटर (लाखों में)
पहली मार्च, 1973 . .	1212	2.06
पहली मार्च, 1974	1077	2.02
पहली मार्च, 1975 . .	1376	2.77

नौवहन उद्योग के लिए अधिक जहाज

2418. **श्री धामनकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौवहन उद्योग को नये प्रोत्साहन देने के लिये एक पैकेज प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे वह अधिक जहाज प्राप्त कर सके और विकास छूट की प्रस्तावित समाप्ति से उद्योग को होने वाली हानि दूर की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) पहले ही प्रस्तुत किये गये 1975-76 के बजट प्रस्तावों के अनुसार 31-12-73 से पहले के आदेशित जहाजों के लिये विकास घटौती की योजना को 31-12-76 तक जारी रखने का प्रस्ताव है ।

स्पंज लोहे का उत्पादन

2419. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्पंज लोहे के उत्पादन करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के लोहे के उत्पादन सम्बन्धी वर्तमान लक्ष्य क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए 6 राज्य उद्योग विकास निगमों को आशय पत्र दिए गए हैं । इनकी कुल वार्षिक क्षमता 7.40 लाख टन होगी । ये योजनाएं अभी आरम्भिक चरण में हैं ।

चूंकि उपलब्ध स्थानीय कच्चे माल के उपयोग से वाणिज्यिक स्तर पर स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए अभी प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना है । इसलिए स्पंज लोहे के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

तेहरान में एशिया और अफ्रीका की कानूनी सलाहकार समिति

2420. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तेहरान में एशिया और अफ्रिका की कानूनी सलाहकार समिति के समक्ष हाल में दिये गये नेपाल के " भू सीमित देशों का अधिकार" तर्क की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने नेपाल को भारत से होकर आने जाने की सुविधाएं पहले ही दे दी हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सुविधाओं को पारस्परिक आधार पर या किसी अन्य आधार पर जारी रखने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी हां । भारत नेपाल को भारत-नेपाल व्यापार एवं पारगमन संधि की शर्तों के अनुसार, जिस पर अगस्त, 1971 में हस्ताक्षर हुए थे, पारगमन सुविधाएं प्रदान कर रहा है ।

उड़ीसा को केन्द्रीय अस्पताल के लिये निधि का आबंटन

2421. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिये कुछ धनराशि देना स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित इस राशि के उपयोग के बारे में विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ने उड़ीसा में केन्द्रीय अस्पताल नामक कोई अस्पताल नहीं खोला है और न उन्होंने ऐसे किसी अस्पताल में पलंग बढ़ाने के लिए कोई धनराशि मंजूर की है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आयुध कारखानों में चार्जमैन के लिये निःशुल्क आवास स्थान

2422. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध कारखानों, निरीक्षणालयों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थानों में चार्जमैनों को जो काफ़ी समय से निःशुल्क आवास स्थान के अधिकारी थे, अब यह रियायात नहीं दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वेतन आयोग की इस सिफारिश विशेष को चार्जमैनों के पक्ष में परिवर्तित करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) नए वेतनमान लागू कर दिए जाने के परिणामस्वरूप तृतीय वेतन आयोग ने निःशुल्क आवास की सुविधा वापिस ले लेने की सिफारिश की है । तथापि जो व्यक्ति निःशुल्क आवास पाने के पात्र है उन्हें कुछ लाभ देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

पाकिस्तान तथा चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार

2424. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों में भारत की प्रतिष्ठा घटाने के लिए पाकिस्तान तथा चीन ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्भावनापूर्ण प्रचार का मुकाबला करने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ; और

(ग) क्या हमारी वैदेशिक प्रचार तथा सूचना व्यवस्था भारत का सही स्वरूप प्रतिस्थापित करने में अत्यन्त असमर्थ है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) इन देशों के प्रचार माध्यम रूक-रूक कर निरंतर ही भारत-विरोधी प्रचार करते रहे हैं ।

(ख) भारत की नीतियों और उसके कार्यों पर, संसद में और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचार माध्यमों के द्वारा उच्चतम स्तर पर प्रकाश डाला जाता रहा है जिससे

कि झूठे आरोपों और परोक्ष दोषों का प्रभावशाली ढ़ंग से प्रतिकार किया जा सके। देश में और विदेश-स्थित मिशनों में भी किसी भी स्त्रोत से किये जाने वाले इस तरह के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए तथा अपनी नीतियों और कार्यों को प्रचारित करने के लिए भी तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिये राज्यों को एजेंसी प्रभार अदा करने के आधार

2425. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजपत्रों के विकास कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को एजेन्सी प्रभार दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को एजेंसी प्रभारों की अदायगी किस आधार पर की जाती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) एजेन्सी प्रभार कार्यों की लागत के $7\frac{1}{2}\%$ की दर से दिये जा रहे हैं।

केरल के कनौर जिले में बाक्साइट

2426. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भू-सर्वेक्षण विभाग ने केरल के कन्नौर जिले में नीलेश्वर तथा कुम्बला क्षेत्रों में बाक्साइट निक्षेपों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप नीलेश्वर क्षेत्र में 61.10 लाख टन तथा कुम्बाला क्षेत्र में 18.00 लाख टन बाक्साइट निक्षेपों का अनुमान लगया गया है।

(ग) कन्नानोर जिले में पाथ्यानूर तथा तालीपरम्बा क्षेत्रों में भी बाक्साइट के लिए खोज कार्य किया गया था और उनके परिणामों का मूल्यांकन किया जा रहा है। चालू खोज कार्य के पूरा होने पर ही निक्षेपों के बारे में सही स्थिति का पता चलेगा और तभी परिष्करण विशिष्टता, आर्थिक उपादेयता, आधारभूत - सुविधाओं तथा मांग की स्थिति आदि पर सावधानी से विचार करने के बाद उनके समुपयोजन के विषय में सोचा जा सकता है।

राउरकेला में स्पायरली वेल्डिग पाइप प्लांट (झाले हुए सर्पिल पाइपों के लिए संयंत्र)

2427. **श्री वयालार रवि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने राउरकेला में स्पायरली वैल्डिग पाइप प्लांट के निर्माण के लिये भाव भेजे हैं तथा प्रत्येक कम्पनी ने कितनी राशि व प्रस्ताव किया हैं; और

(ख) जिस कम्पनी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है उसका नाम क्या है तथा उसके प्रस्ताव की राशि क्या है तथा इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) राउरकेला में स्पायरली वैल्डेड पाइप संयंत्र के निर्माण के लिए निम्नलिखित फर्मों ने पेशकश की है :—

	जहाज़ तक निष्प्रभार आपूर्ति डयूश मार्क	पेश कश देशीय आपूर्ति रुपय
1. मेसर्स हायश हेंडल एग वेस्ट जर्मनी एन्ड मेसर्स ग्रीवस काटन, कलकत्ता	1,98,10,704	2,48,34,214
2. मेसर्स वर्लिनर मेश्चनेनन्यू एन्ड मेसर्स उटकल मशीनरी कंसबहल	1,58,02,500	2,68,45,000
3. मेसर्स डेमाग ए० जी० एन्ड मेसर्स इंडमाग, कलकत्ता	1,81,50,000	1,79,45,658
4. मेसर्स साल्जीटर इंडस्ट्रिज .	3,35,00,000	—

नम्बर (1) तथा (2) की पेशकश 3 रोल वेल्डिंग सिस्टम और आउटर रोल ग्राइंडींग केज पर आधारित थे। जबकि नम्बर (3) पेशकश 3 रोल वेल्डिंग सिस्टम और इन्टरनेशनल केलिबरेटिंग स्टार पर आधारित थी।

(ख) तकनीकी कारणों से यह फैसला किया गया कि 3 रोल वेल्डिंग सिस्टीम और आउटर रोल गाइडिंग केज की पेशकश स्वीकार की जाए सभी सम्बन्धित बातों विशेषत: तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् मेसर्स हायश हेंडल एग वेस्ट जर्मनी तथा मेसर्स ग्रीवस काटन कलकत्ता को 1,67,21,590 डयूश मार्क तथा 2,83,41,150 रुपये के आर्डर दिए गए।

कार्यक्रम के अनुसार यह कारखाना जनवरी, 1976 तक चालू किया जाना है। इस समय इस प्रायोजना का कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

क्रेता देशों से हमारी नौवहन कम्पनियों के लिये ढुलाई का बडा भाग प्राप्त करना

2428. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को लोह अयस्क भेजते समय सरकार ने हमारी राष्ट्रीय नौवहन कम्पनियों के लिये ढुलाई का बड़ा भाग प्राप्त करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सरकार क्रेताओं के लिये यह अनिवार्य करने का विचार कर रही है कि वे हमारी राष्ट्रीय नौवहन कम्पनियों की माल ढुलाई का बड़ा भाग दें?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क), (ख) और (ग) जी, हां। जापान को लोह अयस्क के निर्यात के लिए ठके जापानी स्टील मिल्ज जो नौवहन विकल्प पर नियंत्रण करता है, के साथ हुई एफ० ओ० वी० शर्तों पर मिनरल्ज एन्ड मेटल्ज ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा किये जाते हैं। तीन भारतीय नौवहन कम्पनियों अर्थात् शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी, तथा डैम्पों स्टीम शिप्स कम्पनी के एक दल ने टोकियो में जापानी स्टील मिल्ज से विचार विमर्श किया और यह कोशिश की कि जापान को लोह अयस्क ढुलाई में भारतीय कम्पनियों के शेयर में वृद्धि के लिए कोई स्थायी व्यवस्था हो सके। परन्तु, वे अभी तक सफल नहीं हो सके। सरकार भी इस संबंध में भरसक प्रयत्न कर रही है। सी० आई० एफ के ठेके करना कठिन होने के बावजूद प्रत्येक नौवहन कम्पनी के शेयरों में वृद्धि की जा सकती है।

गर्भपात तथा अप्राकृतिक साधनों द्वारा जन्म रोका जाना

2429. **श्री वरके जार्ज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि इटली की एपीस्कोपल कौंसिल के 31 बिशपों ने सर्व सम्मत्ति से यह बात पुनः कही है कि कैथोलिक चर्च का यह विचार है कि गर्भपात एक गम्भीर नैतिक अपराध है क्योंकि इससे एक निर्दोष और निःसहाय व्यक्ति के जीवित रहने के मूल अधिकार का हनन होता है ;

(ख) क्या भारत के बड़े बूढ़ों का भी यही मत था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार अप्राकृतिक साधनों द्वारा जन्म रोक कर प्रकृति के नियम के विरुद्ध क्यों जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री ए० के० एम मइसहाक) : (क) यह विशिष्ट प्रेस रिपोर्ट तो सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है किन्तु यह सामान्यतः विदित ही है कि कैथोलिक चर्च गर्भपात के विरुद्ध है।

(ख) भारत के सभी बड़े-बूढ़ों का यह मत नहीं है।

(ग) गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं परिस्थितियों में, मुख्यतया जब गर्भवती स्त्री की जान को खतरा हो अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुँचनेकी सम्भावना हो तो उस जोखम को दूर करने के लिए गर्भ के चिकित्सीय समापन की व्यवस्था है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में चोरी

2430. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :**

श्री शंकरराव सावंत :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र से हाल ही में एक बहुमूल्य मशीन चुरा ली गई थी;

(ख) क्या पहले भी ऐसी चोरियां हुई हैं ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं तथापि एक पुरानी घिसी हुई स्पिण्डल, जो कि मरम्मत/रिबाइन्डिंग के लिए रखी हुई थी, खो जाने की सूचना मिली है ।

(ग) और (घ) खोये हुए स्पिण्डल के मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

वर्ष 1971 के भारत–पाक संघर्ष के बाद बन्दी बनाये गये पाकिस्तानी तथा भारतीय राष्ट्रिकों का प्रत्यावर्तन

2431. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के भारत-पाक संघर्ष के बाद बन्दी बनाये गये पाकिस्तानी तथा भारतीय राष्ट्रिक अब भी क्रमशः दोनों देशों में बन्दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक बन्दी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इन व्यक्तियों का पारस्परिक आधार पर प्रत्यावर्तन करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क), (ख) और (ग) 1971 के युद्ध के बाद से भारत और पाकिस्तान के कुछ राष्ट्रिक भारतीय पाकिस्तान में और पाकिस्तानी भारत में, नजरबंद हैं । वे अवैध प्रवेश, तस्करी आदि जैसे अपराधों से संबंधित हैं । इस वर्ग में आने वाले राष्ट्रिकों के आदान-प्रदान के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है । फिर भी, पाकिस्तान सरकार के साथ यह तै हुआ था कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा । इस कार्य के लिए दोनों देशों में स्थित स्विस मिशनों से सत्यापित सूचियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

लेबर ब्यूरो में इन्वेस्टीगेटरों, कम्प्यूटरों तथा तकनीकी कर्मचारियों को स्थायित्व का दर्जा

2432. **श्री वसन्त साठे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेबर ब्यूरो में श्रेणीवार स्थायी घोषित किए गए पदों एवं व्यक्तियों की संख्या की तुलना में इन्वैस्टीगेटर ग्रेड 1 व ग्रेड 2 कम्प्यूटरों तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या इनमें से काफी संख्या में पद नियमित तथा स्थायी हैं परन्तु उन पर काम करने वाले व्यक्तियों को गत 10 वर्षों अथवा इससे अधिक समय से अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनको स्थायित्व का दर्जा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है ।

(ग) उपलब्ध स्थायी रिक्त स्थानों पर कुछ और कर्मचारियों को यथाशीघ्र स्थायी बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण

वर्ग	काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या	स्थायी पदों की संख्या	स्तम्भ 3 में दर्शाए गए स्थायी पदों पर की गई स्थायी नियुक्तियों की संख्या	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हैं परन्तु जो अभी तक स्थायी घोषित नहीं किए गए हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अन्वेषक ग्रेड 1	43	20	2	5
अन्वषक ग्रेड 2 .	156	47	11	13
संगणक . .	159	66	24	15
पुस्तकाध्यक्ष	1	1	1	कुछ नहीं
नक्शानवीस	1	1	1	कुछ नहीं
मशीन तकनिशियन .	1	1	कुछ नहीं	कुछ नहीं
मशीन कक्ष पर्यवेक्षक .	2	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं
संवीक्षा/छेदन/सत्यापक पर्यवेक्षक	3	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं
मशीन/संवीक्षा आपरेटर	15	12	कुछ नहीं	कुछ नहीं
छेदन सत्यापन आपरेटर .	12	10	कुछ नहीं	कुछ नहीं
रोटा प्रिंट आपरेटर और रोटा मास्टर प्लेट प्रोसेसर	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

असुरक्षित स्थितियों के कारण [illegible] खानों में मौतें

2433. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोयला खानों में घातक और गंभीर दुर्घटनाओं में तेजी से हुई वृद्धि की रिपोर्टों और सुरक्षा स्थितियों के बढ़ते हुए उल्लघंनों के बारे में अपनी चिंता प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या कोयला खानों में सुरक्षा स्थितियों की बिगड़ती हुई हालत का एक कारण श्रमिक कानूनों की अवहलना करना है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कार्मिक संघों से इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि पूर्वी डिवीजन की बहुत सी खानों में श्रमिकों को सात दिनों तक काम करने के लिए बाध्य किया जाता है ; और

(ङ.) यदि हां, तो कोयला खानों में बड़े पैमाने पर हो रही मौतों को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 1974 में घातक और गम्भीर घटनाओं की संख्या क्रमशः 201 और 234 थी, जब कि वर्ष 1973 में यह संख्या 172 और 237 थी ।

(ख) और (ङ.) खानों में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में विचार विमर्श करने और उनकी विस्तत रूप रेखा तैयार करने के लिए श्रम मंत्री ने कोयला विभाग, खान विभाग के अधिकारियों और खान सुर ा महानिदेशक के साथ 20-12-1974 को एक बैठक बुलाई थी । खानों में वाईडिंग इंस्टोलेशन्स और फ्लेम प्रूफ उपस्करों के मानकों को कायम रखने में सुधार के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खानों के सामान्य निरीक्षणों के अतिरिक्त सितम्बर और नवम्बर, 1974 के महीनों में विशेष सुरक्षा अभियान भी चलाए थे ।

(ग) और (घ) इस आशय की कुछ शिकायतें की गई थीं कि पूर्वी प्रभाग की कुछ खानों में श्रमिकों को सप्ताह में सात दिन काम करने पर मजबूर किया गया ।

राज्यों में औषधालयों का दिन-रात खुले रहना

2434. श्री एन० आर० वेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दिन-रात खुले रहने वाले कुछ औषधालय खोले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों को राज्यों के बड़े नगरों में भी ऐसे ही औषधालय खोलने के निदेश जारी करने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) सामान्य और आपातकालीन इलाज के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के तीस औषधालय रात-दिन कार्य कर रहे हैं ।

(ख) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

एशियाई सामूहिक सुरक्षा

2435. श्री बी० वी० नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र-सहायता दिये जाने तथा दिएगो गार्शिया में नौसैनिक अड्डा बनाये जाने के कारण एशियाई सामूहिक सुरक्षा के लिये रूसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा नये सिरे से विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो हिन्द महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन में आये अन्तर को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) सोवियत संघ ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा का विचार प्रस्तुत किया था लेकिन इसके क्रियान्वयन का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं हुआ है। हमारी नीति का हमेशा ही एक यह उद्देश्य रहा है कि एशिया में शांति एवं सहयोग के लिए प्रयास किया जाय। इसलिए हम अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले प्रयासों का बरोबर समर्थन कर रहे है तथा उन प्रयासों का विरोध करते हैं जिनसे तनावों की, विशेष रूप से अपने पड़ोस में वृद्धि होती हो। तटवर्ती तथा अन्य संबंधित देशों के परामर्श से सरकार हिन्द महासागर से विदेशी सैनिक अड्डों को समाप्त करने तथा इसमें शांति का क्षेत्र स्थापित करने के लिए संयक्त राष्ट्र में त ा अन्य उपयुक्त मंचों पर और अपनी द्विपक्षीय राजनय के माध्यम से भी अपने प्रयास जारी रखगी।

रक्त के निर्यात पर रोक

2436. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से रक्त के निर्यात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 (संशोधित) की अनुसूची 1 के अन्तर्गत सरकार ने 21 दिसम्बर, 1974 से निम्नलिखित पदार्थों के ,नर्यात पर पहले से ी प्रतिबन्ध लगा दिया है—

(i) कच्चे प्लेसेंटा, प्लेसेंटल रक्त/प्लाज़मा ;

(ii) पूर्ण मानव रक्त/प्लाजमा तथा मानव गामा मुलोबुलन और मानब प्लासेण्टा और मानव प्लासेण्टल रक्त से निर्मित मानव-सीरम-अल्बुमिम को छोडकर मानव रक्त से तैयार किये गये सभी पदार्थ।

श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए विधान

2437. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रमिक संघीय केन्द्रीय संगठनों की नवीनतम् सदस्य-संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में एक व्यापक विधान पेश करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विधान संभवत: कब तक पेश किया जायगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सदस्यता सम्बन्धी पिछली आम जांच के अनुसार, श्रमिकों के निम्नलिखित चार केन्द्रीय संगठनों की सदस्यता सम्बन्धी सत्यापित आंकड़े इस प्रकार थे :—

1. इन्टक	13,26,152
2. एटक	6,34,802
3. एच एम एस	4,63,772
4. यू टी यू सी	1,25,754

(ख) अलग-अलग श्रमिक संघों को मान्यता देने के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

(ग) विधेयक को संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे है।

बंगलादेश को बधाई सन्देश

2438. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के राष्ट्रपति द्वारा अपना नया कार्यभार संभालने पर भारत सरकार ने बंगलादेश के राष्ट्रपति को बधाई सन्देश भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो भेजे गये सन्देश का ब्यौरा क्या है और इस बधाई सन्देश के बारे में बंगलादेश और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) प्रधान मंत्री ने शेख मुजीबुर्रहमान द्वारा गणप्रजातन्त्री बंगलादेश के राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालने पर बधाई संदेश भेजा था

(ख) संदेश में कहा गया है : गणप्रजातंत्री बंगलादेश के राष्ट्रपति के उच्च पद का कार्यभार संभालने पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करें। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की तथा आपके सामने जो काम है उनकी सफलता की कामना करते हैं और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सम्बंधों को और भी दृढ़ बनाये जाने की आशा करते हैं।

इस सन्देश का बंगलादेश में काफी प्रचार किया गया। पाकिस्तान सरकार द्वारा इस संदेश पर टीका-टिप्पणी की जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

भारतीय झण्डे के अन्तर्गत व्यापारी पोत

2439. **श्री एच० के० एल० भगत् :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय झण्डे के अन्तर्गत इस समय व्यापारी पोतों की संख्या कितनी है और उनकी ढुलाई क्षमता कितनी है, और

(ख) भारत में उनके निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 1-2-75 की स्थिति निम्न प्रकार है :

	जहाजों की संख्या	जी०आर०टी०	डी०डब्ल्यू० टी०
		(लाखों में)	
समुद्रपारीय व्यापार टनभार . .	234	34.32	54.57
तटीय व्यापार टनभार . . .	61	2.79	4.04
कुल . .	295	37.11	58.61

(ख) भारतीय रजिस्टर पर के जहाजों में स्वदेश में निर्मित अनेक जहाज हैं। उदाहरणार्थ हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने अब तक 5.51 लाख टन भार के विभिन्न आकार और प्रकार के 64 जहाजों और जलयानों का निर्माण और सुपुर्द किया।

औद्योगिक संबंधों संबंधी विधेयक के मसौदे पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन से विचार-विमर्श

2440. **श्री निंबालकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने औद्योगिक सम्बंधों के बारे में प्रस्तावित विधेयक का मसौदा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में परिचलित किया था ;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की आगामी बैठक में इस विधेयक पर चर्चा करने का वचन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की आगामी बैठक कब बुलाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग की मुख्य सिफारिशों पर, जिन्हें कि औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को अन्तिम रूप देने के समय ध्यान में रखा जा रहा है, विभिन्न त्रिपक्षीय बैठकों (भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति सहित) और अन्य गोष्ठियों में विचार विमर्श किया गया था और इसलिए इन विषयों पर भारतीय श्रम सम्मेलन में पुनः विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) अभी तक कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। हम निकट भविष्य में सम्मेलन को आयोजित करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता देना

2441. **श्री हरी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विश्व के देशों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को भारत में और भारत सरकार द्वारा क्या सुविधायें दी गई है और दी जायेंगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) कुछ समय से सरकारने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को फिलिस्तानी लोगों के न्यायोचित अधिकारों की पुनः प्राप्ति के संघर्ष में न्यायोचित प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिलिस्तीनी पक्ष के प्रति हमारा समर्थन और सहानुभूति स्वाधीनता के पहले जमाने से हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारी बहुमत से इस पक्ष को समर्थन दिया है और सहानुभूति प्रकट की है।

(ग) फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने भारत में संगठम का कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था। जिसे भारत सरकार ने अनुमति दे दी है।

चीन-भारत संबंधों को सामान्य बनाने के लिये नया रुख अपनाना

2442. **श्री सरजू पांडे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दृष्टि से कलकत्ता में आयोजित विश्व टेबिलटेनिस चैंपियनशिप के समय कोई नया रूख अपनाया है ;

(ख) क्या इस आशय के समाचार सरकार के ध्यान में लाये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :(क) (ख) और (ग) कलकत्ता में आयोजित विश्व टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप लिए चीनी शिष्टमण्डल नेता से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में दिए गए प्रेस वक्तव्य की रिपोर्ट सरकार ने देख ली है।

सरकार से कोई बात नए सिरे से नहीं की गई है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति

2443. **श्री राजदेव सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल रहा है ;

(ख) क्या छोटे परिवार के शैक्षिक मल्य पर जोर देने की बजाये धन तथा अन्य लाभ देने का मार्ग अपनाने से जनसंख्या की वृद्धि रूक नहीं सकी ; और

(ग) यदि नहीं, तो गत 10 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के0एम0 इसहाक) : (क) जी नहीं । परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों के दौरान रोके गए जन्मों की संख्या के परिणामस्वरूप यह अनुमान है कि राष्ट्रीय जन्म दर जो 1961 में 41.7 प्रति हजार जनसंख्या थी, वह घट कर 1972-73 में 36.5 और 1973-74 में 35.4 प्रति हजार जनसंख्या हो गई है । अनुमान लगाया गया है कि मृत्यू दर जो 1951-60 में 22.8 प्रति हजार थी वह बड़ी तेजी से घट कर 1972 में 16.9 प्रति हजार जनसंख्या रह गई है । यदि जन्म दर उपर्युक्त स्तर तक न घटी होती तो जनसंख्या की वृद्धि दर वर्तमान दर से कहीं अधिक हो गई होती ।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है और जन शिक्षा तथा केफेटेरिया आधार पर सेवाओं की व्यवस्था करने पर बल दिया जाता है । विस्तृत जन शिक्षा और प्रेरणा कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत सभी उपलब्ध शक्षिक प्रचार सामग्री और विधियों का उपयोग किया जाता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है । नसबन्दी/लूप कार्यक्रम को स्वीकार करने वालों को उनके वेतन की हानि के बदले आर्थिक रूप में कुछ मुआवज़ा देना वांछनीय है ।

(ग) एक विशेषज्ञ समिति ने पिछली दोनों पांच-पांच वर्षो की अवधियों में जो अनुमान लगाये हैं, वह इस प्रकार हैं :—

अवधि	जन्म दर (प्रति हज़ार जन संख्या)	मृत्यु दर (प्रति हज़ार जनसंख्या)	वृद्धि दर प्रतिशत
1966—71 .	38.8	17.0	2.18
1971—76	35.5	15.0	2.05

राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना और गणतन्त्र दिवस की रजत जयन्ती

2444. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना और गणतंत्र की रजत् जयन्ती बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन तीनों अवसरों के लिये क्या विशेष कार्यक्रम आयोजित किए थे ;

(ग) उक्त अवसर पर कितना व्यय हुआ और व्यय किन विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत हुआ ; और

(घ) राजधानी तथा राज्यों की राजधानियों में समारोहों में कुल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बो० पटनायक) : (क) नेशनल कडेट कोर का रजत जयन्ती समारोह 1973 में और प्रादेशिक सेना का 1974 में हुआ था। गणतंत्र दिवस का कोई रजत जयन्ती समारोह नहीं हुआ।

(ख) नेशनल कैडेट कोर की रजत जयन्ती सारे भारत में मनाई गई और परेड, प्रदर्शनी रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे समारोहों का आयोजन किया गया था। डाक व तार विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी की गई थी। प्रादेशिक सेना के लिये भी 1974 में एक डाक टिकट जारी की गई थी। प्रादेशिक सेना की एक विशेष परेड दिल्ली में हुई थी। फ़िल्म प्रभाग द्वारा प्रादेशिक सेना पर एक वृत्त चित्र जारी किया गया था। नेशनल कडेट कोर और प्रादेशिक सेना की गतिविधियों को विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रचारित किया गया था।

(ग) राज्य सरकारों और स्थानीय संगठनों द्वारा किए गए खर्च की जानकारी नहीं है। अन्य ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) नेशनल कडेट कोर के रजत जयन्ती के विभिन्न समारोहों में जिन कैडेटों ने भाग लिया उनकी संख्या बताना संभव नहीं है। प्रादेशिक सेना की परेड में दिल्ली में 500 कार्मिक ने और राज्यों की राजधानियों में परेड में कुल 2393 कैडेटो ने भाग लिया।

विवरण

एन सी सी और प्रादेशिक सेना के रजत जयन्ती समारोह पर किया गया व्यय

(क) नेशनल कैडेट कोर :

(1) प्रचार के लिये	10,550 रुपए
(2) परिवहन इत्यादि	1,666 रुपए
जोड़	12.216 रुपए

(ख) प्रादेशिक सेना :

(1) समारोह परेड, जलपान, बड़ाखाना, विविध मनोरंजन		24,303.44 रुपए
(2) पुरस्कार	.	24,750.00 रुपए
(3) प्रचार/फोटो	.	1,317.43 रुपए
(4) मानदेय		2,000.00 रुपए
जोड़	.	52,370.87 रुपए

बलायार, केरल में चूनापत्थर के निक्षेप

2445. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के पालघाट जिले में बलायर में बड़ी मात्रा में चूना पत्थर के निक्षेपों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निक्षेपों का गहनता से सर्वेक्षण करने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) पहले से किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप, केरल के पालघाट जिले में वायलार क्षेत्र के पंडारेट्ट नामक स्थान में 117.50 लाख टन फलक्स ग्रेड चूना पत्थर के भंडार का अनुमान लगाया गया है। अतिरिक्त भंडार की पुष्टि तथा आवश्यक भू-वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम खनिज समन्वेष निगम को, केरल सरकार ने अब एक ठेका दे दिया है, ताकि वे इन भंडारों पर आधारित, एक सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए पूंजी निवेश के बारे में निर्णय ले सकें।

कर्नाटक में लौह-अयस्क खानों का यंत्रीकरण

2446. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में इस बीच लौह-अयस्क खानों का पूर्ण रूप से यंत्रीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन लौह-अयस्क खानों में प्रतिदिन कितना उत्पादन होता है; और

(ग) लौह-अयस्क जापान को निर्यात करने से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय हो रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक लौह अयस्क की तीन पूर्णतया यंत्रीकृत खानें हैं। उन खानों का 1974 की अवधि का उत्पादन

ीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	मालिक का नाम	खान का नाम	1974 का उत्पादन
			(टन)
1	मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड	कामिनगुन्डी	62,956
2	तुंगभद्रा मिनरल्स लिमिटेड . .	यूबालागुन्डी (दक्षिणी खंड)	51,266
3	डालमियां सीमेंट (बी) लिमिटेड . .	वी०आर०एच० खान	3,44,640

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम दोनीमलाई में एक पूर्णतया यंत्रीकृत खान का विकास कर रही है। कार्यक्रम के अनुसार यह खान 1976 में चालू हो जायेगी।

उपर्युक्त यंत्रीकृत खानों के अलावा पांच अद्र्ध-यंत्रीकृत खानें भी हैं।

(ग) 1973-74 की अवधि में भारत से जापान को लौह-अयस्क के निर्यात से लगभग 9 करोड़ रुपये की आय हुई थी।

एक उद्योग में एक यूनियन के लिए विधेयक

2447. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ केन्द्रीय मंत्रियों, उद्योगपतियों तथा मजदूर संघों के नेताओं के इन कथित विचारों की ओर दिलाया गया है कि एक उद्योग में एक ही यूनियन होनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार का विचार बजट सत्र 1975 में उक्त विधेयक प्रस्तुत करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क), (ख) और (ग) एक उद्योग में एक यनियन के विचार पर, समर्थन समय समय पर विभिन्न संबंधित पक्ष करते रहे है, सरकार प्रस्तावित औद्योगिक संबंध विधेयक के संदर्भ में विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक संबंध विधेयक को संसद में यथा शीघ्र पेश करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रत्नागिरि (भगवती) पत्तन परियोजना को पूरा किया जाना

2448. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में रत्नागिरी (भगवती) पत्तन परियोजना संबंधी कितना कार्य किया गया है और कितना कार्य करने का प्रस्ताव है ;

(ख) कार्य की गति धीमी होने के क्या कारण है; और

(ग) उक्त परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) छोटे पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1500 फुट से 1900 फुट तक पनकट दीवार के विस्तार संबंधी कार्य और कुछ अतिरिक्त भूमि का सुधार कार्य प्रगति में हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि हाथ में लिये हुए कार्य पूरे जोर से चल रहे हैं और उनके 1976 के अन्त तक पूरे हो जाने की संभावना है।

होनोलूलू में भारत का कौंसल

2449. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब होनेलूलू तथा हवाई में भारत के कौंसिल श्री डेविड बतुमुल है ;

(ख) यदि हां, तो उनका पूर्ववृत्त क्या है ;

(ग) क्या उनका ध्यान (एक) होनोलूलू स्टार बुलेटिन दिनांक 14 मई 1963 (दो) होनोलूलू एडवर्टाइज़र दिनांक 16 जून 1971 (तीन) होनोलूलू स्टार बुलेटिन दिनांक 15 जून 1971 (चार) होनोलूलू स्टार बुलेटिन दिनांक 5 मई 1972 तथा (पांच) होनोलूलू एडवर्टाइजर दिनांक 5 मई 1972 द्वारा श्री डेविड बतुमुल के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) जी नहीं। इस आशय के एक प्रस्ताव पर सरकार आजकल विचार कर रही है।

(ख), (ग) और (घ) डेविड वाटुमल से संबद्ध समाचार में दी गई सूचना की सरकार को जानकारी है और वह अन्तिम निर्णय तक पहुंचने से पहले इसको ध्यान में रहेगी।

Visit to India by Foreign Minister of Jamaica

2450. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether talks to explore the possibilities of trade between India and Jamaica were held during the visit of Foreign Minister of Jamaica to this country during the last week of January, 1975;

(b) whether Jamaican Government have a desire for India's cooperation in technical and scientific field; and

(c) if so, the facts thereof and whether Government of India propose to take some steps to promote trade with Jamaica in future?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) While no formal talks on trade were held as the visit was mainly for consultations on the forthcoming conference of Heads of Commonwealth countries proposed to be held in April-May, 1975 in Jamaica, there is a mutual desire to develop trade and economic co-operation between India and Jamaica.

(b) & (c) Yes, Sir. The Jamaican Government desire to recruit Indian engineering experts in designs, sanitation, irrigation and construction. Interest has also been expressed in the services of legal draftsmen, a bauxite expert and an airport consultant. Bio-data of 26 candidates have already been supplied. Our exports to Jamaica consist of fish, cashew kernels, rubber manufactures, cotton and synthetic fabrics. We are also trying to export light engineering goods, construction materials, agricultural implements, hospital equipment and pharmaceuticals.

केरल में पता न लगाये गये खनिज

2451. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विभिन्न प्रकार के खनिजों के विपुल भण्डारों का अभी पता नहीं लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भण्डारों का पता लगाने के लिये राज्य के सभी क्षेत्रों में अध्ययन दल नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क), (ख) व (ग) खनिजों की खोज, निरंतर चलने वाला कार्य है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था केरल में पहले ही लोह अयस्क, फ्लक्स ग्रेड चुना पत्थर, सीमेंट ग्रेड चूनाश्म, बाक्साइट, चीनी मिट्टी, फाउंड्री तथा शीशा रेत, ग्रेफाइट और इलमेनाइट मोनेज़ाइट रेत के विस्तृत निक्षेपों का पता लगा चुकी है।

चालू क्षेत्रगत सत्र (1974-75) में राज्य के विभिन्न भागों में सुव्यवस्थित भू-वैज्ञानिक मान चित्रण के अतिरिक्त, विभिन्न खनिजों के बारे में और अधिक खोज कार्य किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर

2452. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला त्रिपुरा में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के 16 डाक्टरों की उचित मांग को एक लम्बे समय से स्वीकार नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि उनके मामले को निपटाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इन डाक्टरों के मामलों को अभी तक न निपटाये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) त्रिपुरा में काम करने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के 16 डाक्टरों की वरीयता निश्चित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक

2453. **श्री राम कंवर बेरवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों, नियोजकों तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली त्रिपक्षीय निकाय, भारतीय श्रम सम्मेलन की काफी समय से कोई बैठक नहीं बुलाई गई है हालांकि आज औद्योगिक अशान्ति पहले के किसी समय से सब से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक न बुलाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या श्रमिकों और नियोजकों के साथ यदि उपयुक्त समयपर परामर्श नहीं किया गया तो अधिक अशांति होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन का पिछला अधिवेशन (26 वां) अक्तूबर, 1971 में हुआ था। सरकार निकट भविष्य में सम्मेलन को आयोजित करने के लिए विचार कर रही है।

(ख) सम्मेलन में नियोजकों और श्रमिकों के ग्रुपों के गठन में कुछ परवर्तन आवश्यक समझे गए थे और उन्हें तय करना था।

(ग) अ र (घ) जब कभी आवश्यक समझा जाता है, श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों से परामर्श किया जाता है।

Remains of Shri Madan Lal Dhingra in Britain

2454. **Shri Jharkhande Rai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the progress made in regard to bringing to India the remains of the brave revolutionary Shri Madan Lal Dhingra from Britain ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : We are continuing our efforts to find out whether Shri Madan Lal Dhingra's grave can be identified. The question of bringing his remains to India would be considered after the grave has been identified.

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिन्दी को काम-काज की भाषा के रूप में मान्यता देना

2455. क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे हिन्दी को राष्ट्रसंघ की एक भाषा के रूप में मान्यता देने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध करें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास): (क) और (ख) सरकार ने न्यूयार्क स्थित अपने स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में हिन्दी को शामिल करने की संभावनाओं के संबंध में अन्य प्रतिनिधि मंडलों से परामर्श करने के निदेश दिये हैं। इस संबंध की प्रतिक्रिया तथा संभावनाओं के मूल्यांकन के आधार पर यथा-वश्यक आगे कार्रवाई की जायगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनदायिनी औषधियां सप्लाई करने की योजना

2456. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार योजना नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुदूर आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को सस्ती दरों पर जीवनदायिनी औषधियां सुलभ कराने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां।

(ख) मानक दवाइयों को उचित कीमत पर तैयार करने संबंधी एक योजना को पांचवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 100 दवाइयों की एक सूची तैयार की गई है जिन के निर्माण पर विचार किया जायेगा और ये दवाइयां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की मुख्य एजेंसियां हैं, आम लोगों को सप्लाई की जाएंगी। इस योजना के लिये पांचवीं योजना में 5 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के लिये दवाइयों के प्रावधान को बढ़ा कर क्रमशः 12,000 रुपये और 2,000 रुपये कर दिया है।

मारिशस की द्वितीय योजना के लिए उसके साथ करार

2457. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई में आरम्भ होने वाली मारिशस की द्वितीय योजना के लिए भारत और मारिशस के बीच हाल में कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन उपमार्ग (बाईपास) को पूरा किया जाना

2458. **श्री वयालार रवि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन उपमार्ग में दो पुलों सहित उस उपमार्ग के निर्माण के लिये अन्तिम मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है तथा इस महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र पूरा कराने लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) कोचीन उपमार्ग पर जितने कार्य स्वीकृत हुये हैं उनकी अनुमानित लागत कुल 330.583 लाख रुपय है जिसमें 173.660 लाख रुपये के सड़क कार्य और 156.923 लाख रुपये के 5 पुल कार्य हैं। सिवाय दो पुल अर्थात् पनानगढ़-कुम्वालय और अरूर कुम्बालय जिन पर काम शुरू नहीं किया गया है कार्य प्रगति पर हैं। ये कार्य धन के उपलब्ध होने पर पांचवी पंचवर्षीय योजना काल के उत्तरार्ध में पूरे हो जायेंगे।

केरल में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय

2459. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ख) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है और वहां इस कार्यालय के कब से कार्य आरम्भ कर देने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) कोचीन, केरल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में देरी का मात्र कारण यह है कि कार्यालय के लिए समुचित स्थान नहीं मिला।

(ख) पिछले छह महीनों में सरकार अर्नाकुलम में निर्माणाधीन एक निजी इमारत को राज्य सरकार के माध्यम से किराए पर लेने पर बातचीत चलाती रही है। पता चला है कि यह इमारत अब कब्जा करने के लिए सुलभ है और जैसे ही किराया तय करने की बातचीत पूरी हो जायेगी कार्यालय को मद्रास से अर्नाकुलम ले जाने के प्रबंध कर दिए जाएंगे। आशा है कि वह कार्यालय अगले तीन महीनों के अन्दर वहीं काम करने लग जायेगा।

हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम के कार्य में प्रगति

2460. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित हिन्दुस्तान लैटेक्स के विकास कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक पूरे किये गये कार्य की संक्षिप्त रुपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाके) : (क) और (ख) सिविल निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है। परियाजना के विस्तार के लिए बायलर तथा अन्य बड़े-बड़े उपकरणों की सप्लाई के लिए आदेश दे दिये गये हैं। फिर भी कार्य पूरा होने में कुछ देर हो जाने की सम्भावना है।

T. A. Drawn by Managing Director, Hindustan Zinc Limited, Udaipur

2461. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the amount of travelling allowance drawn by the Managing Director, Hindustan Zinc Limited, Udaipur during the years 1973-74 and 1974-75 separately;

(b) whether any action is being taken by Government to reduc expenditure on travelling allowance; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministery of Steel And Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) Travel expenses of the Chairman-cum-Managing Director, Hindustan Zinc Limited, Udaipur. were of the order of Rs. 28.277 and Rs. 5,495 (provisional) respectively during 1973-74 and 1974-75 (upto January, 1975).

(b) & (c) Instructions have been issued to all public undertakings including Hindustan Zinc Ltd., to effect economy in non-plan expenditure and administrative overheads like travelling allowance, etc. to the extent possible.

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के लिए 'हालो ड्रिल राड्स'

2462. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी०सी० राड्स के स्टाक में वृद्धि के कारण टी० सी० बिट शिप (सेन्ट्रल वर्कशाप तथा बी०जी०एम०एल०) में दूसरी पारी बन्द हो गयी थी;

(ख) खानों का काम चलाने के लिए टी०सी० राड्स की प्रतिमास कितनी आवश्यकता है तथा "हालो ट्रिल राड्स" (कनाडा) सहित उसकी वर्तमान स्टाक स्थिति क्या है; और

(ग) क्या चेयरमन एवं प्रबन्ध निदेशक ने 68 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की लागत पर कनेडा को 1300 मीटरी टन हालोड्रिल राड के लिए आर्डर दिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय वर्कशाप की टी०सी० बिट् शाप की दूसरी पाली का काम मुख्य रूप से, कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली में कटौती किए जाने के कारण बन्द हुआ है, टी० सी० छड़ों (राड्स) के स्टाक में वृद्धि के कारण नहीं।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लि० की, पूर्व खपत के आधार पर "हालो एलाय ड्रिल स्टील राड्स" की औसत जरूरत लगभग 4 टन प्रति मास है। कम्पनी के पास इस समय तयार ड्रिल राड्स का स्टाक लगभग 19 टन है। "हालो एलाय ड्रिल स्टील" का वर्तमान स्टाक लगभग 154 टन है। अपनी तथा अन्य खनन उद्योगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत गोल्ड माइन्स लि०, तैयार ड्रिल राड्स का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा है।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० द्वारा 730 टन हालो एलाय ड्रिल राड्स तथा 200 टन एक्सटेन्सन ड्रिल राड्स को प्राप्ति के लिए 25-4-74 को एक मांग पत्र भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन को भेजा गया था। इसके लिए कम्पनी को 68 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा मंजूरी की गई थी।

सशस्त्र सेनाओं के शहिदों तथा शौर्य प्रदर्शन के लिए इनाम पाने वाले सैनिकों के सहासिक कार्यों तथा बलिदान का वर्णन करने वाले प्रकाशन

2463. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युद्ध क्षेत्र में अथवा राहत कार्य आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में शहीदों तथा सशस्त्र सेनाओं में शौर्य प्रदर्शन के लिए इनाम पाने वाले सैनकों के साहसिक कार्यों तथा बलिदानों का वर्णन करने वाले उपयुक्त सचित्र प्रकाशनों को निकालेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

रक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार समय समय पर ऐसे प्रकाशन निकालती है। 1958 में "आनर्स एण्ड अवार्ड फार आर्मड फोर्सिस" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। 1963 में इसका संशोधित संस्करण निकाला गया था। इसका अद्यतन संस्करण तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार के अन्य प्रकाशन ये हैं। "वार इन पिक्चर", "रिमेम्बर्ड ग्लोरी" तथा "बंगलादेश एण्ड इंडो-पाक वार"।

'रिज़र्विस्ट्स' की पेन्शन में वृद्धि

2464. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रिजर्विस्टस्' को भी पेंशन में वृद्धि की मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की मंजूरी दी गई है ?

रक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सेवा कार्मिकों के वेतन और पेंशन संरचना की जांच करने वाले तृतीय वेतन आयोग ने "रिजर्विस्टस" पेंशन की राशि में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है। तथापि, इस प्रश्न पर सरकार द्वारा अलग से जांच की जा रही है।

तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरुप सरकार ने पेंशन पाने वालों को कतिपय राहत मंजूर की है। ये राहतें पेंशन पाने वाले रिजर्विस्टस को भी दी गई है। जो राहतें दी गई हैं उनकी दरें निम्नांकित हैं :—

(1)	1-1-1973 अथवा उसके पश्चात सेवा निवृत्त रिजर्विस्टस के लिए	1-8-1973 से 5 रुपए प्रतिमास, 1-1-1974 से 10 रु० प्रतिमास और 1-4-1974 से 15 रु० प्रतिमास।
(2)	जो 1-1-1973 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए हैं	उपर्युक्त (1) में दी गई राहत के अतिरिक्त 1-1-1973 से 15 रुपए प्रतिमास।

वर्ष 1974 तथा 1975 के दौरान विदेशी राज्याध्यक्षों द्वारा भारत की यात्रा

2465. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी राज्याध्यक्षों के नाम क्या है जिन्होंने वर्ष 1974 में तथा 28 फरवरी 1975 तक भारत की यात्रा की;

(ख) उनमें से प्रत्येक के साथ किस प्रकार के करारों पर हस्ताक्षर किये गये;

(ग) उनमें से हरेक द्वारा हिन्द महासागर की स्थिति तथा एशियाई सुरक्षा के बारे में क्या विचार व्यक्त किये गये; और

(घ) उनके विचारो का व्यापक प्रचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यात्रा करने वाले राज्याध्यक्ष मोटे तौर पर हिन्द महासागर को विदेशी सैनिक अड्डों और बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्दिता से मुक्त, शांत क्षेत्र बनाने की नीति से सहमत थे।

(घ) इनके विचारों का अखबार, रेडियो और दूर-दर्शन द्वारा काफी प्रचार किया गया।

विवरण

क्रम सं०	राज्याध्यक्ष का नाम	यात्रा के दौरान जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये।
1	महामान्य श्री जोसिफ ब्रोज़ टीटो, यूगोस्लाविया समाजवादी गणतंत्र के राष्ट्रपति।	..
2	महामान्य श्री अनवर अल सादात, अरब गणराज्य, मिश्र के राष्ट्रपति।	..
3	महामान्य यू ने विन, बर्मा संघ समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति और राज्य परिषद के अध्यक्ष।	
4	महामान्य श्री लिओपोल्ड सेडार संघोर, सेनेगल गणतंत्र के राष्ट्रपति	आर्थिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग के लिए करार।
5	महा परिमामय सम्राट मोहम्मद रज़ा पहलवी आर्य मेहर, ईरान के शहंशाह और महा गरिमामय सम्राज्ञी फराह पहलवी ईरान की शाहबानो।	
6	महामान्य श्री अलबर्ट-बरनार्ड बोंगों, गेबोन गणतंत्र के राष्ट्रपति और शासनाध्यक्ष	कार्यवृत्त पर सहमति हुई, उद्योग एव नागरिक सम्भरण मंत्री श्री टी० ए० पाई और अर्थव्यवस्था एवं वित्त के अवर मंत्री श्री पॉल मोकम्बी ने हस्ताक्षर किये और पत्रों का विनिमय हुआ।
7	महामान्य गफार मोहम्मद निमेरी, सूदान लोक गणराज्य के राष्ट्रपति।	आर्थिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग और सांस्कृतिक मामलों के बारे में करार।
8	मलयेशिया के महामहिम यांग द पातुआं आयोग	..
9	महामहिम जिम्मे सिंपे वांग्चुके, भूटान नरेश।	..
10	राजमान्य जईद बिन सुलतान अल् नहयान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति।	भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग से संबंधित पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। सांस्कृतिक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए।

क्रम सं०	राज्याध्यक्ष का नाम	मात्रा के दौरान जिन समझौते पर हस्ताक्षर किये ।
11	महामान्य डा0 कैनेथ डी0 कोंडा, जाम्बिया गणतंत्र के राष्ट्रपति ।	(i) आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए करार । (ii) द्विपक्षीय सहयोग के लिए प्रोतोकोल
12	श्रीलंका गणतंत्र के राष्ट्रपति महामान्य श्री विलियम गोपाल्लव, और श्रीमती गोपाल्लव ।	
13	महामान्य, सम्मानीय सर जोन केर, के0 सी0 एम0 जी0 के0 स्ट0 जे0, क्यू0 स0, आस्ट्रेलिया के गव्हर्नर जनरल ।	

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 पर वे टूट गई कोट्टापुरम तथा बरापुझा पर पुलों का निर्माण

2466. श्री बरके जार्ज : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कोट्टापुरम में एदापल्ली तक की तटीय सड़क को राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 के अंग के रूप में घोषित किया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यातायात के लिये सड़क का उपयोग करने हेतु वे टूट गई कोट्टापुरम तथा वरापुझा पर तीन बड़े पुलों का शीघ्रनिर्माण किया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो इन पुलों को पुरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परीवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : पुलों की आवश्यकता, कुट्टीपुरम् और एडापल्ली (एर्नाकुलम) के बीच के भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 17 के लिये हाल ही में बदल गये मार्ग से संबंधित है। कुट्टीपुरम् और त्रिचूर के बीच पुराने मार्ग पर पहले ही से पूर्णरूपेण पुल मौजूद है। त्रिचूर और एर्नाकुलम राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 47 द्वारा जुड़े हुय हैं। कुट्टीपुरम और एडापल्ली (एर्नाकुलम) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 17 के परिवर्तित मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के अनुसार विकास, धन की उपलब्धता के अनुसार ही किया जायेगा। राज्य सरकार मौजूदा स्तर के लिये सूचीबद्धता मार्ग की कमियों और जांच तथा पुलों की आवश्यकता सहित विकास कार्यों के लिये विस्तृत प्रस्तावों के निर्माण के संबंध में काय कर रही है।

Languages used in text of various treaties

†2467. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the languages used in the texts of the treaties entered into with foreign countries in last one year?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : India signed a large number of treaties with several foreign countries during the last one year. The languages used were English, Hindi and the national languages of the countries concerned.

Hospitals in Delhi

2468. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) The total number of hospitals in Delhi and hospital-wise number of rooms and beds available for patients;

(b) whether Government also propose to develop these hospitals and construct new hospitals; and

(c) if so, the outlines threof ?

Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a), (b) & (c) The information is being collected and will be furnished as soon as possible.

Workers Covered under Esis in MP

2469. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of workers in Madhya Pradesh covered under the Employees State Insurance Scheme;

(b) whether complaints have been received from the workers that the said scheme is not, proving beneficial to them as they do not get medicines, drugs and injections; and

(c) if so, the remedial measures being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information:

(a) 1,28,000.

(b) and (c) : No complaint has been received by the Corporation. However, the administration of Medical benefit under the Employees State Insurance Act, 1948 being the responsibility of the State Governments, it is for the Government of Madhya Pradesh to look into the matter.

Representation of Madhya Pradesh in Field posts staff of Labour Bureau

2470. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the representation of Madhya Pradesh on the field posts staff of Economic Investigators Grade I and II under the labour Bureau is either nil or comparatively very low;

(b) if so, the measures adopted or being adopted to remove this disparity; and

(c) the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) Recruitment is made on an all India basis and there is no reservation for any State.

(b) and (c) : Two thirds of the posts of Investigators Grade I are recruited through the U. P. S. C. on all India basis. The rest, one third, is by promotion. In respect of Investigators Grade II, the vacancies to be filled by direct recruitment are advertised in the newspapers through the Central Employment Exchange.

Assistance to Nepal

2471. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Nepal has recently requested the Government of India to give assistance for development;

(b) if so, the nature of assistance asked for; and

(c) the reaction of the Government of India thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a), (b) & (c) India has been providing development assistance to Nepal since 1951. Over the last 10 years, the quantum of such aid has averaged about Rs. 8·7 crores per annum. Wide-ranging discussions on Indo-Nepal economic cooperation were held in February, 1974 when the Vice Chairman of the Nepalese Planning Commission visited India. India then agreed to assist Nepal in the construction of the Devighat Hydro-electric Project, the Kathmandu-Dhankuta Road, and subject to feasibility, assist in the setting up of a Cement Factory. Other areas in which Indo-Nepal economic cooperation would be beneficial were also identified.

A formal agreement on the Devighat Project is to be finalised shortly.

Assistance to Sikkim

2472. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Sikkim has recently requested the Government of India to give assistance for development;

(b) if so, the nature of assistance asked for; and

(c) the reaction of the Government of India thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a), (b) & (c) : Government are committed to assist in securing the rapid economic and social development of Sikkim. Towards this end the Government have been giving all the assistance that is necessary and possible. In the current financial year Rs. 462 lakhs have been allocated for the economic development of Sikkim. Special emphasis is being given to projects which would bring concrete and immediate benefits to people of Sikkim, particularly the poorer sections and those living in rural areas.

भारत में बेरोजगार डाक्टर

2473. श्री बरके जार्ज : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 25,000 डाक्टर बेरोजगार हैं;

(ख) क्या गत 10 वर्षों में लगभग 15,000 डाक्टर विदेश चले गये हैं;

(ग) क्या ऐसा रोजगार के अवसर कम होने तथा योग्य चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त लोगों को उच्च प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रवृत्ति से हमारे लोगों के स्वास्थ्य पर निकट भविष्य में दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता न मिल सकेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिए बेरोजगार डाक्टरों अथवा वे डाक्टर जो पिछले दस सालों में विदेश चले गये हैं, के सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत में डाक्टरों के लिए रोजगार के अवसर तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण को सुविधायें पर्याप्त समझी जाती हैं। वैसे, भारतीय डाक्टरों के विदेश जाने के जो कारण है, वे बड़े पेचीदा हैं। उनमें से कुछ तो उच्चतर प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, अन्य वहां पर अनुसंधान को अच्छी सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण विदेश चले जाते हैं और कुछ लोग विकसित देशों में काम करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे देशों में परिलब्धियों का सामन्य स्तर काफ़ी अच्छा होता है।

(घ) देश से डाक्टरों के विदेश चले जाने पर डाक्टर और जन संख्या के अनुपात में निश्चय ही परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है और उसी अनुपात में लोगों को चिकित्सा की उपलब्ध होने वाली सुविधाओं में भी गिरावट आ जायेगी।

(ङ) प्रतिभा प्रवास को रोकने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनका एक विवरण संलग्न है। इसके अलावा अमरीका की विदेश चिकित्सा स्नातक शिक्षा परिषद ई० सी० एफ० एम० जी०) की परीक्षा पर, जिससे भारतीय डाक्टर अमरीका में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता प्राप्त कर लेते थे, प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9115/75**]

बंबई पत्तन पर तेलवाही जहाज और मालवाही जहाज में टक्कर

2474. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 फरवरी, 1975 की रात को बंबई पत्तन पर तेलवाही जहाज और मालवाही जहाज के बीच हुई टक्कर के कारण कितनी हानि और क्षति हुई, और

(ख) इस टक्कर के कारण क्या थे और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) टक्कर के परिणामस्वरुप लाइबेरिया के तेल पोत के पुलोनिक्स के दो टैंक क्षतिग्रस्त हो गये और ऊपरी डैक के 18 × 20 फुट से 14 से 15 फुट नीचे डुबाव निशानों पर बड़ा छिद्र दिखाई देने लगा। समुद्र में गिर जाने के कारण लगभग 2200 टन ईरानी हल्के कच्चे तेल का नुकसान हुआ।

स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश की फुली गिलटी और अनीभाग टैंक क्षतिग्रस्त पाए गये। इस क्षति को गंभीर न समझा गया और जहाज 14-2-75 को खाना हो गया। इस महीने जब जहाज सूखी गोदी के लिये जायेगा तो पूरी क्षति और नुकसान अभिनिश्चित किया जायेगा।

(ख) व्यापारी पोत अधिनियम, 1958 की धारा 359 के अंतर्गत प्रारम्भिक जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट की प्राप्ति और परीक्षण के बाद दुर्घटना के कारण और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर विचार किया जायेगा। इसी बीच, बम्बई पत्तन न्यास ने यह सुनिश्चित करने के लिये आदेश जारी किये हैं कि कनहारी के लिये आवक जहाज के लिये कनहारी को बाहर जा रहे जहाज के उतार कनहारी पर हमेंशा तरजीह दी जाये और यदि यह भी आवश्यक हो तो कनहारी जहाज परिभ्रमण स्थान के खाली होने तक जावक जहाज को तब तक प्रतीक्षा कराई जाए जब तक कि आवक जहाज को कनहरी नहीं मिल जाती और वह बन्दरगाह को और नहीं चल देता।

कोलार सोने को खानों में सोने का उत्पादन

2475. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार सोना खानों का उत्पादन 50 प्रतिशत कम हो गया है;

(ख) क्या कोलार स्थित सोने की खानों से हजारों श्रमिक चले गये हैं और वहां गत तीन वर्षों से कल्याण-कार्य लगभग ठप है;

(ग) क्या सरकार इन खानों को निकट भविष्य में चलाना चाहती है या बंद करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत गोल्ड माइन्स का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

	स्वर्ण उत्पादन (लाख ग्रामो में)
1969-70 . .	19.70
1970-71 . . .	21.78
1971-72 . . .	22.46
1972-73 . . .	20.00
1973-74 . . .	18.02

(ख) जी, नहीं। सेवानिवृत्ति, पदत्याग, शारीरिक अयोग्यता तथा मृत्यु के कारण 1-4-72 से 31-1-75 तक की अवधि के दौरान भारत गोल्ड माइन्स में श्रमिकों की संख्या में 1093 की कमी हुई है। यह सत्य नहीं है कि तीन वर्ष पूर्व कल्याण कार्य बन्द हो गए थे। ये कार्य पहले की तरह किए जाते रहे हैं।

(ग) सरकार का इन खानों को चालू करने का विचार है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेनाओं के परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क यात्रा संबंधी रियायत

2476. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वार्षिक छुट्टी पर जाते समय सशस्त्र सेवाओं के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों (पत्नी और बच्चों) के लिए निःशुल्क यात्रा की रियायत दिए जाने के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति में कितना विलम्ब होगा ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक जब अपनी वार्षिक छुट्टी पर जाते हैं तो उनके परिवारों को ग्राह्य यात्रा रियायतों के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है और सरकारी आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाने की आशा है। इस बीच, उन्हें वर्तमान आदेशों के अधीन ये रियायतें दी जा रही हैं।

विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले संयंत्र की स्थापना

2477. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कहीं पर विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले एक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी और उसमें उत्पादन कितना होगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) रक्षा की बढ़ी हुई आवश्कताओं को पूरा करने के लिए लगभग 79 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रणोदकों के निर्माणार्थ इटारसी में एक परियोजना स्थापित करने के लिए सरकारी स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना के ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम का लघु उद्योगों पर प्रभाव

2478. **श्री धामनकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के न्यूनतम मजूरी अधिनियम के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति से विभिन्न लघु उद्योगों, विशेषकर इंजीनियरींग एंड केमिकल्स के सामने कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो गई हैं, जैसे बड़े पैमाने पर छंटनी और बेरोजगारी, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर दुष्प्रभाव, लघु एककों की लाभप्रतिशतता का कम होना और उनका विवश होकर बन्द होना; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के सामने आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह प्रश्न, महाराष्ट्र की सरकार द्वारा जारी की गई न्यूनतम मजदूरी सबंधी अधिसूचना की ओर संकेत करता प्रतीत होता है और मांगी गई सूचना इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना के विरुद्ध आरोप

2479. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात के कई मामले सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे आरोप किस प्रकार के हैं और उस आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अनुमानतः यह प्रश्न श्री एस० एस० चटर्जी से संबंधित है जिन्होंने अपने स्थानान्तरण के परिणाम स्वरुप 7-2-1975 (अपराह्न) को बिहार के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद का कार्यभार छोड़ा था। वर्ष 1974 के दौरान सरकार के पास उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की कुछ शिकायत प्राप्त हुई। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से सलाह करके इनकी जांच की गई। चूंकि उन्हें कपोल कल्पित पाया गया, इसलिए उनपर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजपथ

2480. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यमान राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में कर्नाटक के लिये अब तक कुल कितने किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजपथों की स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ख) उसमें से कितने किलोमीटर लम्बे मार्गों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है अथवा निर्माणाधीन है; और

(ग) कितनी राशि स्वीकार की गई थी और कितनी खर्च की जा चुकी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 1996 कि० मी० है जिनमें 190 कि० मी० को लुप्त कडियां शामिल हैं। 155 कि० मी० लुप्त कडियों पर निर्माण कार्य हो रहा है। 35 कि० मी० में अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है। 1-4-1969 (चौथी योजना के आरम्भ से) 31-3-1975 तक कुल 16.15 करोड़ रुपये के अनुमान (सड़क कार्यों के लिये 11.57 करोड़ रु० तथा पुल कार्यों के लिये 4.58 करोड़ रू०) स्वीकृत किये गये हैं जिनके अन्तर्गत लुप्त कड़ियों, लुप्त पुलों का निर्माण, निम्न वर्ग के खंड़ों में सुधार, एक गली के खंड़ों को दो गली तक चौड़ा करना, कमजोर पटरियों को सशक्त करना, उपमार्गों का निर्माण, कमजोर एवं तंग पुलों तथा पुलियों का पुनर्निर्माण तथा चौड़ा करना आता है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से कर्नाटक सरकार को वर्षवार आवंटित राशि तथा वह राशि जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकासार्थ तथा सुधार के लिये प्रयोग की गई है, निम्न प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि (रु० लाखों में)	प्रयुक्त धनराशि (रु० लाखों में)
1969-70	20.29	18.60
1970-71	74.65	77.02
1971-72	248.54	259.66
1972-73	399.29	387.83
1973-74	308.00	377.07
1974-75	320.00	246.18 (जनवरी 1975 तक)
कुल	1370.77	1366.31 (जनवरी 1975 तक)

लोहे और इस्पात की कमी का कर्नाटक के लघु उद्योग एककों पर प्रभाव

2481. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात की कमी का कर्नाटक के लघु उद्योग एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग एककों द्वारा सामान्य उत्पादन किये जाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस समय देश में अधिकांश किस्मों का लोहा और इस्पात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अधिकांश राज्य लघु उद्योग निगमो (कर्नाटक का लघु उद्योग निगम भी शामिल है) के पास भी इस्पात का पर्याप्त स्टाक है। फिर भी प्लेटों, चादरों और संरचानात्मकों के कुछ सेक्शनों की सप्लाई की पूर्ति में कुछ कमी है। मुख्य उत्पादक उन सप्लाई वाली श्रेणियों की उपलब्धि की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय कर रहे हैं।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजपथों का विकास

2482. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक में कौन से राष्ट्रीय राजपथ बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) संभवतया, सदस्य का आशय 5वीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिये कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित मार्ग से है। ये नीचे दिखाए गये हैं :—

मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिये प्रस्तावित नई सड़को की सूची ।

क्र० सं०	सड़क का नाम
1	बंगलौर (रा० रा० 4) रामनगरम-चन्नापटना-भद्दर-मंड्या-श्रीरंगापटना-मैसूर-नंजनगुड-गुन्डलूपेट और उटकमंड को और तमिलनाडू में रा० रा० 47 पर कोयम्बटूर को जोड़ने वाली सड़क ।
2	गूटी आंध्र प्रदेश में रा० रा० 7 पर गूटी से गूंनाकल आन्ध्र प्रदेश मैसूर राज्य सीमा वेलारी-होसपेट-कोपान-गदग-हुगली-कारवार ।
3	बंगलौर से मंगलौर तक (मैसूर और मेरोकारा होकर) ।
4	चित्रदुर्ग-कड्र-चिकमगलूर-मूदीगिरी-वेतथानगडी-रा० रा० 48 पर वन्तवाल (और फिर मंगलौर को) और रा० रा० 13 और रा० रा० 4 को रा० रा० 17 और रा० रा० 48 को जोड़ने वाली सड़क ।
5	बेलगाम-बीजापुर-गुलबर्गा-हुमनाबाद ।
6	होनावर-तलागुप्पा-शिमोगा-आरासी कीरी-तुमकुर ।
7	मैसूर-श्रीरंगपटना-नागमंगला-चिक नायकानाहली-हुलीयार-हिरीपुर-बेलारी-श्री सिरुगुप्पा-शाहपुर-गुलबर्गा-हुमनाबाद रा० रा० 9 को जोड़ने वाली सड़क ।
8	बेलगाव-बगलकोट-रायचुर-महबूबनगर ।
9	रा० रा० 4 पर धारवाड़-लोन्डा-अनमोद से गोआ की राजधानी पनजी को जाने वाली सड़क ।

चूंकि पांचवी योजना अवधि के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों के शामिल करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है अत: कर्नाटक सहित किसी विशेष राज्य में किसी सड़क या सड़को के बारे में इस समय स्थिति बताना सम्भव नहीं है, जिसकी पांचवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर दिये जाने की सम्भावना है और जोकि सभी राज्यों से प्राप्त कुल प्रस्तावों की तुलना में साधनों की उपलब्धता राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर सड़कों की घोषणा के लिए उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करने को किसी सड़क को क्षमता अखिल-भारत आधार पर कतिपय योजनाओं की पारस्परिक प्रारंभिकता जैसे तत्वों पर, आधारित है ।

दिल्ली परिवहन की सेवाओं का खराब होना

2483. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहण के पश्चात् दिल्ली परिवहन निगम की सेवा खराब हो गई है;

(ख) क्या बसों को ठीक ठाक रखने तथा उनकी मरम्मत आदि की उचित व्यवस्था नहीं है जिसके फलस्वरूप न चलने योग्य बसों की संख्या बढ़ गई है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बहुत सी बसों पर उनका नम्बर तथा गन्तव्य स्थान का नाम नहीं लिखा होता है जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है, और

(घ) राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम की कार्य कुशलता में सुधार करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क), (ख) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम की स्थापना के बाद राजधानी की बस सेवाओं मे सुधार करने हेतु कई उपाय किये गये हैं। निगम ने 3-11-71 से 28 फरवरी, 1975 तक 1070 बसें खरीदी, जिनमें से 630 बसें, पुरानी बसों के स्थान पर नयी बसों के लिये हैं। बेड़े की कुल संख्या अब बढ़कर 1806 बसें हो गयी हैं। इसके अलावा, परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निगम 96 निजी बसें और 52 मिनी बसें चला रहा है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम जिस क्षेत्र में कई वर्षों से पिछड़ा रहा था, वह गाड़ियों के रखरखाव और मरम्मत से संबोधित था। इस संबंध में सुविधाओं के सुधार के लिये आठ और डिपुओ का निर्माण किया गया है। जिससे डिपुओं की कुल संख्या चौदह हो गई है।

दिल्ली में बस सेवाओं के सारे मार्ग ढ़ाचे का वैज्ञानिक आधारों पर पुर्ननिर्माण किया जा रहा है। सर्वप्रथम मार्च, 1974 में केन्द्रीय सचिवालय से कई सुगम सेवाएं चालू की गई। दूसरे चरण में, मुद्रिका सेवा मई, 1974 में रिंगरोड पर शुरू की गई। कई अरीय और पोषक सेवाएं चालू की जाने वाली है। इन विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, राजधानी में बस सेवाओं में कुछ सुधार हुआ है। जिन कुछ दिशाओं में विशेष सुधार हुआ है, वे हैं—सड़क पर बसों की औसत संख्या अक्तूबर, 1971 में 909 से जनवरी, 1975 में बढ़कर 1294 हो गई और इसी अवधि में बेड़े का उपयोग का प्रतिशत परिचालित फैरों की औसत संख्या दैनिक परिचालित औसत किलोमीटरों और प्रति बस की दैनिक औसत आयमें भी वृद्धि हुई है। परन्तु यह संभव है कि कुछ ऐसे मार्ग/क्षेत्र रह गये हो, जहां बस सेवाओं की बारम्बारता विशेष तौर पर व्यस्ततम समय पर, वांछित स्तर पर न हो। परन्तु समस्त रूप से सारी स्थिति में सुधार हुआ है।

निगम का 1975-76 के दौरान, लगभग 450 नई बसें खरीदने तथा चार और डिपुओं के निर्माण करने का प्रस्ताव है। पोषक सेवाओं की योजना में धीरे धीरे विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। इन योजनाओं के पूरा होने पर और पुरानी पद्धति के अनुसार चलाई जा रही सभी बसों की नई पद्धति के अंतर्गत ले आने से, आशा है कि राजधानी में यात्रियों की समस्या बहुत हद तक हल हो जायेगी।

(ग) निगम की अवैज्ञानिक मार्ग पद्धति और अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिये कई बसों के अपने निर्धारित मार्गों से अन्य मार्गों की ओर मोड़ना गंतव्य स्थान बोर्डों के उचित प्रदर्शन में मुख्य कठिनाई रही है। बचे बनाये जा रहे मार्ग ढांचे के अंतर्गत एक बस दिन भर एक विशेष मार्ग पर ही चलेगी। नई बसों में गंतव्य बोर्ड दोनों आगे और पीछे दिखाए गये हैं। सामने के बोर्ड के आकार वाले गंतव्य स्थान बोर्डों के प्रदर्शन के लिये प्रवेश द्वार के पास बक्स भी लगाये जा रहे हैं। उन रंगदार गंतव्य स्थान बोर्डों की व्यवस्था के लिये भी कदम उठाये गये हैं। जिनपर उन स्थानों का प्रदर्शन होगा, जहां से बसें चलती हैं। पुरानी बसों के पीछे गंतव्य स्थान बोर्डों की व्यवस्था का काम भी धीरे धीरे किया जा रहा है।

पश्चिम अफरीकी देशों से भारतीय डाक्टरों की वापसी

2484. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पश्चिमी अफ्रीकी देशों के नाम क्या हैं जिनको केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा से सम्बद्ध हमारे डाक्टरों की सेवाएं ऋणस्वरूप दी गई थीं;

(ख) डाक्टरों के देशवार नाम क्या हैं तथा उनको सेवाएं कितनी अवधि के लिए उधार दी गई थीं तथा उन डाक्टरों के नाम क्या हैं जो वहां उस अवधि से अधिक समय तक रहे जिसके लिए उन्हें मूलतः भेजा गया था;

(ग) क्या सरकार ने उनको विदेश सेवा की अवधि निर्धारित करते हुए कोई नीति बनाई है जिससे अधिकाधिक भारतीय डाक्टरों को लाभ मिल सके;

(घ) क्या उन भारतीय डाक्टरों से, जिनको उन देशों में सेवा करते मूल कार्यावधि से अधिक समय हो गया है, स्वदेश लौटने को कहा गया है; और

(ङ) क्या उनके द्वारा वापस आने से इन्कार किये जाने पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारत सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को बाह्य सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पश्चिम अफ्रीकी देश, नाइजिरिया भेजा था।

(ख) सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को आम तौर पर पहली बार तीन वर्ष के लिए विदेशों में नियुक्ति की जाती है, उसके बाद विशेष कारणों पर ही आगे और वर्षों की मंजूरी दी जाती है।

(घ) जी हां।

(ङ) जो डाक्टर स्वदेश वापस आने से इन्कार करते हैं उनके पासपोर्ट जब्त करने के साथ साथ उनके विरुद्ध और सभी कार्यवाही की जायेगी।

विवरण

क्र० सं०	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्य मुक्त करने की तारीख	प्रतिनियुक्ति की अवधि
1	डा० पी० एस० जैन .	जी० ओ० डी० ग्रेड-1	2-3-67	पांच वर्ष
2	,, ओ० पी० चड्ढा	,,	25-1-67	18-24 महीनों के दो दौरे
3	,, ए० के० डे .	,,	25-1-67	पांच वर्ष
4	,, एन० पकरासी	,,	28-4-67	पांच वर्ष
5	,, सी० आर० मलिक	,,	1967	तीन वर्ष जो 30-10-72 तक बढ़ा दी गई
6	,, यू० एस० नयानी	,,	20-12-72	15-24 महीने के 2 दौरे
7	,, एच० बागजी	,,	24-4-73	22-24 महीने के 2 दौरे
8	,, शरत प्रसाद	,,	2-5-73 (अपराह्न)	18-24 महीने के 2 दौरे
9	,, एस० के० राय चौधरी	,,	24-10-73	18 महीने
10	,, ए० पी० माथुर .	,,	21-6-74 (अपराह्न)	प्रत्येक 18 महीने के दो दौरे
11	,, एम० एल० माथुर .	विशेषज्ञ ग्रेड	15-11-70	3 वर्ष इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है।
12	,, एस० के० कुन्डू .	,,	6-12-72	15-24 महीने के 2 दौरे
13	,, के० के० श्रीवास्तव	,,	27-3-73	---तदैव---
14	,, एस० एम० भट्टाचार्य	,,	15-5-73	---तदैव---
15	,, के० एन० श्रीवास्तव	,,	2-4-73 (अपराह्न)	18-24 महीने के 2 दौरे
16	,, बी० के० मलिक	,,	29-5-73	3-4 वर्ष
17	,, आर० के० मेहता	,,	1-7-73	12-24 महीने
18	,, एम० एस० ग्रेवाल	सुपर टाइम ग्रेड-2	2-6-70	18-24 महीने के 3 दौरे
19	,, पी० एन० कुन्डू	जी० डी० ओ० ग्रेड-2	24-10-73	18 महीने के दो दौरे
20	,, (श्रीमती) पी० कुन्डू	,,	---तदैव---	---तदैव---
21	,, अरुण कुमार .	,,	19-10-73	तीन वर्ष
22	,, सी० एल० सज्जनहार	,,	19-10-73	तीन वर्ष
23	,, ओ० पी० रस्तोगी	,,	28-5-74	तीन वर्ष
24	,, के० जी० टामस .	,,	17-2-68	तीन वर्ष

क्रम संख्या 1 से 5 और 24 पर उल्लिखित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी विदेश नियुक्ति की अपनी अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् भारत वापस नहीं आये हैं।

पश्चिम अफ्रीकी देशों में काम कर रहे भारतीय डाक्टरों की वापसी

2485. **श्री क० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी अफ्रीकी देशों में कार्य करने के लिए सी० एच० एस० / सी० जी० एच० एस० के डाक्टरों को अनुमति देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या ऐसे कार्य के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है;

(ग) उन डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जो पश्चिम अफ्रीकी देशों को भेज गये, परन्तु अपनी मूल कार्यावधि पूरी हो जाने के बाद भी भारत वापस नहीं आये हैं; और

(घ) ऐसे दोषी डाक्टरों के नाम क्या हैं और उन्हें जबर्दस्ती भारत वापस बुलाने के लिए और उनके पारपत्र रद्द करने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के बाह्य सेवा पर विदेश में प्रतिनियुक्ति पर जाने के बारे में भारत सरकार ने जो सिद्धांत निर्धारित किये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का अधिकारी आम तौर पर पांच वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले विदेश नियुक्ति पर नहीं जायेगा ।

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के केवल उन्हीं अधिकारियों को बाह्य सेवा पर जाने दिया जायेगा जिन का काम और चरित्र संतोषजनक पाया जायेगा और जिन्हें हर प्रकार से उपयुक्त पाया जायेगा ।

(3) बहर हाल इन अधिकारियों को तीन वर्षों के लिये ही विदेश नियुक्ति पर भेजा जा सकेगा । उसके बाद विशेष कारणों पर ही इस अवधि को आगे दो वर्ष के लिये बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है ।

(4) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के किसी भी अधिकारी को दोबारा विदेश नियुक्ति पर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह विदेश में अपनी पहली एक वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर भारत में कम से कम पांच वर्ष काम नहीं कर लेता ।

(5) यदि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का अधिकारी बाह्य सेवा पर विदेश में होने पर अपना त्यागपत्र भेजता है तो उसे मंजूर नहीं किया जायेगा ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वे अधिकारी जिन्होंने अपनी नियुक्ति की अवधि को पूरा कर लिया है उन्हें विदेश से बुलाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) छः निम्नलिखित डाक्टर जो पश्चिम अफ्रीकी देशों में बाह्य सेवा पर गये थे वे अभी तक भारत वापस नहीं लौटे हैं और उन्हें वापस बुलाने तथा उनके पासपोर्ट रद्द करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है :—

1. डा० ए० के० डे
2. डा० एन० पकरासी
3. डा० के० जी० टामस

4. डा० पी० एस० जैन

5. डा० ओ० पी० चड्ढा

6. डा० सी० आर० मलिक

कर्नाटक सरकार के लिए एल्यूमिनियम

2486. श्री के० मालन्ना :

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उसे एल्यूमिनियम शीघ्र देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य को कितने एल्यूमिनियम की अवश्यकता है; और

(ग) इस अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क), (ख) और (ग) जनवरी, 1975 में कर्नाटक सरकार ने 350 टन ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के विशेष आवंटन के लिए अनुरोध किया था ताकि 1974-75 में पम्पसेटों को शक्तिशाली बनाने के कार्यक्रम के संबंध में राज्य बिजली बोर्ड की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा किया जा सके। कर्नाटक सरकार तथा अन्य राज्य सरकार के समान अनुरोधों पर अतिरिक्त धातु का आबंटन करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्ष 1974-75 के लिए ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के समूचे अनुमानित उत्पादन को केबुलों/कंडक्टरों आदि के निर्माण के लिए विभिन्न कारखानों को पहले ही आबंटित किया जा चुका है।

Mileage of National Highways

2487. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the State-wise mileage of National Highways in the country?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri **H.M. Trivedi**) : A statement is attached.

STATEMENT

Sl. No.	Name of the State	Length in Km. as on 17th July, 1974
1	2	3
1	Andhra Pradesh	2,299
2	Assam	1,468
3	Bihar	2,117
4	Chandigarh	24
5	Delhi	72
6	Goa	229

1	2	3
7	Gujarat	1,352
8	Haryana	729
9	Himachal Pradesh	630
10	Jammu & Kashmir	541
11	Kerala .	784
12	Madhya Pradesh .	2,670
13	Maharashtra	2,861
14	Manipur	211
15	Meghalaya	345
16	Karnataka	1,996
17	Nagaland	113
18	Orissa	1,649
19	Punjab	865
20	Rajasthan	2,157
21	Sikkim .	62
22	Tamil Nadu	1,749
23	Tripura . .	200
24	Uttar Pradesh	2,328
25	West Bengal .	1,419
	TOTAL .	28,870

कृषि श्रमिक संगठनों के सक्रिय सदस्यों के लिए काडर-प्रशिक्षण शिविर

2488. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिक संगठनों के सक्रिय सदस्यों के लिए काडर-प्रशिक्षण शिविर लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके उद्देश्य और मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम संस्थान नई दिल्ली, जोकि एक स्वायत्त संगठन है, का विचार ग्रामीण कृषि श्रमकों में नेतृत्व के गुण उत्पन्न और विकसित करने के लिए, अनेक कैंप लगाने का है। इस प्रकार का पहला कैम्प 27 फरवरी से 3 मार्च, 1975 तक बर्दवान जिले (पश्चिम बंगाल) के बानानाबाग्राम गाँव में लगाया गया था ; पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कम्प को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना मंजूर किया था।

पांचवी योजना में स्वास्थ्य् योजना के परिव्यय में वृद्धि

2489. श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में स्वास्थ्य् सेवा को उत्तम बनाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय में पांचवी योजना में स्वास्थ्य पर होने वाले परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि किए जाने की मांग की थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) संसाधनों अभाव को ध्यान में रखते हुए सारे देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ख) पांचवी योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 796 करोड़ रुपये रखे गए हैं जबकि चौथी योजना में इसके लिए 433 करोड़ रुपये रखे गए थे। अत: पांचवी योजना में स्वास्थ्य कार्यों लिए खर्च की रकम में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों को हानि

2490. श्री अनादि चरण दास:

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान इस्पात मूल्य-निर्धारण नीति के कारण इस्पात संयंत्रों को भारी हानि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार नीति के पुनरीक्षण पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं। इस्पात को निम्नलिखित श्रेणियों के मूल्य में पिछली बार अक्तूबर, 1973 में वृद्धि की गई थी :—

ब्लूम

स्लेब

विलेट

सीमलेस ब्लूम

स्क्वेयर

गर्म बेलित चादरें

गर्म बेलित स्ट्रिप/स्केल्प

ठंडी बेलित/गर्म बेलित चादरें (16 गेज से अधिक)

ठंडें बेलित क्वायल

जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें

गोल छड़ें और चपटे उत्पाद, तार छड़।

अक्तूबर 1973 से उत्पादन शुल्क तथा रेल भाड़े की वृद्धि को पूरा करने के लिए मूल्य में समायोजन किया गया है। अक्तूबर 1973 में की गई उपर्युक्त वृद्धि के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का लगभग 71.12 प्रतिशत उत्पादन आ गया था रेलपटरीयों प्लेटों और संरचनात्मकों के मूल्यों में वृद्धि इस्पात की अन्य श्रेणियों के साथ-साथ सितम्बर, 1973 में की गई थी। इस्पात की लागत/मूल्य ढ़ाँचे का समय-समय पर यथाअपेक्षित पुनर्विलोकन किया जाता है।

(ख) इस्पात उत्पादों की वर्तमान मूल्य नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1975 के लिए उर्वरक के आयात का कार्यक्रम

2491. **श्री अनादि चरण दास:**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:

श्री श्रीकिशन मोदी:

श्री डी० डी० देसाई:

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1975 के लिए उर्वरक के आयात का कार्यक्रम अन्तिम रूप से बना लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और भारत को कौन से देश उर्वरक देने को सहमत हो गए हैं; और

(ग) उनसे कुल कितना उर्वरक आयात किया जायेगा?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) जी हां।

(ख) 1974-75 (खरीफ '75 और रबी' 75-76) के लिए 15.01 लाख मी० टन नाइट्रोजन उर्वरक, 4.04 लाख मी० टन फास्फेट उर्वरक और 6.5 लाख मी० टन पोटाश उर्वरक आयात करने का लक्ष्य है।

(ग) 1975 के दौरान जहाजी लदान के लिए पूर्ति विभाग और खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अभी तक 7.50 लाख मी० टन नाइट्रोजन उर्वरक, 3.43 लाख मी० टन फास्फेट उर्वरक और 0.48 लाख मी० टन पोटाश उर्वरक के आयात हेतु ठेके का निष्पादन किया है।

प्रतिजीवाणु औषधियों का दुरुपयोग

2492. श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति ने प्रतिजीवाणु औषधियों के लगातार दुरूपयोग पर चिंता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए किन्हीं उपायों के बारे में सरकार ने अस्पतालों को कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही भेज दी जायेगी।

गुजरात एल्युमिनियम परियोजना

2493. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान से वित्तीय सहायता का स्पष्ट संकेत न मिलने के कारण गुजरात एल्यूमिनियम परियोजना का भविष्य अनिश्चित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्तावित उपाय क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) ईरान को एल्यूमिना की सप्लाई के लिए एक संयुक्त उद्यम के रूप में गुजरात में एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर ईरान की अन्तिम प्रतिक्रिया का अभी पता नहीं चला है। प्रतिक्रिया ज्ञात होने पर सहयोग आदि की विस्तृत शर्तें तय करने के लिए कारवाई की जायेगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त स्पंज लौह संयंत्र

2494. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश और गुजरात औद्योगिक विकास निगमों को स्पंज लौह संयंत्रों की स्थापना के लिए जारी किए गए लाइसेंस के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत, क्षमता स्थान, संयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान, कच्ची सामग्री और वित्तीय लागत सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन्हें कबसे आरम्भ किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क), (ख) और (ग) गुजरात औद्योगिक निवेश निगम द्वारा लगाया जाने वाला स्पंज आयरन प्लान्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली सहायता में शामिल नहीं है। इस कारखाने के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी तथा मूल इंजीनियरी की प्राप्ति के लिए गुजरात औद्योगिक निवेश निगम ने विश्व निविदाएं मांगी थी। उन्हें टेंडर प्राप्त प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है और उनकी जांच की जा रही है। इस प्रायोजना के विस्तृत इंजनियरी कार्य के लिए उन्होंने कुछ चुने लोगों से टेंडर मांगे थे। इस प्रायोजना (समष्टि) के पैरामीटर काफी हद तक अपनाए जाने वाली प्रक्रिया और गैस तथा खनिज की विशिष्टियों पर निर्भर करेंगे। उपर्युक्त बातों पर निर्णय लेने के बाद ही पूंजीगत लागत का ठीक अनुमान तथा इस कारखाने के स्थल के बारे में निर्णय लिये जा सकते हैं। इस प्रायोजना के लिए जारी किए गए आशय पत्र के अनुसार इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 1,80,000 टन स्पंज आयरन तयार करने की होगी।

आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा लगाये जाने वाला स्पंज आयरन प्लान्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता के क्षेत्र में आता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन दी जाने वाली सहायता में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में से इस प्रयोजना की विदेशी मुद्रा की लागत तथा विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए खर्च होने वाली राशि की पूर्ति की जायेगी। इसमें भारतीय इंजीनियरों को विदेश में प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। इस कारखाने के लिए संयंत्र और उपस्करों के लिए टेंडर मांगने हितु विशिष्टियों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। आयातित उपस्करों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने मैसर्स एम० एन दस्तूर एन्ड कं० प्रा० लि० को अपना सलाहकार इंजीनियर नियुक्त किया है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में कच्चे माल की उपयुक्तता की जांच की जा रही हैं। प्रायोजना के लिए एक प्रबन्धक भी नियुक्त कर दिया गया है। इस कारखाने के वर्ष 1977–78 में चालू हो जाने की संभावना है। अन्य ब्यौरे के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :–

पूंजीगत लागत	लगभग 5.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
क्षमता	प्रतिवर्ष 30,000 टन स्पंज आयरन।
स्थान	पलोंचा, जो आन्ध्र प्रदेश के खमाम जिले में कोटागुड्डम के निकट स्थित है।
कच्चा माल	लौह खनिज बयारम के निकटवर्ती निक्षेपों से प्राप्त किया जाएगा और अकोककर कोयला सिंगरेनी की कोयला खानों स प्राप्त किया जाएगा ।

सरकारी उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोटे का उपयोग

2495. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण का पूरी तरह उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी उपक्रमों में अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार गैर-सरकारी कारखानों में भी रोजगार कोटा दिलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) 1972, 1973 के दौरान तथा 30-6-74 तक 3664 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है ।

(ग) और (घ) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

इस्पात उत्पादन के लिए अपेक्षित उपकरणों की रूस द्वारा सप्लाई

2496. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उत्पादन के लिए अपेक्षित उपकरणों और अन्य पुर्जों की रूस से निर्धारित सप्लाई में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) भारत में इस्पात एककों में काम कर रहे रूसी विशेषज्ञों या उनसे सम्बद्ध अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या है और उनकी सेवाओं के उपयोग की शर्तें क्या हैं;

(घ) रूसी विशेषज्ञों के वेतन भत्तों और अन्य परिलब्धियों पर प्रति मास क्या खर्च होता है; और

(ङ) क्या इन रूसी विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों को वेतन सीधे दिया जाता है या उनके दूतावास के माध्यम से ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं । सामान्यतः रूस से इस कारखाने के लिए उपस्कर और फालतू पुर्जे निर्माण अनुसूची के अनुसार ही प्राप्त हो रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय बोकारो इस्पात कारखाने में । 622 रूसी विशेषज्ञ हैं । 384 विशेषज्ञ निर्माण और रूपांकन परीवेक्षण के लिए और 238 विशेषज्ञ परिचालन कार्यों में लग हुए हैं । भिलाई इस्पात कारखाने में 33 रूसी विशषज्ञ काम कर रहे हैं । 19 विशेषज्ञ विस्तार से सम्बन्धित निर्माण, स्थापना और यंत्रों को चालू करने तथा अन्य कार्यों में और 14 विशेषज्ञ परीचालन और रख-रखाव का कार्य कर रहे हैं । इन विशेषज्ञों की नौकरी की शर्तें बहुत विस्तृत हैं और रूसी संगठनों के साथ किए गए सम्बन्धित करारों में दज हैं ।

(घ) भिलाई इस्पात कारखाने में प्रत्येक विशेषज्ञ के वेतन, भत्तों और परिलब्धियों आदि का औसतन मासिक खर्च लगभग 11,400 रुपए है । बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) रूसी विशषज्ञों को भुगतान सीधे न करके संबन्धित रूसी संगठनों की मार्फत किया जाता है ।

6—13L S.S.(ND)/75

प्रशिक्षण के लिए रूस भेजे गए भारतीय रक्षा कर्मचारी

2497. श्री समर गुह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रक्षा कर्मचारियों को उन सैनिक उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने रूस भेजा गया है जो उस देश ने वर्ष 1971–74 में सप्लाई किए थे ;

(ख) यदि हां, तो रूस को ऐसे कितने रक्षा कर्मचारी भेजे गए ;

(ग) क्या रूसी सैनिक विशेषज्ञों को भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं के भारतीय रक्षा कर्मचारियों को रूसी रक्षा उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण देने अथवा किसी अन्य कार्य के लिए ईसी अवधि में भारत में आमंत्रित किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) रक्षा उपस्कर कई बार सोवियत संघ तथा अन्य देशों से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मामलों में सप्लायरों पर यह दायित्व है कि वे हमारे कर्मिकों को इन उपस्करों से सुपरिचित कराएं। जहां आवश्यक हुआ इस उद्देश्य के लिए भारतीय रक्षा कार्मिकों को सोवियत संघ में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। इस संबंध में और अधिक विवरण देना उचित नहीं है। तथापि किसी रूसी विशेषज्ञ को प्रशिक्षण देने के लिए भारत नहीं बुलाया गया है।

Buses under D. T. C. and Profits earned

2498. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the total investements in Delhi Transport Corporation and the number of buses plying on the roads at present and of those which are not roadworthy as also of those under repairs; and

(b) the amount of profit earned by Delhi Transport Corporation during 1972-1973 and 1974 respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) The total capital investment in the DTC is about Rs. 27 crores. At present, the Corporation has a fleet of 1806 buses, out of which 170 are held up, on account of non-availability of critical engine parts. Of the balance of 1636 buses, 1380 are, on an average, operated on the road daily. The remaining 256 buses are held up for repairs, statutory inspection under the Motor Vehicles Act, 1939, with a view to obtaining certificates of fitness etc.

(b) The corporation have not earned any profit during these years.

Formation of Union of Agricultural Labourers

2499. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state whether unions of agricultural labourers, munims, gumastas (agents) can be formed under the present Trade Union Act?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): A number of unions of agricultural labourers have been registered under the Trade Unions Act.

Demand for Iron and Steel by Rajasthan

2500. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state: whether the demand for iron and steel made by Government of Rajasthan during the last two years is not being met even now and if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : The supply position of steel has improved very considerably in the last one year. Production from integrated steel plants is higher in the ten months, April 1974 to January, 1975 by 3·569 lakh tonnes as compared to the same period in the previous year, representing and increase of 10%. With special efforts to activise inventories, supply of steel to the economy from the main steel plants in the above 10 month period is higher by 6,34000 which represents an increase of 18%, as compared to the 10 month-period of the previous year. There is also adequate availability of pig iron. In view of this, Government of Rajasthan would be in a position at present to obtain most categories of iron and steel materials to meet their requirements. Most of the State Small Scale Industries Corporations also, including that of Rajasthan have now adequate stock of steel materials.

अफगानिस्तान को बसों का निर्यात

2501. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान को 70 और भारतीय बसों का निर्यात करने के बारे में हाल ही में दोनों देशो के बीच एक समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में उस देश को कितनी भारतीय बसों का निर्यात किया गया ; और

(ग) इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत को विदेशी मुद्रा/रुपयों में भुगतान के रूप में कितनी आय होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क), (ख) और (ग) वाणिज्य मंत्रालय से जो मुख्य रूप से इससे संबधित है। सूचना एकत्र की जा रही है और इसके उपलब्ध होने पर विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

"चायना कंसेंट्रेटिंग आन फाईटर बाम्बर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2502. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री सतपाल कपूर :
श्री मधु दंडवते :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 फरवरी, 1975 के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "चायना कन्सेन्ट्रेटिंग आन फाइटर बाम्बर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन भारत-तीब्बत-चीन सीमा पर भी इस प्रकार के अड्डे बना रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के परिणामस्वरूप भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन ।

(ख) चीन ने तिब्बत में हवाई अड्डे का निर्माण किया है ।

(ग) हमारी रक्षा तत्परता की योजना बनाते समय उन सभी पहलूओं पर विचार किया जाता है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ।

केन्द्रीय सचिवालय के बस स्टापों पर यातायात की भीड़-भाड़

2504. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बड़ी संख्या में बसों के आवागमन के कारण नई दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय बस अड्डे पर यातायात की बहुत भीड़-भाड़ रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय, नार्थ ब्लाक, बस टर्मिनल पर यातायात परिचालन पद्धति के सुधार के मामले के बारे में दिल्ली परिवहन निगम ने यातायात पुलिस अधिकारियों और केन्द्रीय सड़क अनुसंधान को लिखा है ।

नार्थ ब्लाक वाले टर्मिनल को मोतीलाल नेहरु मार्ग, डुपले रोड़ और मौलाना आजाद रोड़ द्वारा धिरी हुई त्रिकोणीय भूमि पर ले जाने और चर्च रोड़ पर एक सहायक टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन स्थानों पर भूमि अलाट करने के प्रश्न पर सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत की जा रही है । इस बीच, चर्च रोड़ पर पक्के फर्श की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है । यह कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को सौंप दिया गया, जिसको दो या तीन महीनों में पूरा करने की सम्भावना है ।

गैर पत्रकारों के लिए संविधिक मजूरी बोर्ड

2505. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री सरोज मुखर्जी :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **श्रम** मंत्री 14 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्र उद्योग में नियुक्त गैर-पत्रकारों के लिए सरकार ने कोई सांविधिक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 को संशोधित किया गया है ताकि गैर-पत्रकार समाचार- पत्र कर्मचारियों के लिए एक सांविधिक मजदूरी बोर्ड की नियुक्ति की व्यवस्था की जा सके और मजदूरी बोर्ड को शीघ्र गठित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

नौसेना अध्यक्ष की विदेशों की यात्रा

2506. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना अध्यक्ष ने फरवरी, 1975 के महीने में कुछ देशों की यात्रा की थी ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है : और

(घ) उक्त यात्रा पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन ।

(ख) ईरान ।

(ग) ईरान और अन्य देशों की नौसेना के कमाण्डर-इन-चीफ के साथ व्यावसायिक विचार विमर्श हुआ था ।

(घ) 6904 रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय हुई । इस यात्रा से भारतीय नौसेना और इम्पीरियल ईरानी नौसेना के बीच वर्तमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ हुए ।

सस्ते इस्पात का उत्पादन

2507. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 जनवरी, 1975 के समाचार पत्र (बम्बई संस्करण) में श्री आई पार्थ सारथी द्वारा लिखे उस लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्हो ने कम पूंजी लागत वाले सस्ते साधनों से इस्पात के उत्पादन, शीघ्र मुनाफा प्राप्त करने तथा रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के बारे में सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुझाओं की व्यवहार्यता जानने के लिए उन पर विचार किया गया था तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) इस लेख के लेखक के मुख्य सुझाव ये हैं : (1) स्पंज लोहे के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि देश में अच्छी किस्म का लोह अयस्क और अकोककर कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध हैं (2) गर्म धमन पट्टयो में साफ्ट कोक का प्रयोग करके स्पन्ज लोहे को कच्चे लोहे में बदला जा सकता है और एयरब्लोन कन्वर्टरों से इस्पात का उत्पादन किया जा सकता है (3) विभिन्न प्रकार के इस्पात के उत्पादन के लिए आधुनिकतम छोटी बेलन मिलो की स्थापना की जाय और (4) इन छोटी इकायियों को पिछड़े क्षेत्रों में लगाने से रोजगार के अवसर भी बढाये जा सकते हैं ।

इन सभी सुझाओं पर विचार किया गया हैं । स्पन्ज लोहे की क्षमता के विकास के लिए निर्णय भी ले लिया गया है । जहां तक पुनर्वेलन उद्योग का सम्बन्ध है पहले ही काफी क्षमता स्थापित की जा चुकी है । आधुनिक उपस्करों की स्थापना से अथवा अनुपूरक सुविधाओं पर कुछ रुपया लगाकर उत्पादन में विविधता लाई जा सकती है ।

विजयनगर इस्पत संयन्त्र

2508. श्री पी० आर० शिनाय :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजय नगर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त संयंत्र का परियोजना प्रतिवेदन कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) संयंत्र का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(घ) उक्त परियोजना के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस्पात कारखाने तथा धातुमल डालने के लिए आवश्यक कुल 3,608.4 हैक्टैर (9,021 एकड़) भूमि में से अब तक 2,641.6 हैक्टैर (6,604) एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० आशा करती है कि वह इस कारखाने के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम शीघ्र सौंपा दिया जाएगा। इस बीच अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत अध्ययन किया जा रहे हैं ।

(ख) सलाहकारों के विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौपने की तारीख से प्रतिवेदन तैयार करने में 21 महीने लगेंगे।

(ग) इन ब्यौरों क बारे में विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने और उसकी जांच करलेने के बाद ही मालूम हो सकेगा।।

(घ) लगभग 1.81 करोड़ रु० ।

कारवार बन्दरगाह को गहरा करना

2509. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करवार बन्दरगाह को गहरा करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की रूपरेखा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने कारवार पत्तन में जल सर्वेक्षण और अधिभूमि जांच कर ली है। राज्य सरकार के मूल्यांकन के अनुसार, गहरा करना व्यवहार्य है ।

तटीय नौवहन सेवा को हुआ घाटा

2510. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973–74 तथा 1974–75 (आज तक) में देश की प्रत्येक तटीय नौवहन सेवा को कितना घाटा हुआ है ;

(ख) ये घाटे होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन घाटो को रोकने के लिए क्या उपाय किय गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी):(क) तटीय नौवहन सेवा एक संयुक्त शब्द है जिसके अन्तर्गत तट पर निजी नौवहन कम्पनियों का परिचालन आता है। अतः परिचालन पर हानि/लाभ सम्बन्धित नौवहन कम्पनियों द्वारा ही संगणित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1972–73 में अपने तटीय परिचालन पर निम्नलिखित कम्पनियों को जो घाटे हुए हैं वे प्रत्येक के सामने दिए गए हैं:--

1. शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	8.20 लाख रुपये
2. मुगल लाइन लि० . .	15.18 लाख रुपये
3. इण्डियन स्टीमशिप .	9.31 लाख रुपये
4. मालबार शिपिंग कम्पनी . . .	4.95 लाख रुपये
5. साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कं० . .	2.97 लाख रुपये

अन्य वर्षों की ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) तटीय परिचालन से घाटा होने के मुख्य कारण वर्तमान परिचालन ढ़ाचे की अलाभप्रदता है जिसमें किराया और भाड़ा ढ़ाचा भी शामिल हैं।

(ग) तटीय परिचालन के लिए एक संशोधित पद्धति तैयार करने के लिए सम्पूर्ण मामले पर सरकार विचार कर रही है ताकि जहाजों की सक्षमता और लाभप्रदता सुनिश्चित हो सके जिसमें अन्य बातों के साथ चालू भाड़ा दरें भी शामिल है।

सुकिन्दा, उड़ीसा में निकल संयंत्र

2511. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री डी० के० पण्डा :
श्री विजय पाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुकिन्दा, उड़ीसा में निकल संयंत्र लगाने का कार्य आरम्भ करने के लिए एक कम्पनी बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं। प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना में परामर्शदाताओं-मैसर्स कैमिकल्स एण्ड मेटलर्जिकल डिजाइन कम्पनी द्वारा बहुत विलम्ब किए जाने और फलस्वरूप सुकिन्दा निकिल अयस्क के परीक्षण में बिलम्ब होने के कारण इस कम्पनी को निगमित करने के कार्यक्रम तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य उपायों पर प्रभाव पड़ा है। प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण रिपोर्ट, जो पहले 1974 के मध्य तक प्राप्त होनी थी, अब अक्टूबर, 1975 तक ही मिल पाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बी० ई० जी० और एम० ई० जी० में फोरमैनों/इन्स्ट्रक्टरों को नए वेतन मान देना

2512. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ई० जी० और एम० ई० जी० के फोरमेनों/इन्स्ट्रक्टरों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पर्यवेक्षकों (तकनीकी) के भी वेतनमान नहीं दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) पर्यवेक्षकों (तकनीकी) के लिए वेतन आयोग ने 380—560 के संशोधित वेतन मान की सिफारिश की है, जिसे अधिसूचित कर दिया गया है। सिविलियन इन्स्ट्रक्टर फोरमैन के लिए वेतन आयोग ने किसी विशिष्ट संशोधित वेतन-मान की नहीं की है। लेकिन उनके लिए 330—560 रु० का संशोधित वेतन मान मंजूर किया गया है।

(ख) और (ग) पर्यवेक्षक (तकनीकी) के लिए आवश्यक अर्हता और अनुभव सिविलियन इंन्स्ट्रक्टर फोरमेन के लिए आवश्यक अर्हता तथा अनुभव से अधिक है, अतः उनके लिए कुछ अधिक वेतन मान स्वीकार करना न्यायोचित है और उसमें किसी प्रकार की असंगति नहीं है।

Non-deposit of E. P. F. by Bihar Sugar Works, Pachrukhi

2513. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether provident fund of employees working in Bihar Sugar Works, Pachrukhi in Saran District is lying with the factory;

(b) if so, the amount involved;

(c) whether no satisfactory action has been taken despite several communications to the Regional Employees Provident Fund Commissioner, Patna by Bihar Sugar Workers Union, Pachrukhi in this regard; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported as under:

(a) and (b) Yes, a sum of Rs. 10·24 lakhs is due from the Establishment as Provident fund arrears from March 1965 to October 1974.

(c) and (d) Prosecution under section 14 of the Employees' Provident Funds Act and Revenue Recovery Proceedings under Section 8 of the Act for the amount in default have been initiated against the Establishment. A complaint under Section 406/409 I.P.C. has also been filed with the Police Authorities.

Payment of Bonus to Bidi Workers in Bihar

2514. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the factories employing twenty or more workers are required to pay bonus to the workers, under the provisions of the Payment of Bonus Act;

(b) if so, the number of bidi factories or godowns in Bihar where twenty or more workers are employed indicating the locations of each of them;

(c) the statement of the amount of annual bonus period to the bidi workers by bidi factories and godowns in Bihar for the years 1972-1973, 1973-74 and 1974-75; and

(d) the action taken by Government against the factories and godowns which have not paid bonus?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (**Shri Balgovind Verma**): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The matter falls in the State sphere.

Punishment to an I.A.F. Employee for use of Hindi

2515. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the news item appearing in the 2nd February, 1975 issue of the Hindi daily published from Delhi that "Hindi Mein Kam Karnewala Vayu Sena ka Karmachari dandit" (punishment to an I.A.F. employee for use of Hindi in official worker) is correct;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (**Shri J. B. Patnaik**) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

भारत-पाकिस्तान और यू० एस० कान्फ्रेंस द्वारा कांडला पत्तन के लिये अधिभार लगाया जाना

2516. **श्री पी० गंगादेब :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्ट कोस्ट आफ इण्डिया पाकिस्तान और यू० एस० कान्फ्रेंन्स द्वारा कान्डला पत्तन के लिए 20 प्रतिशत अधिभार लगाया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आल इण्डिया शिप्पर्स कान्फ्रेन्स द्वारा इस प्रस्ताव का कोई विरोध किया गया है; और

(ग) क्या कान्फ्रेन्स ने कान्डला में विलम्ब के बारे में शिकायतें की हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) जी, हाँ। भारत के पश्चिमी तट और पाकिस्तान यू० एस० ए० कान्फ्रन्स ने कान्डला पत्तन पर 5-1-75 को या बाद में लदान शुरू करने वाले जहाजो के लिए प्रवृत्त 20 प्रतिशत का अधिभार लगाया परन्तु बाद में इसमें 31-1-75 से 10 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है और 19 फरवरी, 1975 से 31 मार्च, 1975 तक इसे समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल कोई भी जहाज कान्डला पत्तन पर खड़ा नहीं है ;

(ख) आल इण्डिया शिपर्स कौन्सिल और कान्फ्रन्स की इण्डियन मेम्बरलाइनों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है ।

(ग) कान्फ्रन्स ने आल इण्डिया शिपर्स कौन्सिल को सूचित किया था कि पत्तन पर कान्फ्रस के जहाजों को लगभग 4 से 6 दिन की देरी हो जाती है ।

राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाने संबंधी समिति

2517. श्री वरके जार्ज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने मंत्रालय स्तर पर एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या है ; और

(ग) समिति द्वारा कब तक अपने निष्कर्ष दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता

2518. श्री वरके जार्ज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लंका में भारतीय श्रमिकों की दुर्दशा

2519. श्री महेंद्रसिंह गिल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्री लंका में बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक भुख से मर रहे है ;

(ख) क्या नागरिकता के लिए उनके आवेदन पत्रों पर निकट भविष्य में कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा और उनमें से कुछ भारत लौटने की प्रतीक्षा में है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वहां भारतीयों को इस दुर्दशा पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार की सूचना के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के श्रमिकों के भूख से मरने की रिपोर्ट सही नहीं है ।

(ख) जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है 1964 और 1974 के समझौतों पर अमल पूरा होने पर श्री लंका में भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों की नागरिकता का प्रश्न अंतिम रूप से तै हो जायगा । दिसम्बर, 1974 की समाप्ति तक भारतीय मूल के कुल 274,456 व्यक्ति भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किये गए इनमें से कुल 164,926 को जिनमें इनकी संतती भी शामिल है को भारत प्रत्यावर्तित किया जा चुका है ।

(ग) सरकार श्रीलंका प्राधिकारियों के साथ इस बात के लिए बराबर संपर्क बनाए हुए है कि भारत प्रत्यावर्तन की प्रतिक्षा करने वाले भारतीयों को यदि कोई कठिनाई हो तो उसे यथा संभव दूर किया जाय ।

भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के देश के ऊपर से विमानों की उड़ाने पुनः आरंभ करना

2520. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे देश के ऊपर से विमानों की उड़ाने पुनः आरंभ किये जाने के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई प्रगति नहीं है, ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है और इस दिशा में आगे चल रही बातचीत का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) नवम्बर 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिविल विमान के मामलों पर बातचीत हुई थी जिसमें एक दूसरे देश के ऊपर से उड़ान का विषय भी शामिल था। ये वार्ताएं अनन्तिम रही और एक निश्चय किया गया कि दोनों के लिए अनुकूल किसी तिथि को नई दिल्ली में इस सिलसिले में पुनः बातचीत की जाए ।

भारत सरकार दोनों के लिए अनुकूल कोई तिथि निर्धारित करने के बारे में पाकिस्तान सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है ।

बेलाडिला खानों में 'फ्लोट ओर' कार्य

2521. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिला खानों में "फ्लोट ओर" कार्य स्वयं विभाग द्वारा ही किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय खान विकास निगनन द्वारा ठेकेदारों को 'फ्लोट ग्रोर' कार्य के लिए प्रति टन कितनी राशि अदा की जाती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) निर्यात के लिए किए गए वायदों को पूरा करने के लिए कारखाने के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु अस्थायी उपाय के रूप में केवल बेलाडिला की खानों से फ्लोट ग्रोर निकाला जा रहा है । विभाग द्वारा कार्य कराने से ट्रकों तथा अन्य उपस्करों पर काफी पूंजी व्यय करनी पड़ेगी और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी जो कार्य के अस्थायी होने के कारण उचित न होगा ।

(ग) ठेकेदारों को फ्लोट और निकाल ने के लिए काम को देखते हुए एक मीटरी टन सूखे खनिज के लिए 11.90 रुपयें से 19.38 रुपये की दर सें भुगतान किया जाता है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल; भिलाई स्टील, प्लांट भिलाई, तथा बेलाडिला खानों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति

2522. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन में 95 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी स्थानीय लोग हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल, भिलाई स्टील प्लान्ट, भिलाई तथा बेलाडिला खानों में भी, जहां स्थानीय लोगों की प्रतिशतता 40 से 20 के बीच है, यही अनुपात न रखने के कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार की नीति यह है कि स्थानीय व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पर्याप्त हिस्से के बारे में कोई वैध शिकायत नहीं होनी चाहिए और ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में ऐसे पदों पर स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्तियां की जानी चाहियें जिनका वेतन 500/- रुपये से अधिक नहीं है, तो भी सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में स्थानीय लोगों के रोजगार के सम्बन्ध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

बेलाडिला खान संख्या 5 तथा 11 ए-बी-सी

2523. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलाडिला खान संख्या 5 तथा 11 ए-बी-सी कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ख) इन खानों में काम आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) बेलाडिला निक्षेप संख्या 5 पर आधारित एक यंत्रीकृत खान अभी निर्माणाधीन है और इसके वर्ष 1976 से चालू होने की सम्भावना है । निक्षेप संख्या 11 (क), (ख) और (ग) में पहले से ही ठेका प्रणाली के अन्तर्गत मजदूरों द्वारा फ्लोट और निकाला जा रहा है । निक्षेप संख्या 11 (क) से भी मजदूरों द्वारा खनिज निकालनेके लिए नवम्बर, 1974 में ठेका दिया गया था और इस काम के शुरू हो जाने की सम्भावना है । इस समय निक्षेप संख्या 11 (क), (ख) और (ग) में मशीनों द्वारा खनिज निकालने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) बेलाडिला निक्षेप संख्या 5 पर आधारित यंत्रीकृत खान को चालू करने में विलम्ब मुख्यतया सुरंग के निर्माण में खराब समस्तर के कारण उत्पन्न हुई तकनीकी समस्याओं के कारण तथा देशीय निर्माताओं द्वारा संयंत्र और उपकरणों की सप्लाई में देरी के कारण हुआ है ।

बैलाडिला, रामघाट लौह अयस्क क्षेत्रों का सर्वेक्षण

2524. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले के बैलाडिला, रामघाट तथा अन्य लौह-अयस्क क्षत्रों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों तथा जिनका सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है उनका सर्वेक्षण कब किया जाएगा तथा वह सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क), (ख) तथा (ग) जहां बस्तर जिले में महत्त्वपूर्ण लौह-अयस्क भण्डारों का प्राथमिक मूल्यांकन किया जा चुका है वहां समन्वेषण की प्राथमिकता के आधार पर धीरे-धीरे विस्तृत अन्वेषण (भण्डारों की पुष्टि सहित) किए जा रहे हैं। इस समय मानचित्रण तथा भू-छेदन के माध्यम से रामघाट में आगे का खोज कार्य जारी है।

बस्तर जिले में लौह अयस्क के लिए किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप, बेलाडिला में 12688.00 लाख टन, रामघाट में 2369.60 लाख टन आरी-डुंगरी में 170 लाख टन, घनजोडगरी में 323.30 लाख टन, टीनियार में 119.00 लाख टन, कोंडपाल में 609.60 लाख टन भंडारों का पता लगाया गया है।

लेबर ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टरों तथा इन्वेस्टीगेटर ग्रेट-1 के तदर्थ पदों को नियमित बनाना

2525. **श्री बसन्त साठे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेबर ब्यूरो में उन तदर्थ असिस्टेन्ट डायरेक्टरों तथा इन्स्वैटीगेटरों ग्रेड–1 की सख्या कितनी कितनी है जो गत पांच वर्षों से, पांच से सांत वर्षों से तथा इससे अधिक अवधि तदर्थ पदों पर ही काम करते आ रहे हैं ; और

(ख) उनके पदों को नियमित बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रहीं है और लोक सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

मैसर्ज नथानी स्टील कम्पनी, बम्बई के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2526. **श्री बसन्त साठे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मेसर्स नथानी स्टील कम्पनी, विद्याविहार, बम्बई के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा कदाचार के कुछ विशिष्ट आरोपों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क), (ख) और (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में फैरो, बेनेडियम परियोजना

2527. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में एक फैरोवेनेडियम परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य रूपरेखा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) उड़ीसा में लगाया जाने वाला फैरो वैनेडियम का कारखाना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल है । इस कारखाने की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता 480 टन फेरो वैनेडियम तथा 48,000 टन कच्चे लोहे की है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण इस योजना के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं पर विचार कर रही है और उसकी सिफारिशों की प्रतिक्षा है ।

राज्यों में औद्योगिक संबंध आयोग

2528. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह सुझाव दिया है कि राज्य स्तर पर औद्योगिक सम्बन्ध आयोग गठित किये जाने चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक होने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) यह मामला प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के सन्दर्भ में सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) विधेयक को संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे है ।

पश्चिम तट पर काली नदी पर पूल को पूरा किया जाना

2529. **श्री बी० वी० नायक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तट राजपथ काली नदी पर पुल का निर्माण कार्य रुक गया है ;

(ख) क्या उक्त पूल के निर्माण सम्बन्धी कार्य में विलम्ब हुआ है, और यदि हा, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है और यह पुल कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कठिन प्रकार के नीव के कार्य के कारण और कार्य के लिए आवश्यक माइल्ड स्टील प्लेट और स्ट्रक्चुरल की देरी से प्राप्त होने के कारण इस पूल के पूरे होने के विलम्ब हुआ और धन की उपलब्धता पर इसकी मई, 1977 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

पैलेस्टाइन मुक्ति संगठन के साथ प्रोटोकोल

2530. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पैलेस्टाईन मुक्ति संगठन के बीच हाल ही में बेरूत में हस्ताक्षरकृत हुए प्रोटोकोल सम्बन्धी मुख्य प्रावधान क्या हैं ; और

(ख) पैलेस्टाइन मुक्ति संगठन के दिल्ली स्थित मिशन का दर्जा क्या है तथा उसे क्या क्या सुविधाएं दी गयी हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) बेरूत में हाल ही में जिन पत्रों का आदान प्रदान हुआ था उनमें नई दिल्ली में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। उन पत्रों में ऐसी तकनीकी तथा अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान है जो कार्यालय की स्थापना तथा उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक हैं।

हमारे ग्रामीणों के स्वास्थ्य को खतरा

2531. **श्री निम्बालकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि हमारे 20 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण ऐसे हैं जिनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है ;

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार हैं ;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन से किस प्रकार की सहायता की आशा की जा सकती है ; और

(घ) क्या हमारे अपने चिकित्सा व्यवसायी उनकी सहायता करने को तैयार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां। सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि कुल 5,76,000 गांवों में से लगभग 1,20,000 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की कमी है, स्वास्थ्य सम्बन्धी खतर हैं, हैजा या खारापन या लोह तत्वों या फ्लूओरिडो की अधिकता जैसी विशेष समस्याएं हैं।

(ख) देश की पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं की ओर जिनमें पर्याप्त और सुरक्षित जल की कमी और लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को विशेषकर जो देहाती और पिछड़े इलाकों में रहते हैं पूरा करने के लिए मिली जुली स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, भारत सरकार द्वारा अधिकाधिक महत्व दिया जाता है। न्युनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रखे गए मुख्य मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं ;

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना और प्रति 10,000 की आबादी के पीछे एक उप-केन्द्र खोलना।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के लिए भवनों की कमियों और मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों की कमियों को क्रमिक रूप से दूर करना।

(3) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपयों और प्रत्येक उप-केन्द्र के लिए प्रति वर्ष 2,000 रुपय के मुल्य की औषधियों की व्यवस्था करना।

(4) हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर 30 पलंगों वाला अस्पताल बनाना।

(5) लोगों को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करने के लिए बहूद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की योजना को आरम्भ करना।

(6) उन ग्रामीणों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना जो काफी अर्से से पानी की कमी से पीड़ीत है या जो असुरक्षित जल स्रोतों पर आश्रित हैं। निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले गांवों के लिए इस दिशा में प्रयत्न किए जाएंगे :—

(क) जिन गांवों में पीने का पानी उचित दूरी अथवा (1.6 कि० मी०) पर न हो।

(ख) जिन गांवों में पीने के पानी को हैजा और नहरुआ जैसी पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से दूषित होने का खतरा हो ; या

(ग) जिन गांवों में पीने के पानी में खारीपन, लोह तत्व या फ्लूओरिडों की अधिकता हो।

उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां आदिवासी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े जातियों जैसे समाज के कमजोर वर्ग रहते ह।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संठगन पहले से हीं विभिन्न परियोजनाओं को सहायता दे रहा है विशेषकर वे परियोजनाएं जो ग्राम जल पूर्ति और सफाई, संचारी रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने आदि से सम्बन्धित है।

(घ) जी हां।

निषिद्ध क्षेत्रों में पर्यटन का हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति पर प्रभाव

2532. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुनर लाइन से आगे हिमालय पर्वतों में अब तक निषिद्ध क्षेत्रों में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन की अनुमति देकर अपनाये गये रूख से हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ख) क्या पर्यटन हेतु लद्दाक और अन्य क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति संचालित यात्राओं के रूप में दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही सम्बन्धी नीति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमन, इन क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए खोलते समय सैनिक सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है।

(ख) लद्दाक तथा अन्य क्षेत्रों में पर्यटकों को दलों अथवा अकेले जाने की आज्ञा दी जाती है।

(ग) इस रियायत का कारण पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न स्थानों और महत्वपूर्ण तीर्थस्थानों के लिए पर्यटकों और महत्वपूर्ण तीर्थयात्रियों को यात्राओं के लिए प्रोत्साहित करना है।

केरल के कोजीकोड क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेप

2533. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1975 के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कोजीकोड क्षेत्र (केरल) में लोह-अयस्क के निक्षेप प्रतिवर्ष एक लाख टन कच्चा अ वा स्पन्ज लोहा उत्पादित करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में केरल सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा की गई जांच से यह अनुमान लगाया गया है कि केरल के कोजोजोड़ जिले में अयस्क का भण्डार लगभग 590 लाख टन है । जिसमें लोहे की मात्रा 31.5% से 41.2% तक है । इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या इस अयस्क का परिष्करण किया जा सकता है कुछ परीक्षण करने पड़ेंगे ।

(ग) केरल सरकार से अक्तूबर, 1974 में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें केरल में एक इस्पात कारखाना लगाने के लिए सुझाव दिया गया था ।

(घ) पेलेट/स्पन्ज आयरन के उत्पादन के लिए अयस्क की उपयुक्तता तथा अवयस्कता सुविधाओं के बारे में समस्त क्षेत्र का सर्वेक्षण करने तथा आर्थिक शक्यता के साथ साथ वित्तीय साधनों की उपलब्धि को देखते हुए केरल को कोजोकोड़ क्षेत्र में लोह अयस्क के भण्डार का उपयोग करने के लिए इस्पात कारखाना लगाने पर विचार किया जायेगा ।

केरल के पायान्नूर क्षेत्र में चूना-पट्टिका-निक्षेप

2534. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के कन्नानोर जिले में पायान्नूर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चूना पट्टी का निक्षेपों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निक्षेपों का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसा करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) केरल के कन्नानोर जिले के पायान्नूर क्षेत्र में चूना पट्टियों के व्यापक निक्षपों का कोई पता नहीं चला है । चूंकि अब तक पाए गए निक्षेप बहुत कम हैं, इसलिए व्यापक खोज कार्य नहीं किया गया ।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस समय क्षेत्र में चूना पट्टियों के लिए खोज कार्य का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

राज्यों में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना

2535. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में विचार करेगी जैसा कि हाल में आयुर्वेदिक कांग्रेस ने मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारत सरकार का किसी भी राज्य में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने का विचार नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Rehabilitation of Bangladesh Refugees in Indore (M.P.)

2536. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a Daily Newspaper dated the 31st January, 1975 published from Indore (M.P.) highlighting the miserable condition of Bangladesh refugees rehabilitated in Indore city; and

(b) the number of displaced persons from Bnagladesh in various places in Madhya Pradesh at present together with the names of such places?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir. The Collector, Indore is inquiring into the matter and his report is awaited.

(b) The number of migrant families from former East Pakistan at present residing at Ambikapur, Kunjaban, Dharamjaigarh, Raipur, Usrar, Baheliabat, Shahpur, Panna, Aragahi, Gandhisagar, Hoshangabad, Chhindawara, Bhopal and Indore is 5543. This figure is exclusive of migrants in Dandakaranya Project and in Relief Camps in Madhya Pradesh.

Reconstruction of Chambal Bridge

2537. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the further time likely to be taken in the reconstruction of Chambal bridge near Dholpur; and

(b) whether delay in the reconstruction of the said bridge is causing difficulties in the movement of traffic?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi) : (a) The tenders received recently for the work of reconstruction of the damaged portion of the Chambal Bridge are yet under detailed scrutiny by the State Public Works Department, Rajasthan. According to the present indications and information received from the State Government the work is likely to commence, after completion of the formalities presently being processed, in November 1975 and is likely to be completed by the end of 1978.

(b) Appropriate alternative arrangements for facilitating movement of traffic by ferrying across the river at the bridge site have been made.

Iron ore extracted in 1973-74

2538. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the quantity of iron ore extracted in 1973-74;

(b) the quantity thereof consumed in the country and the quantity exported; and

(c) the quantum of production of steel in the year 1973-74 and upto the end of the year 1974?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) and (b) The figures realting to productin, internal consumption and export of iron ore for the year 1973 are given below:

(in lakh tonnes)

1. Production . .	355.62
2. Internal consumption .	123.42
3. Export . .	212.85

The statistics in this regard are maintained on calendar year-basis.

(c) The production of saleable steel by the main producers was 43.53 lakh tonnes during 1973-74, and 35.41 lakh tonnes during April-December, 1974.

केन्द्रीय सड़क निधि का वितरण

2539. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधियों का वितरण विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किन सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) केन्द्रीय सड़क नि मेंधी राज्य सरकारों के अपने हिस्से के रूप में लाभ संबंधित राज्यों में पेट्रोल (कर लगाई गई स्प्रिट) की बिक्री के अनुपात के हिसाब से आंका जाता है। परन्तु केन्द्रीय सड़क निधी से आबंटन कई बातों पर निर्भर करता है अर्थात विभिन्न सरकारों को आवश्यकता स्वीकृत कार्यों की लागत तथा किसी विशेष वर्ष में संसद् द्वारा मदत व्यवस्था की राशि ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृत धन राशि को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1971–72	1972–73	1973–74
			(रुपये लाखों में)	
1	आन्ध्र प्रदेश . . .	23.67	43.74	35.63
2	असम . . .	8.22	4.10	3.46
3	बिहार . . .	23.80	40.04	33.55
4	गुजरात . . .	34.97	44.00	37.38

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1971-72	1972-73	1973-74
5	हरियाणा . .	9.17	20.44	7.48
6	जम्मू तथा काश्मिर .	2.56	1.25	3.95
7	केरल . . .	21.05	40.47	35.93
8	मध्य प्रदेश .	43.27	49.99	29.82
9	महाराष्ट्र . .	103.73	147.01	79.92
10	कर्नाटक (मैसूर) . . .	28.21	22.71	15.43
11	उड़ीसा .	4.65	15.00	22.22
12	पंजाब . .	16.25	15.50	17.17
13	राजस्थान . .	24.70	24.00	9.47
14	तमिल नाडु	44.85	75.22	33.62
15	उत्तर प्रदेश . . .	32.37	39.70	24.51
16	पश्चिम बंगाल . .	47.78	57.68	31.87
17	हिमाचल प्रदेश . .	5.45	4.00	0.65
18	मणिपुर . . .	..	..	1.04
19	त्रिपुरा . . .	0.30	0.15	..
20	चण्डीगढ़ . .		5.00	7.00
	कुल	475.00	650.00	430.00

इसके अतिरिक्त दिल्ली की कुछ सड़कों के विकास के लिए लिए भी केन्द्रीय सड़क निधि से आबन्टन किये जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आबन्टन निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	रुपये लाखों में
1971—72 . . .	25.00
1972—73 . . .	18.09
1973—74	56.60

1973 और 1974 के दौरान निलम्बित औद्योगिक एकक

2540. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री धामणकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक अधिकारियों द्वारा लोहा और इस्पात पदार्थों के दुरूपयोग के आरोपों पर 1973 और 1974 के दौरान, राज्य-वार कितने औद्योगिक एकक निलम्बित किये गये;

(ख) जिन प्रमुख एककों पर लोहा और इस्पात पदार्थों के दुरूपयोग के आरोप लगाये हैं, उनके निदेशकों के नाम तथा अन्य ब्यौरों सहित उन एककों के नाम, पते एवं अन्य ब्यौरे क्या है; और

(ग) प्रत्येक प्रमुख मामले में विशेष अवधि के लिये निलम्बित करने के अतिरिक्त अन्य किस प्रकार की कार्यवाही की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुकदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हरियाणा में कैथल के कलैक्टर द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को बेदखल करना

2541. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भूतपर्व सैनिकों को, जिन्हें रक्षा मंत्रालय की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 22 वर्ष पूर्व जमीन आवंटित की गई थी और जिन्होंने बंजर भूमि को सुधारने के लिए भारी धनराशि व्यय की थी, हरियाणा में कैथल के कलैक्टर द्वारा बलपूर्वक बेदखल किया जा रहा है ;

(ख) क्या कैथल के कलैक्टर ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 अप्रैल, 1974 को भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में दिये गये निर्णय का उल्लघंन करके आदेश जारी किये थे ; और

(ग) यदि हां, तो भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को संरक्षण देने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने हैं तो वे क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) :(क) से (ग) प्रश्नाधीन भूमि भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्रालय की किसी पुनर्वास योजना के अधीन आवंटित नहीं की गई थी। उन्हें आवंटित की गई भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी और 1952 तथा 1953 में 20 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी। इस अवधि की समाप्ति पर राज्य सरकार ने उसका नवीकरण नहीं किया और भूमि का पुनर्ग्रहण करने के लिए कार्रवाई की। इसके विरोध में प्रभावित भूतपूर्व सैनिक सहकारी सोसाइटी उच्चतम न्यायालय में चली गई जिसने आगे आदेश देने से पूर्व कलैक्टर के विचारार्थ कतिपय प्रश्न तैयार किए। तदनुसार, कलैक्टर, कैथल ने इस मामले पर विचार किया और वर्तमान पटटेधारियों की बेदखली और भूमि के मूल स्वामियोंको कब्जा देने की कार्रवाई का निश्चय किया। कलैक्टर के निर्णय के विरुद्ध पट्टेधारियों अम्बाला प्रभाग के आयुक्त के पास अपील की और मामला न्यायाधीन है। यह मामला राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में है।

रोजगार के लिए न्यूनतम आयु

2542. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रोजगार के लिए न्यूनतम आयु के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन समझौते का अनुसमर्थन न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण, जिसमें अनुसमर्थन न करने के विस्तृत कारण दिए गए थे, 19 दिसम्बर 1974 को सदन की मेज़ पर रखा गया था ।

पुनर्वास कार्यक्रम सम्बन्धी समीक्षा समिति

2543. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **पूर्ति और पुर्नवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री अरूण चन्द्र गुहा की अध्यक्षता में नियुक्त पुनर्वास कार्यक्रम सम्बन्धी समीक्षा समिति की सिफारिश पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो शरणार्थियों के लिए औद्योगिक पुनर्वास कार्यक्रम हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) समीक्षा समिति ने 20 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें 4 रिपोर्टें समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित हैं । शेष 16 रिपोर्टों में से, जो पुनर्वास विभाग से सम्बन्धित हैं, 7 रिपोर्टों के बारे में समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था और आवश्यक निधि मंजूर कर दी गई थी । इस बीच, पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल प्रवासियों के पुनर्वास की समस्या को समीक्षा सामने आई थी । राज्य सरकार एवं योजना आयोग से परामर्श से यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि विस्थापित व्यक्तियों को राज्य के सामान्य सामाजिक-आर्थिक ढांचे मे खपा लेना चाहिए और पुनर्वास की शेष समस्या का हल राज्य की पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में किया जाए । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को समिक्षा सनोति की शेष रिपोर्टों की जांच करने का अनुरोध किया गया है । एक रिपोर्ट औद्योगिक संपदाओं की स्थापना के बारे में हैं ।

पश्चिम बंगाल में विस्थापितों के पुनर्वास के लिये बृहत योजना

2544. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार की गई पश्चिम बंगाल में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बृहत योजना पर सरकार ने विचार किया है अथवा इसे स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किये जाने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों की शेष समस्या का किस प्रकार समाधान किया जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा मास्टर प्लान प्रस्तुत किए जाने बाद, मामले पर राज्य सरकार एवं योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया था। यह स्वीकार किया गया कि विस्थापित व्यक्तियों को राज्य के सामान्य सामाजिक-आर्थिक ढांचे में खपा लेना चाहिए और पुनर्वास की शेष समस्या का हल राज्य की पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में किया जाय। ऐसा करने की पद्धतियां विचाराधीन हैं। यह पुनर्वास विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहले ही शामिल की गई योजनाओं के अलावा हैं।

(ग) उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

Arrest of persons gone to Britain on Fake Passports

2545. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state whether some persons, who were sent back from Britain due to their going there on fake passports, have been arrested in Delhi in the last week or January, 1975?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : One person was arrested in Delhi on the 13th January, 1975. He was allegedly holding a forged British passport. According to the police report, he and the travel agent concerned were arrested and let off on bail.

Construction of new Bus Depots

2546. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the amount provided by the Central Government to the Delhi Transport Corporation during the current financial year for improvement of bus services and the items on which this money was spent by the Corporation indicating the amount spent on each item;

(b) whether Government propose to construct new bus Depots; and

(c) if so, the number and locations thereof as also the expenditure proposed to be incurred in each case?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi) : (a) The Central Government have allocated Rs. 792 lakhs for loan assistance to the DTC during the current financial year for purchase of buses, construction of depots etc. Against this allocation, a sum of Rs. 613 lakhs has been released to the Corporation so far. The question of releasing the balance amount of Rs. 179 lakhs is being processed.

The Corporation had a balance of Rs. 156 lakhs in hand at the beginning of the current financial year out of the loan sanctioned in the previous year. Thus, in all, a sum of Rs. 769 lakhs was available to the Corporation, out of which Rs. 682.75 lakhs have been spent till 28th February, 1975, on capital schemes as under :

	Rs. in Lakhs
Buses	581.86
Land & Building	94.02
Purchase of rotary (printing) machine	6.87
TOTAL	682.75

(b) and (c) The construction of the following depots has either been completed or is in progress during the current year—

1. Bawana	Started functioning earlier but construction under completion this year.
2. Shahdara I	
3. Shahdara II	Work started and depots commissioned in 1974-75, though construction work still in progress.
4. B.B.M. II	
5. Dichaon Kalan	
6. Wazirpur	
7. Mayapuri	
8. Khampur	
9. Okhla	Construction work in progress.
10. Hari Nagar II	
11. Hari Nagar III	

Each depot is estimated to cost about Rs. 50.00 lakhs including the cost of land, construction and plant and machinery.

Permission for Gate meetings at Shahjahanpur Ordnance Factory

2547. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 5291 on the 19th December, 1974 regarding Unions working in Shahjahanpur Ordnance Factory and state:

(a) the number of Members of Parliament who have sought permission for holding gate meetings during 1972-73 and 1973-74 and the number of Members of Parliament who were granted permission in his regard;

(b) whether permission to visit factories was sought by some Members of Parliament but they were not allowed; and

(c) whether Govt. propose to issue orders to the ordnance factories to permit Members of Parliament to visit these factories at any time ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Nil.

(b) In accordance with the existing Government instructios, visits of Members of Parliament to Defence installations, establishments, and undertakings are authorised by the Ministry of Defence /Department of Defence Production. There is no instance of Ministry of Defence/Department of Defence Production refusing permission to any Honb'le Member of Parliament for visiting Ordnance Factories.

(c) Government instructions exist on the subject.

केरल में राष्ट्रीय राजपथों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

2548. **श्रीमती भार्गव तनकप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के अन्तर्गत मंजूर की जा चुकी सड़कों में से कितनी अभी तक पूरी नहीं की जा चुकी हैं अथवा निर्माणाधीन हैं ; और

(ख) इनके कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) केरल में दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग 17, इन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 710 कीलोमीटर है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमाग 17 पर 35 कीलोमीटर पर लुप्त कड़ियां हैं। 1 अप्रैल, 1969 (चौथी योजना के प्रारम्भ) से 31 जनवरी, 1975 तक एक गली वाले खण्डों को दो गली वाले खण्डों तक चौड़ा करने, मौजूदा कमजोर खण्डों को सशक्त करने, उपमार्ग के निर्माण, कमजोर/तंग पुलों और पुलियों आदि के पुनर्निर्माण/चौड़ा करने के लिए कुल 18.38 करोड़ रुपये (सड़क कार्यों के लिए 15.25 करोड़ रुपये और पुल कार्यों के लिए 3.13 करोड़ रुपये) के कुल अनुमान मंजूर किए गए हैं।

(ख) वर्ष से वर्ष आधार पर धन की उपलब्धता के अनुसार ही पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के उत्तरार्ध में इन कार्यों पूरे किये जाने की सम्भावना है।

केरल में नये केन्द्रीय सरकारी अस्पताल खोलना

2549. **श्रीमती भार्गव तनकप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों में केरल में कितने अस्पताल खोले हैं ; और

(ख) निकट भविष्य में कितने नये अस्पताल खोले जाने हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों में केरल में कोई अस्पताल नहीं खोला है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सामुदायिक पूजा और सामूहिक प्रार्थना के मामले में दण्डकारण्य कर्मचारी संघ से ज्ञापन

2550. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य कर्मचारी संघ, केन्द्रीय मुख्यालय, (डाकघर और तारघर कोंडागांव जिला बस्तर, मध्य प्रदेश, कैम्प-उमरकोट, उड़ीसा) ने 20 दिसम्बर, 1974 को भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें सामुदायिक पूजा और सामूहिक प्रार्थना के मामले में उमरकोट जोन (कोरापुट) उड़ीसा के जोनल प्रशासक के खिलाफ बहुत से गम्भीर आरोप लगाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन का सारांश क्या है ; और

(ग) इस ज्ञापन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) :(क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में, पूजा और सामूहिक प्रार्थना के लिए परियोजना की भूमि का प्रयोग करने के बारे में राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए निषेधात्मक आदेश एवं बेदखली नोटिस को हटाने तथा दण्डकारण्य परियोजना के उमरकोट जोन के जोनल प्रशासक को हटाने एव उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में, कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था ।

(ग) दण्डकारण्य परियोजना के मुख्य प्रशासक ने बताया है कि मंदिर एवं अन्य सार्वजनिक स्थान जहां पूजा तथा सामूहिक प्रार्थना की जा सकती है, काफी मात्रा में उपलब्ध हैं और यह कि भूमि पर अनधिकृत पंडाल का निर्माण आंदोलन करने हेतु था, अतः इस बारे में किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । अन्य आरोपों के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है ।

सेना फार्मों द्वारा दूध का उत्पादन

2551. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सेना फार्मो द्वारा कुल कितने दूध का उत्पादन किया जा रहा है,

(ख) क्या धन की कमी का सेना फार्मो के उत्पादन पर अत्याधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) देश में सैनिक फार्मों द्वारा उत्पादन किए गये दूध की कुल मात्रा हर वर्ष भिन्न-भिन्न होती है । 1973-74 के दौरान सैनिक फार्मो ने कुल 2,14,22,821, किलो ग्राम दूध का उत्पादन किया ।

(ख) जी नहीं श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग तथा खनिज अन्वेषण नियम के बीच कथित विवाद

2553. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के बीच उनके अपने कार्यों तथा दायित्वों के बारे में कोई विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत में अन्वेषण कार्यों में बाधा पड़ी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में स्थित तेल क्षेत्रों की सुरक्षा

2554. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रक्षा अध्ययन संस्थान के निदेशक के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अरब सागर में बम्बई के निकट गहरे समुद्र में स्थित तेल क्षेत्र तीव्रता से पाकिस्तान की बढ़ती हुई नौसैनिक-शक्ति के निगरानी क्षेत्र के अधीन आते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त तेल-क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) इस बारे में पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने के विचार से सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से तट से दूर तेल रिगज के सुरक्षा और रक्षा पहलुओं से सम्बन्धित विभिन्न बातों जांच की प्रगति पर है।

पुर्तगाली भाषा तथा संस्कृति के लिये उच्च अध्ययन केन्द्र की स्थापना

2555. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तुगाल की नई सरकार ने गोआ में पुर्तगाली भाषा और संस्कृति के लिये उच्च अध्ययन केन्द्र, स्थापित करने हेतु सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पांडिचेरी में फ्रांसीसी भाषा तथा संस्कृति के लिये एक उच्च अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु एक योजना पर फ्रांस सरकार के साथ बात चीत करने का है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1974 को भारत और पुर्तगाल के बीच सम्पन्न संधी के अनुच्छेद 1 के अधीन दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे सांस्कृतिक क्षेत्र में, जिसमें पुर्तगाल भाषा और संस्कृति का संवर्धन भी शामिल है, संपर्क विकसित करने के लिए कदम उठायेंगी। इस सिलसिले में विशिष्ट कार्यक्रम तभी तैयार किये जायेंगे जबकि दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक समझौता हो जाएगा जिस पर आजकल बातचीत चल रही है।

(ग) जी नहीं।

कोलार स्वर्ण-क्षेत्र मैसूर के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक

2556. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लि०, कोलार गोल्ड फोल्ड्स, मैसूर के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक ने इन्दिरा नगर, बंगलौर में 18,000 रु० की लागत से एक भूखण्ड खरीदा है ;

(ख) क्या उन्होंने बंगलौर सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बोर्ड से भूखण्ड खरीदने के लिए भारत सरकार से अथवा निदेशक मंडल से अनुमति प्राप्त की थी ;

(ग) क्या कोलार स्वर्ण-क्षेत्र के विशेष प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने शपथ-पत्र में श्री सुब्रह्मण्यम ने यह कहा है कि वह बोर्ड के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में पिछले पांच वर्ष से स्वतंत्र रूप से सामान्यत: रहते रहे हैं; और

(घ) अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध-निदेशक कोलार स्वर्ण-क्षेत्र, मैसूर में कितनी अवधि से रह रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं-प्रबन्ध निदेशक को इन्दिरा नगर, बंगलौर में नवम्बर, 1973 में बंगलोर सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा 19,000 रुपये मूल्य पर एक भूखण्ड आबंटित किया गया था उन्होंने उपर्युक्त आंबटन के लिए मार्च, 1974 तक 17,880 रुपये की राशि जमा की। अध्यक्ष एवं-प्रबन्ध-निदेशक ने भूखण्ड का स्वामित्व ग्रहण नहीं किया है और बंगलौर सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड से जमा राशि को वापस करने का अनुरोध किया है।

(ख) चूंकि यह आबंटन बंगलौर सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया गया था' अत: सरकार अथवा निदेशक मण्डल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं था।

(ग) अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक द्वारा विशेष प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ-पत्र में कहा गया है कि वह सामान्यत: पिछले पांच वर्षों से ट्रस्ट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में रह रहे थे। अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक ने उपयुक्त बयान इस आधार पर दिया है कि वह एक लम्बे अर्से से प्राय: निरन्तर बंगलौर में रह रहे थे क्योंकि वह श्री नित्तूर श्रीनिवास राव (मैसूर उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त) के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे थे, जिन्होंने 1968 से 2 वर्ष से भी अधिक अवधि तक हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के मामले की जांच की, और उसके बाद वे 1972 तक श्री पी०एस० नारायण की खानों के संबंध में उनके एक सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे थे। अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक के बंगलौर में निरन्तर निवास को अवधि 1971 से कोलार स्वर्ण खनन प्रतिष्ठान बोर्ड के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति और बाद में भारत गोल्ड माइन्स लिमिटड के अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए और बढ़ानी पड़ी थी क्योंकि इससे उन्हें बार-बार बंगलौर का दौरा करना पड़ता था।

(घ) अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध-निदेशक अप्रैल, 1972 से कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कर्नाटक म रहते रहे हैं।

पश्चिम दिल्ली की एक कालोनी में भूमि के एक खण्ड पर हरिजनों का उचित दावा

2557. **श्री हरी सिंह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में दिल्ली के उपराज्यपाल ने नगर निगम मे पश्चिम दिल्ली को एक कालोनी में भूमी के एक खंड पर हरिजनों को उनके उचित दावे से वंचित करने के प्रयास को विफल किया है ;

(ख) क्या उपराज्यपाल ने तिलक नगर में लगभग 50 एकड़ उस भूमि को भी बेचे जाने से रोका है जो केन्द्र ने पश्चिम दिल्ली की एक कालोनी को दी थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस मामले में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने यह बताया है कि 21-1-1975 को उनके ध्यान में यह लाया गया था कि कार्य-सूची के कागज़ों से यह पता लगा कि आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुनर्वास मंत्रालय से नगर निगम द्वारा तिलक नगर के पीछे हरिजन कालोनी के पास खरीदे गए 78.67 एकड़ भूमि के एक खण्ड को नीलाम करने का प्रस्ताव अगले दिन नगर निगम की तदर्थ (पारिश्रमिक परियोजना) समिति की बैठक में रखा जाएगा और यह कि निगम को बेची गई भूमि का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए न कर के किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करने का प्रस्ताव था, निगम को प्रस्ताव पर विचार न करने की सलाह दी गई थी।

(घ) जी, हां। हाल ही में इस विभाग में एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम को साधारण प्रयोजनों के लिए बेची गई भूमि का तात्पर्य उसे मार्किट दर पर नीलाम करना नहीं है। मामले की जांच की जा रही है।

Employment of Indian Electrical Engineers in Middle-East and African Countries

***2558. Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Electrical Engineers (B.E.) sent by Government to Middle-East and African countries for employment during the last three years, year-wise ; and

(b) the number of electrical engineers registered at present with Government for seeking jobs abroad?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Two graduate Electrical Engineers were sent to Mauritius during 1972 and 1973 under the Indian Technical Assistance Programme. No other Electrical Engineers were sent to West Asian or African countries during last three years by Government of India.

(b) The number of Electrical Engineers registered at present with the Department of Personnel is shown below:

(i) Electrical Engineers (Degree holders) . .	635
(ii) Electrical Engineers (Diploma holders)	140
(iii) Electronics Engineers	51
	826

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (12वां संशोधन) स्कीम, 1974 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 268 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 269 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9103/75]

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधिन अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्रालय म राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदि) : मैं सभा पटल पर निम्न लिखित पत्र रखता हूं।

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बम्बई पत्तन न्यासधारी बोर्ड (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) नियम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 27(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बम्बई पत्तन न्यासधारी बोड (न्यासधारियों को फीस तथा भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 28(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कलकत्ता पत्तन न्यासधारी बोर्ड (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) नियम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 30(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कलकत्ता पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारियों को फीस और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 31(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मद्रास पत्तन न्यासधारी बोर्ड (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) नियम 1975 जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 33(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) मद्रास पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारियों को फीस और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत, के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 34(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9104/75]

(2) (एक) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस ई सी ई-6(17)/74 टीपीटी/14-5-75 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 सितम्बर, 1974 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 1 जनवरी, 1973 की अधिसूचना संख्या एफ०-3(28)72/टीपीटी का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(दो) उपर्युक्त-अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9105/75]

नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०नि०आ० 31 जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हूआ था ।

(दो) नौसेना छुट्टी (संशोधन) विनियम, 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०नि०आ० 71 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9106/75]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर (राजस्थान) के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर (राजस्थान) का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9107/75]

कोयला खान, श्रम, आवास तथा सामान्य कल्याण निधि संशोधन नियम और केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद (संशोधन) नियम

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किये गये कोयला खान, श्रम, आवास तथा सामान्य कल्याण निधि (कतिपय पदों के लिए भर्ती) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 88 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9108/75]

(2) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद् (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 200 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9109/75]

नियम 377 के अधिन मामला

MATTER UNDER RULE 377

ग्रिडलेज बैंक के कर्मचारियों द्वारा धरना

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सारे देश में नेशनल एंड ग्रिडलेज बैंक में काम रोको हड़ताल हो रही है और सभी-श्रेणी के कर्मचारी प्रतिदिन तीन घंटे से चार घंटे तक इस हड़ताल में भाग लेते हैं । उनकी कुछ मुख्य मांगें हैं लेकिन ग्रिन्डलेज बैंक के प्रबन्धकों ने कठोर रवैया अपना रखा है । उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं । उनको राष्ट्र विरोधी और श्रम विरोधी गतिविधियों का देश में पता लग चुका है । फिर भी इस बैंक को सरकारने अपने हाथों में नहीं लिया है ।

कर्मचारियों के विरुद्ध प्रबन्धक अत्याचार कर रहे हैं और कर्मचारियों ने अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय किया है, यदि उनकी इन समस्याओं को समुचित रुप से हल नहीं किया गया । अत: श्रम मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप कर बैंक के प्रबन्धकों को द्विपक्षीय या त्रिपक्षिय बातचीत या चर्चा करने के लिए बाध्य करना चाहिये अन्यथा 14 तारीख को होने वाली प्रस्तावित हड़ताल से समूचे देश में बैंककारी कार्य संचालन ठप्प हो जायेगा ।

श्रम मंत्री (श्री० रघुनाथ रेड्डी) : अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन के नेताओं द्वारा यह मामला श्रम मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है । मैंने सम्बन्धित अधिकारी को सलाह दी है कि वे इस मामले को निपटाने के लिए बैंकिंग विभाग से बातचीत करें । मैं यह नहीं कह सकता कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जा सकती है । यदि सदस्यों के पास कोई और जानकारी या सुझाव हैं तो उनसे बातचीत करने हेतु उन्हें आमंत्रित करुंगा कि यह विवाद किस प्रकार हल हो सकता है ।

रेलवे बजट 1975-76 सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET 1975-76 GENERAL DISCUSSION—Contd.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): This is for the first time that Railway fares have not been increased. The Railway Minister deserve congratulations for the same. He has pinned many hopes in the year 1975-76 and I pray for the fulfillment of his hopes.

अध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखें।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चार मिनट परपुन : समवेत हुई

The Lok Sabha re assembled after lunch at four minutes past Fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Bhagwat Jha Azad: The Railway Minister has expressed the hope that bad days of Railways seems to be retreating. It is gratifying to note that service break of the railway employees will the condoned. Suspended trains are also going to be resumed. He has also assured that cooperation of the educated youngmen will be taken for the development of railways. I welcome the new Railways Minister and hope that he will fulfil his assurances.

It is clear from the budget proposals that there is no link between expenditure and earnings. The expenditure and revenue sides do not seem to be interlinked. The Railway Minister should tell us about the practicability of this budget.

In fact management technique and capacity should be improved with a view to make the budget practical. More production, better supervision, administrative guidance and sympathy towards labour is badly needed. Question is as to how these things can be achieved ? All these works have been assigned to the Railway Board but its Members cares very little for the feelings of the House. Railway Board is, in fact, responsible for the bad state of affairs prevailing in the Railways. There is no punctuality in the running of trains. There are two sources of power in the Railway with Railway Minister on the one side and Railway Board with its five Members on the other side. There are 44 or 48 Joint Secretaries also. I am not talking in the air when I say that the Railway Board simply sabotage the decisions taken by the Ministers.

I had demanded that Gauhati Mail should be made a fast train and it con reach 4 to 6 hour earlier because Farraka' bridge has been coupleted. The Railway Board took two years to run the Gauhati Mail. This Mail can run daily. The former Railway Minister gave an assurance that this mail will run for two days more unfortunately this decision of the former Railway Minister has been sabotaged by the Railway Board.

8—13 L.S.S. (ND)/75

[Shri Bhagwat Zha Azad]

The Railway Board has always been flouting the decisions and orders of the Minister. Seventy employees will not less than 15 years service were dis missed in Jaipur Division and when Minister wanted to see the relavant file, he was informed that they have been retrenched and that question of issuing stay orders does not arise.

I suggest that we should do away with the institution of Railway Board which has not delivered any good to the country. Financial condition of the railways can improve only if Railway Board is liquidated.

Railway Board exercises its sweet will in running the railway lines and it is only for this reason that many uneconomic lines are operating. It has nothing to do with the backward areas and interests of the people.

The Railway Board is not capable of controlling the administration andi officers.

There is a Railway protection Force. It is in fact Railway pilfarage Force pil ferage and thefts have increased by ten times after the creation of Railway Protection Force which costs more then Rs. 10 crores'.

The Railway Administration should ensure that thefts on railways are stopped. The Members of the Railway Board should go on the spot and make inquiries. It will have good effect.

Some of the railway employees have been discharged on account of personal prejudices. They are not guilty of intimidating other employees. The Railway Minister should himself take dicisions in this matter and not leave this work to the officers.

The Railways are our biggest public enterprise. We want it to be of maximum benefit to the nation.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक बहुत ही आशावादी चित्र रखा है। परन्तु मैं समझता हूं कि जब तक रेलों के काम में सुधार के लिये ठोस कदम नहीं उठाये जाते तबतक स्थिति में सुधार नहीं होगा और स्थिति और भी खराब हो जायेगी।

व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने भारतीय रेलों के बारे में कहा है कि समुचे रेल संगठन के कार्यकरण में आमूल परिवर्तन करके पुरानी आदतों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाना होगा। यह एक विशेषज्ञ निकाय का मत है।

यदि हम रेलवे के कार्यकरण पर दृष्टिपात करे तो पायेंगे कि आर्थिक दृष्टि से इसके राजस्व में कमी होती जा रही है। 1972-73 में शुद्ध आय 164.43 करोड़ रुपये थी परन्तु 1973-74 में यह कम होकर 55.41 करोड़ रुपये रह गई। 1975-76 में तो स्थिति और भी खराब होने जा रही है।

रेलों की सेवा के आम स्तर में भी गिरावट आयी है। कर्मचारियों में असन्तोष है और गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं। चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके लिये दिए जाने वाले मुआवज़े की राशि प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। 1960-61 में यह राशि 3.93 करोड़ रुपये थी। 1965-66 में यह 5.87 करोड़ रुपये थी परन्तु

1973-74 में यह 13.62 करोड़ रुपये । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं । मेरा आरोप है कि रेलों की चोरी में रेलवे बोर्ड का भी हाथ है ।

रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है । 1960 में 70 यात्रियों की मृत्यु हुई और 778 व्यक्ति घायल हुए, 1972-73 में 126 व्यक्ति मरे और 875 घायल हुए । इस प्रकार जब आप रेलवे की आय और यात्री सुविधा के मामलों पर ध्यान दें तो पायेंगे कि स्थिति खराब होती जा रही है ।

गत वर्ष 1783 गाड़ियां रद्द की गई थी । अब हड़ताल के बाद भी 243 गाड़ियां अभी चालू नहीं की गई हैं । रेलवे बोर्ड कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है जैसे कि बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है । रेलवे डिब्बों और इंजिनों का प्रयोग भी कम किया जा रहा है । रेलों के विद्युतचालित इंजिन में निर्धारित क्षमता से कम क्षमता प्रयोग में लाये जा रहे हैं । मैं रेलवे की कार्यकुशलता में गिरावट के कारण जानना चाहता हूं ।

मेरी यह 15 वर्ष से शिकायत रही है कि रेलवे बजट में बनावटी आंकड़े दिखाकर संसद में बहुत अच्छी स्थिति का चित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है । जैसे वर्ष 1973-74 में 23.86 करोड़ रुपये की फालतू राशि दिखायी गई थी परन्तु वास्तव में 99.75 करोड़ रुपये का घाटा हुआ । क्या यह वास्तविक बजट है ?

अब मैं कुछ बातें अपने राज्य के बारे में रखना चाहता हूं । बांसबानी-जगपुरा लाईन बनाने के लिये 39 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु इस वर्ष की रेल मांगों में केवल 1 लाख रुपये की मांग रखी गई है । मुझे आशंका है कि यह लाईन नहीं बनायी जायेगी । इससे खनिज पदार्थों की ढुलाई में बहुत सहायता मिलेगी । 176 किलोमीटर लाईन के बारे में सर्वेक्षण के बारे में रेल मंत्रालय ने राज्य सरकार को अक्तूबर, 1976 में सूचित किया था कि निर्माण कार्यक्रम के लिये 39 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है । अब यह कहा गया है कि निर्माण कार्य अन्तिम सर्वेक्षण के बाद हाथ में लिया जा सकता है । साथ में रेलवे बोर्ड ने यह शर्त भी लगा दी है कि आधा व्यय राज्य सरकार को उठाना होगा । पश्चिमी-बंगाल में हावड़ा-आमता लाईन के बारे में भी ऐसी ही शर्त थी परन्तु अब वह शर्त हटा दी गई है । बिहार में समस्तीपुर मुजफ्फरपुर लाईन के मामले में ऐसी शर्त नहीं थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के मामले में ऐसी शर्त क्यों लगाई जा रही है ? गत वर्ष राज्य मंत्री महोदय ने मुझे लिखा था कि भुवनेश्वर में रेलवे सर्विस कमीशन का कार्यालय स्थापित किया जायेगा । इस बारे में क्या स्थिति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) मैंने आपको लिखा था और मैं मानता हूं ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : उत्कल एक्सप्रेस द्वारा राजधानी से भुवनेश्वर जाने में 60 घंटे का समय लगता है । मेरा अनुरोध है कि इसका समय कम किया जाये ।

श्री रोबिन ककोटी (डिब्रूगढ़) : मैं रेल मंत्री महोदय को इस लाभ के बजट के लिये बधाई देता हूं । हमें इस पर बहुत सन्तोष है । हमें प्रसन्नता है कि अनेक वर्षों के बाद यात्री किराये में वृद्धि नहीं की गई है । खाद्यान्नों के भाड़े पर प्रस्तावित वृद्धि वापस ले ली जानी चाहिये ।

[श्री रोबिन ककोंटो[

मैं उत्तर-पूर्व क्षेत्र की जनता और विशेषतः आसाम सरकार की लम्बे अर्से से न्यू बोनगाईं-गांव से गौहाटी तक बड़ी मांग के पूरा किये जाने के लिये प्रधान मंत्री तथा रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं। हम आशा करते है कि इस लाईन को डिब्रूगढ़ तक बढाया जायेगा।

इस वर्ष के बजट में पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं की गई है । इस पर ध्यान दिया जाये और अधिक धन की व्यवस्था कर के सभी परियोजनाएं पूरी की जाये।

देश के समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र रेल सेवाएं बहुत कम है । परन्तु सामरिक दृष्टी से इस क्षेत्र का बहुत महत्व है। मेघालय और मणिपुर राज्यो में और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्रों में तो अभी तक कोई रेलवे लाईन नहीं है। आसाम के उत्तरी भाग के लोगो की रेल सुविधा सम्बन्धी सभी मांगे पूरी की जानी चाहिये। पूर्वी क्षेत्र की जिन लाइनों से लाभ नहीं हो रहा है, उन्हें बन्द नहीं किया जाना चाहिये। ये लाइनें अंग्रेजों ने चाय, कोयला, तेल तथा इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिये बनाया था। यहां पर अब होने वाली हानि का कारण अच्छा प्रबन्ध न होना है।

डिब्रूगढ़ में रेलवे वर्कशाप और रेलवे अस्पताल बनाने की बहुत मांग है। इसे पूरा किया जाये। पूर्वी क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियो की गति बहुत कम है। वहां पर मेल गाड़ियां भी बहुत धीमी गति से चलती है। इस पर ध्यान दिया जाये। डिब्बों के आबंटन में भी सुधार किया जाये ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार माल भाड़े से 899.80 करोड़ रुपये की और यात्री किराये से 405:85 करोड़ रुपये की आय होगी। रेल मंत्री के अनुसार आय में कमी गत मई मास में रेल कर्मचारियों की हड़ताल है। उनके अनुमान के अनुसार आगामी वर्ष में स्थिति में सुधार होगा। रेलवे बजट में दो बातें बहुत सराहनीय हैं। पहली यह कि गत वर्ष की हड़ताल के बाद प्रबन्धकों ने स्थिति में सुधार के लिये विशेष प्रयास किये है। इसके रेलवे बोर्ड की बहुत जिम्मेदारी है। इसे देश के हित को ध्यान में रखकर निर्णय करने होते है। व्यापारी वर्ग को अनाज की ढुलाई के भाड़े में रियायत देने पर निर्णय करते समय सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार कच्चे लोहे और मैंगनीज के भाडे में वृद्धि से हमारे निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हम आशा करते है कि नये रेल मंत्री के पद ग्रहण के बाद यात्री जनता की कठिनाइयां कम होंगी । और रेल सुविधा में सुधार होगा । रेलों में भीड़ कम होगी ।

परादीप पत्तन से कटक तक की लाईन का पूरा लाभ तब होगा जब बांसपानी-जाखापुरा लाईन बन जायेगी । यह खानों वाला क्षेत्र है । नई लाइनों के लिये आधे व्यय को राज्य सरकार द्वारा पूरा करने की शर्त को लागू नहीं किया जाना चाहिये । भुवनेश्वर में एक रेलवे के उप महाप्रबन्धक का कार्यालय खोला जाना चाहिये । ताकि उस क्षेत्र में तालमेल का कार्य किया जा सके ।

रेलवे के उन कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाये जिन्होंने हड़ताल में गड़बड़ नहीं की थी ।

Shri M. C. Daga (Pali) : Sir, the investment in Railways has risen two fold the number of employees has also increased, but the overall loss has also increased to 301 crores of rupees today. The percentage of traffic both passenger and goods has come down and it now stands at 60.5 percent as against 89.8 in 1951.

None of the targets of Fourth Plan has been achieved. As against the target of 1,022 miles of new lines, your achievements in 790 miles only. Similarly, the targets for electrification was 1,200 miles whereas the achievement was 932 miles only.

I would request the hon. Railway Minister to abolish the different classes in trains as you will notice that most of the passengers who travel by first and A. C. classes are pass holders, mostly Railway employees only resulting in annual expenditure of 59 crores of rupees of the Railways. If you want socialism to come, let the classes be abolished.

The safety and security conditions in Railways have also deteriorated. In reply to a question, I was nformed by Government that in the first seven months of 1974 there were as many as 3524 thefts, 112 dacoities, 216 cases of looting and 45 murders in trains. I want to know why expenditure is going up when conditions are worsening?

On the one hand every Railway Minister has introduced a train from Delhi to his home state, but on the other no action has been taken to convert Delhi-Ahmedabad line into broad gauge, which we have been demanding since 1971. So much so the train from Jodhpur to Marwar Jn. via Pali, which was discontinued has not been introduced so far.

The Deputy Minister in the Ministy of Railways (Shri Buta Singh): This train will be re-introduced.

Shri M.C. Daga : Thank you. I would request the hon. Minister to examine the case cited by me in a question also regarding charging of licence fee from a Seth who is maintaining a Pias and serving the public and thus saving the Railways an expenditure of 500 rupees per month. I would also request him to consider these points and do the needful.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : पहले मैं ही रेलवे बजट पर चर्चा आरंभ किया करता था । खेद है कि श्री त्रिपाठी ने उस मंत्रालय का भार संभाला है जो काफी समय से अपने कर्मचारियों की शिकायतों के प्रति उदासीन रहा है । इस चर्चा में भाग लेने का एक कारण यह है कि रेल प्रशासन द्वारा अपने निष्ठावान स्टाफ के साथ भी वचनभंग किया गया है और मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । रेल हड़ताल को मैंने देशवासियों की कठिनाइयों में वृद्धि करने वाली बताया था और इसलिए मैंने आंग्ल-भारतीय रेल कर्मचारियों को इसमें भाग न लेने को कहा था जिन्होने भारी खतरो के बावजूद इसका पालन किया परन्तु निष्ठावान सभी कर्मचारियो को दिए गए सभी वचनो को पूरा नहीं किया गया है--यही मेरी शिकायत है, कुछ अधिकारियों ने भेदभाव से कार्यवाही की है और साम्प्रदायिकता का परिचय देते हुए आंग्लभाषीय कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है । यदि इसी प्रकार वचन भंग किए गए और प्रशासन ने कर्मचारियों का विश्वास खो दिया तो आगामी किसी हड़ताल में किसी से भी उन्हें रोकने की अपेक्षा कैसी की जा सकती है ? खेद है कि भूतपूर्व रेल मंत्री को मैंने कितने ही पत्र लिखे परन्तु मुझे एक का भी उत्तर नहीं मिला । एक मामले में एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के पांच वर्ष बाद भी उपदान का भुगतान नहीं किया गया और तंग आकर वह देश छोड़कर ही चला गया ।

[श्री फ्रैन्क अँन्थानी]

मैं सबसे पुराने रेलवे संघ का अध्यक्ष रहा हूं और मैं समझता हूं कि प्रशासन रेल कर्मचारियों और इसबार हड़ताली कर्मचारियों के प्रति काफी उदार रहा है। मैं यह नहीं चाहता कि दण्डित किए गए कर्मचारियों को सेवा में वापस न लिया जाये। परन्तु जिन कर्मचारियों को हड़ताल में प्रशासन का साथ देने के कारण हिंसा का शिकार होना पड़ा है उनका तो ख्याल रखा जाये। एक रेल कर्मचारी का घर जला दिया गया परन्तु उसके द्वारा अनेक बार निवेदन किए जाने पर भी उसे सरकारी क्वार्टर नहीं दया गया।

मैं चाहता हूं कि मेरे पूर्ववक्ता का रेलों में श्रेणियां समाप्त करने का सुझाव न माना जाये। रेल यातायात घटने का कारण कोयले की असंतोषजनक सप्लाई और माल यातायात के असंभव लक्ष्य निर्धारित करना है, जो लक्ष्य 15 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकते उन्हें निर्धारित करने का ही क्या अर्थ है?

अनुसूचित जातियों के लिए मैं स्वयं चाहता हूं कि पदों का संरक्षण हो परन्तु इस मामले में काफ़ी असंतोष है, क्योंकि संरक्षण भर्ती से चल कर पदोन्नति तक पहुंच गया है। इससे क्षोभ इतना बढ़ गया है कि कई कर्मचारी त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ गए हैं।

आज रेलवे में काफ़ी अदक्षता है और इसका कारण ऐसी ही नीतियां हैं जिनमें योग्यता, कुशलता और चरित्र जैसे गुणों पर विचार न कर के किसी समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर पदोन्नति की जाती है।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : रेल बजट का स्वागत करते हुए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें यात्रियों पर कोई बोझ नहीं डाला गया और माल भाड़े में भी नाममात्र ही वृद्धि की गई है।

रेल प्रशासन मंत्रालय और रेलवे बोर्ड दोनों के हाथ में होना ठीक नहीं है। 1886 में पास किए गए ट्राम वे एक्ट और आज 1975 में काफ़ी अन्तर है अतः हमें भी परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिये। क्योंकि रेलवे बोर्ड की आलोचना काफ़ी हद तक उचित ही है, अतः इसे समाप्त कर के कोई नई व्यवस्था की जानी चाहिये।

रेलगाड़ियों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिये और राजधानी एक्सप्रेस की तरह यदि गाड़ियां समय से कुछ पहले पहुंच जाएं तो उन्हें स्टेशन से बाहर ही व्यर्थ नहीं रोके रखना चाहिये। यदि 70, 80 या 90 प्रतिशत तक भी समय की पाबन्दी सुनिश्चित की जा सके तो भी यह काफ़ी संतोषजनक बात होगी।

अब माल यातायात के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि रेलो में चोरियाँ, विलम्ब और माल के नष्ट हो जाने के कारण इसमें कमी हुई और इस लिए लोग सड़क से अपना माल भेजना ही बेहतर समझते हैं।

रेल डिब्बो की छतें गरमियों में बहुत तपती हैं, अतः प्रस्ताव था कि फाइबर-ग्लास की छतें बनाई जाएंगी, परन्तु पेरम्बूर में जा कर पूछा गया तो हमें बताया गया कि केवल 2° या 3° सेंटीग्रेड का ही अन्तर पड़ेगा। फिर नई छतो का भी कोई लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि रेलवे में तकनीकी ज्ञान आधुनिक नहीं है क्योंकि रेलवे वर्कशापों में अब भी इन्टर पास लोगों को भर्ती किया जाता है जबकि इंजीनियर बेकार घूम रहे हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में रेल-लाइनें बिछाना ही काफी नहीं है। उनके विकास के लिए मंत्री महोदय को वहां किसी उद्योग लगने पर उसके उत्पादों की अन्य देशो में ढुलाई भी सुनिश्चित करनी चाहिये।

मुझे अनेक बातें कहनी थी परन्तु समयाभाव में यह संभव नहीं है। तथापि मैं यह अवसर दिए जाने के लिए आपका आभारी हूं।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): Sir, we are some what disappointed at the Railway Budget and we cannot expect many new lines and more passenger amenities because its source of revenue has dried up. With 90 percent of its revenue going towards establishment and fuel, we can hardly expect new lines etc.

In the 172 crore rupee development Plan for 1975-76, a mere 17 crore has been allotted for new lines and since the Railways spend 15 lakh rupees for one metre long new track, you can see how many new lines could be constructed.

Madhya Pradesh is a State which is surrounded by Six States and trains have to pass through one or more places of M.P. on such important routes like Delhi-Bombay, Delhi-Madras, Bombay-Calcutta. But I do not consider these stations as catering to the needs of the people of the State, because elsewhere there is hardly any development as regards Railway routes. Bastar district of my State is a very vast area more than Kerala in size and population, but it has no railway line.

I congratulate the hon. Minister for reinstating those railway employees who took part in the Strike except those who were involved in violence and sabotage and for extending certain concessions to loyal employees (*Interruptions*).

Maksi-Guna rail-line should be completed expeditiously.

Former Railway Minister said that a separate Division will be created for Bhopal but the same has not so far been done. Over bridge at Rajnandgaon has also not been constructed so far. All those demands should be fulfilled.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Support the budget proposals of the Railway Ministry. Freight charges have been increased. The budget speech of the Minister has undoubtedly raised the moral of the railway employees.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए।
SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

Railway Ministry has not done justice to the cause of the railway employees. Even genuine grievances of the employees are not attended to. Sons of the loco workers have not so far been provided with the employment.

Rs. 50 crores have been saved in the name of economy by retrenching the services of the poor harijens etc.

We find that the work on the railways is not being done in a planned way. It is true that working of the railways should be commercially justified but how can the railways wash their hands off the social burdens.

The rail mileage has not increased in proportion to the expenditure incurred on the railays. It has been rightly said that if instead of laying double lines or constructing new buildings for stations, new lines had been provided in the backward areas, it would have benefited all including the railways.

[Shri Chandrika Prasad]

Goods traffic is stated to have declined because there is less production but it is clear from the figures that there is more production both in the agricultural and industrial sectors. Therefore, method of working of the railways needs to be improved. Then only the capacity to handle more traffic could be created.

We are passing through economic crisis and that is why the Government is unable to give us new lines in the backward areas. These crisis are due to the unplanned way in which we are working.

Champaran is one of the backward area of Bihar its importance is known to all. Shri L.N. Mishra got a broad-guage line laid for the development of that area and it was during the inauguration of that line that Shri Mishra last his life. It will be in the fitness of things if a statue of Shri Mishra is installed before the Rail Bhavan.

Assurances given by late Shri Mishra should be fulfilled. He inaugurated the construction of Nangal Talwara line in Himachal Pradesh in December and promised to complete it in four years. That work should be finished in time.

Train from New Delhi to New Baugai-Gaon passed through backward areas and it has given a great relief to the people there. This train should run daily and not twice a week as at present.

Jayanti Janta should be made to stop at Buxar also. It should run via Banaras twice a week.

37 up and 38 down train in estern U.P. always run late. It should be made to run on time and it should be extended upto Gauhati. The 1 up and 2 down mail from Gauhati to Lucknow should run via Chapra and Ballia, connecting Bhafni.

A survey for the conversion of metre gauge line from Banaras to Chapra and from Shahganj to Chapra into broad gauge line should be ordered. A broad gauge line should be provided from Buxar to Ballia also.

The Government should do its best to implement the various assurances.

Hindi is being neglected by the Railway Department proper recognition should be given to the "Rail Patrika". It should have a separate board of editors. At the divisional level, public relations officers should be Hindi knowing people.

*श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : रेलवे तथा वित्त-मंत्रालय--राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। दुर्भाग्यवश इन दोनों मंत्रालयों के कार्य प्रभारी मंत्री बार बार बदले जाते रहे हैं। जब तक एक मंत्री को पांच वर्ष तक उच्च पद पर नहीं रहने दिया जाता। वह समस्याओं को नहीं समझ पाएगा और न ही उसके समाधान के लिये कुछ ठोस कार्यवाही कर पायेगा।

भारतीय रेलवे की समस्याओं के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा अपनाए गए निरंकुश दृष्टिकोण का उल्लेख भी किया गया है। रेल मंत्रियों की बार बार तबदीली के कारण रेलवे बोर्ड का सर्वोच्च बनाना तथा अधिकाधिक शक्तियां प्राप्त करना स्वाभाविक ही है। रेलवे की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने का भी यही मुख्य कारण है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speeches delivered in Tamil.

यह बात प्रसन्नता की है कि रेल मंत्री ने न तो यात्रियों के किरायों में और न ही भाड़े की दर में कुछ वृद्धि की है। मैं आशा करता हूं कि नए रेल मंत्री रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधारने तथा यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने के बारे में भी कुछ उपयोगी कार्य करने में समर्थ होंगे।

कोयले की कमी के कारण 1783 गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं जबकि ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश में पर्याप्त कोयला है और हम उस कोयले का निर्यात पड़ोसी देशों को भी कर सक्ते हैं। फिर रेलवे इस स्थिति में क्यों नहीं कि वह रद्द गाड़ियों को पुनः चालू कर सके। अतः जो गाडियों रद्द की गई हैं, उन्हें पुनः चालू किया जाए।

आश्चर्य की बात हैं कि यद्यपि रेलवे सुरक्षा बल पर अधिक से अधिक धन व्यय किया जा रहा है, रेलवे में होने वाली चोरियों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। 1968-69 में 35 लाख रुपये के मूल्य की चीजों की चोरी हुई और 1973-74 में यह चोरी बढ़कर 2.5 करोड़ रुपये के मूल्य की हो गई। सदस्यों ने विशिष्ट रूप से बढ़ती हुई चोरियों के लिए रेलवे सुरक्षा बल की सहापराधिता का उल्लेख किया है। इस प्रश्न की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की जाए और समिति रेलवे में से इस बुराई को दूर करने के लिए ठोस उपाय भी सुझाये।

भूतपूर्व रेल मंत्री श्री हनुमन्तैया ने कहा है कि दक्षिणी राज्यों में रेल विकास के लिए उनके द्वारा आबंटित की गई 16.5 करोड़ रुपये की राशि का श्री एल० एन० मिश्र ने बिहार में रेल विकास हेतु उपयोग किया। नए रेल मंत्री को इस आरोप की जांच करनी चाहिए। सलेम-बंगलौर गाड़ी पिछले कुछ महीनों से नहीं चल रही है, इसे पुनः चालू किया जाए। करूर-डुंडगिल लाईन और सलेम-तिरूचिरापल्ली लाईनों पर कार्य जल्द से जल्द शुरु किया जाए।

Shri Genda Singh (Padrauna): I am speaking about the demands of the people of Champaran. In 1912, a British railway company constructed Chhitauni Bagha bridge there, which was dismantled after Chaura Chauri episode. This bridge was closely linked with an event in the history of our independence struggle. The construction of this bridge started in 1973 and it was proposed to be completed in 4 years at a cost of Rs. 10 crores. Only a few lakh rupees have been spent during the last 16 months of the construction work. At least a sum of Rs. 4 crores should be provided this year for this bridge. Efforts should be made to complete the construction of this bridge within the stipulated period. It is hoped that this work will receive special attention of the new Railway Minister. In Bombay catering on railways should be entrusted to the cooperatives.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : रेल कर्मचारियों के रोक व्यवधान समक्ष करने के लिये मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। यह निर्णय देर से लिया गया फिर भी यह एक उचित निर्णय है।

यात्रियों को वे सेवायें नही मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिये। श्री हनुमन्तैया के रेल मंत्रालय छोड़ने के बाद गाड़ियों का समय पर आना-जाना समाप्त हो गया हैं। आशा है कि मंत्री महोदय आश्वासनों के अनुसार यात्रियों की अधिक सेवा प्रदान करेंगे और इसके कार्यकरण में सुधार होगा।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा]

23 करोड़ रुपये की बचत दिखायी गयी है लेकिन अब तक के अनुभव से पता लगता है कि उन्होंने जो बचत की बात कही है, उसका आधार ठोस नहीं है।

यात्रियों की संख्या 1973-74 से घट रही है। 1973-74 में 1500 लाख लोगों ने रेल से यात्रा की जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कम है। यात्रियों की संख्या में यह गिरावट बिना कोई लाभ पहुंचाये किराया बढ़ने के कारण हुई।

बजट के अनुसार 70 करोड़ रुपये की आय यात्रियों से होगी जबकि यात्रियों की संख्या ऊंचे किराये और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण घटेगी।

मंत्री महोदय ने यह अनुमान भी लगाया है कि भाड़े में 200 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यह मुख्य रुप से 180 लाख टन के राजस्व की वृद्धि पर आधारित है। लगता है कि औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने पर भी अधिक माल की ढुलाई रेल के बजाय सड़क द्वारा होगी।

कार्य संचालन व्यय भी बढ़ गया है। कहा गया है कि इसमें 270 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी परन्तु इसमें महंगाई भत्ते की किस्तों के लिए उपबंध नहीं रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप संचालन व्यय में और वृद्धि होगी।

1965-66 से लगातार 1971-72 और 1972-73 को छोड़कर घाटे की अर्थ व्यवस्था रही है। 17 वर्ष तक लगातार घाटा होने के कारण 93 करोड़ रुपय का सुरक्षित धन ही समाप्त नहीं हो गया है; रेलवे पर 300 करोड़ रुपये का ऋण भी हो गया है।

अपने रख-रखाव के संसाधनों का उपयोग करने में रेलवे असफल रही है। रेलवे एक व्यापारिक संस्थान है और उसे अपने रख-रखाव के लिए सामान्य राजस्व से रुपया न लेकर पूरी तरह से आत्म निर्भर होना चाहिए तथा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये। इस प्रकार कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। लगातार होने वाले घाटे से पता चलता है कि इसका मुख्य कारण हड़ताल या अनुशासन हीनता नही है वरन् इसका कारण है कुप्रबन्ध और अपूर्णता।

रेलवे का उपयोग करने वाले माल भेजने में रेलवे के बजाय सड़क से माल भेजना अधिक पसंद करते हैं। यह रेलवे में होने वाली चोरी के कारण है। चोरी आदि से प्रतिवर्ष 20 करोड़ की हानि होती है। यह एक बड़ी राशि है। मंत्री महोदय इस पहलू पर ध्यान दें।

इंजिनों की संख्या में वृद्धि हो गई है। वैगनों के उपयोग से पता चलता है कि 1973-74 में 1965-66 की अपेक्षा वैगन 10 लाख टन कोयले की ढुलाई में काम में लाए गए। इसी कारण कार्य व्यय बढ़ रहा है। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि रेलवे को अब उतने ही माल की ढुलाई में अधिक ईंजन और वैगन काम में क्यों लाने पड़ते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रेलवे प्रशासन में कुछ मूल कमियां हैं। इस और ध्यान दिया जाना चाहिये।

कहा गया है कि रेलवे भावनसर-तारापुर बड़ी लाईन का निर्माण कार्य हाथ में लिया जाये। यही एक अकेली बड़ी लाइन है जिससे भारत के पश्चिम भाग का बड़ा भाग शेष भारत से जुड़ जाएगा। राज्य सरकार ने इस लाइन पर होने वाले घाटे को पूरा करने और मुफ्त भूमि देने का आश्वासन दिया है। रेल मंत्री इसके निर्माण पर विचार करें।

रेल मंत्री ने बताया कि यह वर्ष प्रगति और स्थिरीकरण का वर्ष होगा। किन्तु ये आंकड़े मैंने उनके समक्ष रखे हैं उनसे अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिये और वैगनों और लोकोमोटिव की स्थिति में सुधार करना चाहिये।

यह सुझाव दिया गया है कि रेलवे भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन का निर्माण कार्य हाथ में ले। यही एक ऐसी लाइन है जो भारत के पश्चिमी भाग के अन्तिम छोर को शेष भारत के साथ जोड़ सकती है। राज्य सरकार ने रेलवे को होने वाले घाटे को पूरा करने और इस लाइन के निर्माण के लिये मुफ्त भूमि देने का आश्वासन दिया है। रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस लाइन का निर्माण करने के सम्बन्ध में विचार करें।

Shri Nawal Kishore Sinha (Mujaffarnagar) : Mr. Chairman, Sir Railways will take a very long time in making up the loss caused by the strike. Inspite of strike, the estimated loading of goods amount to 192 million tonnes this year, which is 7 million tonnes more than that of the previous year. The railways deserve our congratulations on this achievement. It is hoped that the railways will be able to fulfill its target of 210 million tonnes in the next year.

The work of conversion of Barabanki Samastipur line had been taken in hand in 1971. Efforts should be made to complete this work within the stipulated time.

The responsibility of providing rail facilities in the backward are as should not be that of the railways alone. The funds therefor should be provided from the general revenues.

Nangal Talwera railway line is very important for the people of Himachal Pradesh. Its work should also be taken in hand.

The railways should spare no efforts on its part to improve its image. This is possible only when more facilitiy are provided to the passengers.

Railways constructed two bridges in the course of conversion of the Muzaffarpur, Sonepur section of Berabanki Samastipur line as a result of which several villages were submerged in water and the people of that area were put to great difficulty. Railways have filed suit against many persons. These suits should be withdrawn as such actions tarnish the image of the railways.

In Muzaffarpur Arther Butler Company has been manufacturing wagons for quite a long time. On account of infighting among its owners, it stopped functioning. Government took it over and worked it. But its work again came to a stop. Railways want wagons at the prices prevailing in 1971. How is it possible? I hope the Ministry of Railways would make certain arrangements to start the functioning of the said company.

Shri Ran Bahadur Singh (Sidhi): The loading of coal has been started for the last one year at the new Katni Bhorwa line. This line passes through a forest area where means of transport are not available. Certain passenger bogies should also be attached to this train. This will provide much relief to the people of that area.

There is a small village named Gondwali on this line. This line passes through this village. The entire land of the village is on the other side of this line. As there is no level-crossing there the people of the village has to face a good deal of difficulty in crossing the line. A level crossing should be provided there for the convenience of the people there.

Facilities for the booking of goods should be provided in Barigma. This will be a great help to the people of that area.

[Shri Ran Bahadur Singh]

Rail facilities are not available in Rewa area. Shri Hanumantaiyya had assured to have a railway line constructed in Rewa. The survey of this line has been conducted and the findings of this survey should be made public.

[**श्री वसन्त साठे** पीठासीन हुए
SHRI VASANTH SATHE *in the Chair.*]

सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING CONTEMPT OF HOUSE

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि आज मध्याह्न पश्चात् लगभग 12.02 बजे तीन दर्शकों ने, जिनके नाम हैं पेमा वांगयाल पुत्र श्री कर्मा, तसेरिंग शोफल पुत्र श्री चकधोनदुप और बेन एन० सी० ग्यारसो पुत्र स्वर्गीय श्री वांगताल, दर्शक दीर्घा से नारे लगाये, पेम्फलेटों की कुछ साईक्लोस्टाइल्ड प्रतियां फैंकी जो दर्शक दीर्घा में गिरी और वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों ने जब उन्हें पकड़ा तो उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को धक्के और मुक्के मारे । उन्हें तुरन्त दर्शक-दीर्घा से हटाया गया और वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया । यह एक गम्भीर मामला है । मैं इसे सभा की सूचना में यथोचित कार्यवाही करने के लिये ला रहा हूं । प्रतीत होता है कि वे तिब्बती शरणार्थी हैं ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आप को पेमा वाग्याल सुपुत्र श्री कर्मा, सरिंग चोफेल सुपुत्र श्री चोकधोन्दुप और वेन एन० सी० ग्यात्सो सुपुत्र स्वर्गीय श्री वांग्याल कहने वाले व्यक्तियों ने जिन्होंने दर्शक दीर्घा से नारे लगाये, वहां से सभा में कुछ पर्चे फेंकने का प्रयास किया और दर्शक दीर्घा में ड्यूटी पर तैनात वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों पर हमला किया और जिन्हें वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के द्रोषी हैं ।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि कानून के अंतर्गत उनके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त पेमा वांग्याल, सरिंग चोफेल और वेन एन० सी० गयात्सो को सभा के इस प्रकार अवमान करने के लिये बुधवार, 19 मार्च, 1975 के मध्याह्न-पश्चात् 6 बजे तक की कड़ी कैद की सजा दी जाये और उन्हें केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेज दिया जाये ।"

Shri Kushok Bakula (Ladakh): They were students. I know them very well. They study at Varanasi. They are not bad persons. They have not done it deliberately. They may be pardoned.

श्री के० रघुरामैया : श्री बाकुला जानते हैं कि इस प्रकार के अवमान को क्षमा नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं और इन्हें रोका जाना चाहिय । हमने किसी बडे दण्ड का प्रस्ताव नहीं किया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री कुशोक बाकुला, जिन्होंने इन तीन युवकों को पास दिलाये और जो कहते हैं कि वे उन्हें जानते हैं और ये अच्छे लड़के हैं, के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये। इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे : ये लड़के लोक सभा के अन्दर कूदने तथा कुछ इश्तहार फेंकने का प्रयास कर रहे थे। हम नहीं जानते कि उनका क्या तात्पर्य था। इन्होंने एक गम्भीर अपराध किया है। यह सभा का अवमान है। मंत्री महोदय के प्रस्ताव को बिना संशोधन के स्वीकार किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : हमने श्री एस० एम० बनर्जी के सुझाव को सुन लिया है। इसका निर्णय सभा ने करना है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं एक संशोधन पेश करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इन तीन नौजवान लड़कों को दण्ड देने के बजाय जिसका सुझाव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया है उन्हें अपने आप में सुधार करने, और संसदीय लोकतंत्र में आस्था रखने का अवसर दिया जाये और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाये।"

सभापति महोदय : मैं सबसे पहले श्री एस० एम० बनर्जी के संशोधन को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन पेश किया गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आप को पेमा वांग्याल सुपुत्र श्री कर्मा, सरिंग चोफेल सुपुत्र श्री चोकधोन्दुप और वेन एन० सी० ग्यात्सो सुपुत्र स्वर्गीय श्री वांग्याल कहने वाले व्यक्तियों ने, जिन्होंने दर्शक दीर्घा से नारे लगाये, वहां से सभा में कुछ पर्चे फेंकने का प्रयास किया और दर्शक दीर्घा में ड्यूटी पर तैनात वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों पर हमला किया और जिन्हें वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोषी हैं।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त पेमा वांग्याल, सरिंग चोफेल और वेन एन० सी० ग्यात्सो को सभा के इस प्रकार अवमान करने के लिये बुधवार, 19 मार्च, 1975 के मध्याह्न-पश्चात् 6 बजे तक की कड़ी कैद की सजा दी जाये और उन्हें केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेज दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

रेल बजट 1975-76—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET, 1975-76—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री शंकरराव सावंत (कोलाबा) : सभापति महोदय, मैं संतोष और निराशा की मिली जुली भावनाओं के साथ रेल बजट का समर्थन करता हूं।

रेल बजट में अच्छी बात यह है कि इसमें यात्री किराये को नहीं बढ़ाया गया और कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान को समाप्त करने की बात कही गयी है। इस लिहाज से यह बजट अच्छा है। दक्षिण में रेलों के सम्बन्ध में पूर्ववत् उपेक्षा बरती गयी है। भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री के० हनुमंतैया ने कहा है कि दिवंगत श्री ललित नारायण मिश्र ने दक्षिण के संकट के लिये निर्धारित धन में से 6.5 करोड़ रुपया बिहार को भेज दिया। यदि ऐसा ही है तो यह एक गम्भीर आरोप है और इसकी जांच की जानी चाहिये। रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड पर उत्तर भारत के लोगों का प्रभुत्व है। दक्षिण में बहुत कम परियोजनाएं चालू की गयी हैं। 13 में से केवल नाडीकुडे—बी० बी० नगर (आन्ध्र प्रदेश) परियोजना दक्षिण में है और शेष उत्तर में है। इनमें से बहुत सी परियोजनाएं ऐसे क्षेत्रों में है जो निश्चित रूप से पिछड़े नहीं हैं। एक नंगल-बलवाडा परियोजना एक मात्र परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में है परन्तु इसे पिछड़े क्षेत्र की परियोजनाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। कोंकण रेलवे की हमारी परियोजना पिछड़े क्षेत्र में है परन्तु उसे भी उस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

दक्षिण की मुख्य परियोजना पश्चिमी घाट रेलवे परियोजना है। इस रेलवे लाईन के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से बड़े बड़े आश्वासन दिये गये हैं परन्तु इसके सम्बन्ध में कार्यवाही बहुत ही धीमी गति से हुई है।

7 जनवरी, 1973 को प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि कोंकण रेलवे लाइन का काम सूखा राहत कार्य के तौर पर लिया जायेगा। मिट्टी डालने का कार्य राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। रेलवे प्रशासन ने कुछ काम नहीं किया।

5 अप्रैल, 1973 को आपटा और दासगांव सेक्शन को शीघ्र समाप्त किये जाने वाला कार्य घोषित किया गया था। इसकी लागत केवल 13.92 या 14 करोड़ रुपया थी। परन्तु अभी तक कोई शुरूआत नहीं की गयी है। इसे पिछड़े क्षेत्र की सूची में भी शामिल नहीं किया गया है। अन्तिम सर्वेक्षण किया जा चुका है परन्तु इस वर्ष उसके लिये धन का उपबध नहीं किया गया है। यह वादा किया गया था कि बड़े कार्य शुरू किये जायेंगे। क्या सरकार का वादा पूरा करने का यही तरीका है?

भूतपूर्व रेल मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि आपटा से मंगलौर तक की पूरी पश्चिमी घाट की लाइन 8 वर्ष में पूरी हो जायेगी। परन्तु 1975-76 में भी इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। रेलवे प्रशासन का बंधा बंधाया उत्तर है कि पैसा नहीं है। परन्तु सार्वजनिक उपयोगिता और व्यय को ध्यान रखे बिना वे भव्य योजनाओं पर अन्धाधुन्ध रुपया खर्च कर रहे हैं। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास जैसे नगरों में भूमिगत रेलवे की योजनाओं को स्थगित क्यों नहीं किया जाता? वातानुकूलित डिब्बे क्यों चलाये जाते हैं जो रेलवे को हानि पहुंचाते हैं? यदि कम से कम इन डिब्बों को ही पहले या दूसरे दर्जों में बदल दिये जायें तो सरकार को काफ़ी बचत हो और लोगों को अधिक जगह मिल जाये।

पता नहीं पश्चिमी घाट की आपटा-मंगलौर लाइन का निर्माण कार्य क्यों कर नहीं लिया जाता ? यदि पूरी लाइन को अभी शुरू नहीं किया जा सकता तो कम से कम आपटा-दासगांव सेक्शन को शुरू किया जाये जिसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और कुछ भाग पर मिट्टी भी पड़ चुकी है ।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): People are happy to note that railway fares have not been increased in this year's railway budget but it is our experience that Government will make up for it in the next year's budget. Perhaps such a step has been taken in view of the ensuing elections. However, I oppose the increase in freight on foodgrains. It will raise the prices of foodgrains by 2 or 3 paise per kilo. Though this rise appears to be very little, yet it is a very heavy burden on the poor. Therefore, the increase in freight on foodgrains should be withdrawn.

When the Ministry of Railways is there to manage the affairs of railways' what is the necessity of Railway Board. It is white elephant reared on public money. It should be abolished as no signs of improvement in its working are visible. The Railway Ministry should set up a machinery which can manage railways efficiently and economically and with a clean administration. Government should try to win the confidence of their employees. Government should consider them compassionately and reinstate those employees.

The Railways are neglecting undeveloped and backward areas. From the view point of the balanced development in the country, they should extend their net work in those regions where railways have not reached so far. A survey of such backward areas should be undertaken and railway lines should be laid down in those regions on the basis of priority.

The number of railway passengers is declining because they are not getting even the basic amenities and they travel in second class in inhuman conditions. That is why the short distance passengers prefer to travel by road and the passenger earnings are on the decline. If the situation is not improved, the railways may incur further loss. The Raiway Ministry should pay their attention to this aspect.

It is unfortunate that no new line is proposed to be laid in the backward regions of Marathwada, Konkan and Vidarbha in Maharashtra this year. It is not known why the work started at Vanichanakha has been stopped. No provision has been made in the budget for the development of Vidharbha region. A survey committee should be set up to make a survey of these backward areas and suggest the places where new lines can be laid.

***श्री आर० एन० बर्मन** (बलूरघाट) : सभापति महोदय, रेलवे बजट पर बोलते समय मुझे भूतपूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र की याद आती है । किसी भी मंत्री की हत्या कभी नहीं हुई । अतः मैं उन्हें अपनी श्रद्धान्जली अर्पित करता हूं ।

मैं काफी अरसे से मालदह से बलरघाट बारास्ता गजील के लिए एक बड़ी रेल लाइन बनाने की मांग कर रहा हूं । पहले यह निर्णय किया गया था कि यह लाइन बारास्ता गजोल बिछाई जायेगी । लेकिन बाद में यह निर्णय बदल दिया गया और कहा गया कि यह लाइन गजोल, बुनियादपुर, गंगारामपुर और रामपुर होकर जायेगी । इसकी तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि यह रेल लाइन अलाभप्रद है फिर भी क्षेत्र के अत्यधिक पिछड़ेपन को देखते हुए इसे पंचवर्षीय योजना में लिया जायेगा । यह कहा गया है कि यह कार्य

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English Translation of the Speech delivered in Bengali.

[श्री आर० एन० बर्मन]

तभी किया जायेगा जब पर्याप्त धन उपलब्ध होगा । यह क्षेत्र केवल आर्थिक रूप से ही पिछड़ा हुआ नहीं है, अपितु, इसके अधिकांश निवासी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ।

आगामी पंचवर्षीय योजना में सभी नई रेलवे लाइनो को पिछड़े क्षेत्रों में बिछाया जाना चाहिये और उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जहां कि अधिकांशतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते है ।

मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि रेल मंत्रालय का पिछड़े क्षेत्रों के प्रति कितना उपेक्षापूर्ण तथा निराशाजनक रवैया है । पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक पुराना रेलवे स्टेशन डलमिगांव है । इस क्षेत्र के लोगों के लिए केवल यही एकमात्र स्टेशन है । यह कहा जा रहा है कि इस स्टेशन को झंडी स्टेशन बनाया जा रहा है । यह एक बहुत अजीब बात है कि पूर्णतः स्थापित स्टेशन को झंडी स्टेशन में बदला जा रहा है । एक ओर हम नई रेल लाइन बिछाने में असमर्थ हैं दूसरी ओर हम वर्तमान स्टेशनों का दर्जा घटा रहे ह । यह बहुत बुरा है ।

कालीगंज स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) में गुडस साइडिंग ऐसी जगह स्थित है, जिससे लोगों को बड़ी असुविधा होती है । स्थानीय लोगों ने अभ्यावेदन भेजा है । मैंने भी 13-8-73 को मंत्री जी को लिखा है । परन्तु न कोई उत्तर ही मिला और न कोई कार्यवाही की गई । मैं इस स्टेशन पर एक उपरि पुल के बनाये जाने की मांग कर रहा हूं । राधिकापूर से बरसोई तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

कलकत्ता ट्यूब रेलवे के बारे में यह कहा गया है कि 240 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी जा रही है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र किया जा रहा है । इस लाईन के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन करना होगा । 1970 में भूमि अर्जन के लिए 4 करोड़ रुपये का अनुमान था । अब यह मूल्य 10 करोड़ रुपये हो गया है । भूमि अर्जन की लागत राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी । परन्तु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि इस का भार वहन कर सके । अतः केन्द्रीय सरकार को आधिकांश व्यय का भारवहन करना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एक दर से दिया जाता है, जबकि बैंका और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एक विभिन्न तथा ऊंची दर के आधार पर दिया जाता है । इस असमानता को समाप्त किया जाना चाहिये ।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : Railways are the biggest undertaking of our country and its budget is being discussed here. It is regrettable that Punjab has not been given any additional railway line. The state has all along been neglected in this matter. This attitude is not fair. A demand has been made in various committees and forums for a long time that Chandigarh should be connected with Ludhiana via rupar. Rupar can be linked with Rahon. There is already a line from Rahon to Nawashahar, Garhshankar, Saila and if that line was connected with this one at Hoshiarpur, and then if it is extended to Pong Dam and Jammu, it will be a very beneficial line. These lines can be faurther extended upto the border; these will be of great a tegic importance to us.

We have a union called Scheduled Castes Uplift Union. We have received complaints about reversion or removal from service of some employees belonging to Scheduled castes; we sent letters to the authorities but we did not get satisfactory replies. Now that Shri Buta Singh, who was the Chairman of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Tribes, is the Deputy Minister in the Railways. He should see that all the recommendations are implemented in the railway department. At least their quota in the services should be filled up.

The de-luxe should stop at Phagwara, which is an important industrial town. The Kashmir Mail coming from Jammu should also stop there. There is urgent need for improving the waiting room at that station. There should be separate waiting rooms for men and women.

A request for an over bridge at Phagwara has also been made several times. This is very necessary. All the concerned agencies are prepared to share the expenditure The Fly Mail should stop at Phillaur also. The change in the timings of the Nawashahar-Jullundur train is causing inconvenience to the people. This should revived.

*श्री नूरुल हुडा (कछार) : मई, 1974 के दौरान हड़ताल में भाग लेने के लिए लगभग 10 हजार रेल कर्मचारियों को दंडित किया गया परन्तु इस बीच मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड ने इस दण्ड को समाप्त करने सम्बन्धी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 325 स्थायी तथा 1200 अस्थायी और नैमित्तिक कर्मचारियो को नौकरी से निकाला गया और उन्हें बहाल नहीं किया गया। यह सब रेल मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के आश्वासन के बावजूद है कि हिंसा और तोड़फोड़ के अपराधो को छोड़कर बाकी सबको वापस नौकरी में लिया जायेगा। अत: मैं इन निकाले गये कर्मचारियों, अपने दल तथा सभी मजदूर संघों की ओर से मांग करता हूं कि इन सभी कर्मचारियों को अविलम्ब तथा बिन शर्त वापस नौकरी में लिया जायें। जिनके विरुद्ध हिंसा और तोड़-फोड़ के मामले हैं उन्हें अदालत को भेजा जाये और यदि अदालत उन्हें कोई सजा दें तो रेलवे अधिकारी इस बात पर विचार करें कि क्या उन्हें नौकरी में रखा जाये अथवा नहीं।

न्यू बोंगाई गांव से गोहाटी के बीच बड़ी लाइन बिछाने की योजना के बारे में अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। रेल मंत्री को इस बारे में अन्तिम निर्णय लेना चाहिये तथा इस वर्ष काम शुरू करवाने की व्यवस्था करनी चाहिये। कछार और सिबसागर पिछड़े क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रो में शाखा लाइनों पर रेलों का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के महाप्रबन्धक इन क्षेत्रो का दौरा करना उचित नहीं समझा और यह देखने का प्रयत्न नहीं कि वहां की स्थिति कितनी खराब है। 1975 में जबकि जापान की गाड़ियां 100/120 मील प्रति घन्टा की रफतार चल रही हैं, वहां आसाम की शाखा लाइनों में गाड़ियों की स्पीड 10/12 मील प्रति घन्टा से अधिक नहीं है। क्या यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति नहीं है? लेकिन किसके पास इतना समय है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की ओर ध्यान दे। सिल्चर और करीमगंज के बीच 33 मील की दूरी है और गाड़ी यह दूरी तय करने के लिये 3 घंटे लेती है। यही स्थिति आसाम में अन्य ब्रांच लाइनों की भी है।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

***Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.**

[श्री नूरुल हुडा]

अब मैं बदरपुर लाम्बडिंग सेक्शन तक फैले पर्वतीय क्षेत्र पर वर्षाकाल के दौरान मई से अक्तूबर तक अतिवृष्टि और भूस्खलन के परिणामस्वरूप रेल लाइन को काफी क्षति होती है और इसका रख-रखाव ठीक से न होने से भी यहां रेल सेवा काफी समय तक स्थगित रहती है। यहां रेल सेवा मुख्य संचार व्यवस्था होने के कारण रेल सेवा ठप होने से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बन्द हो जाती है जिससे लोगो को काफी समय तक अभाव का सामना करना पड़ता है।

बदरपुर-लाम्बडिंग क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस रेल पटरी की विशेष और समुचित रूप से देख-रेख की जानी चाहिये। इस लाइन पर रेल सेवा बढ़ाने के लिये उपाय किये जाने चाहियें। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये जिससे यहां पर्याप्त सुधार करने और रेल सेवा में बाधा नहीं पड़े।

आसाम के कछार, लाम्बडिंग, गौहाटी, न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशनों पर द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालयों को उचित और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्टेशनों पर जलपान गृहों में घटिया किस्म के खाने मिलते हैं। मंत्री महोदय और उनके मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ताकि आसाम के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): First of all I would like to congratulate Mr. Kamalapati Tripati for his efficient performance and for presenting balanced budget. The way he has started has created a good atmosphere.

It was unfortunate that sometimes some people talked of north and South or East or West. This did not give a good impression. After all, the country was one and if one part is benefitted, the whole country is benefitted. So let us not think in terms of regions or States. Some times priorities have to be readjusted considering the overall needs of the Country.

The opposition wanted that wages of the workers should be increased, that there should be no increase in fares and taxes and that there should be more amenities and facilities given to the people. One would like to know how this could be done. The Government on its part was trying to do things in a coordinated mannere.

A complaint was made by an hon. Member that his letters are not replied to. My experience is that when a Member of Parliament writes a letter prompt action staken in the matter.

The opposition always put forward the demand for giving higher salaries and bonus to the employees. But had they ever thought that the railway users, the common people were also entitled for more benefits and facilities? They must get the benefit of the huge investment on the railways. When the people have invested on the railways as much as Rs. 3,000 crores, the railways should first pay Rs. 300 crores to the general revenues and then provide all the facilities to the common man, the travelling people. The remaining amount could be distributed among the employees.

It was unfortunate that the railway staff do not work as hard as they should. Their productivity and efficiency has not increased in proportion to the increase in their wages. Steps should be taken to check overstaffing in the railways.

The movement of goods should be stepped up. There should be no delay in transporting goods and articles from production centres to consumer centres, unfortunately railway employees didnot pay much attention to that. They only wanted more and more wages. They must show more efficiency.

Shri Bishwanath Roy (Deoria): I congratulate the new Railway Minister for not presenting a deficit budget as has been happening for the last many years. A long time ago, an assurance had been given by Shri Lal Bahadur Shastri that a survey would be undertaken for constructing a line from Deoria to Khadda via Kasia. This was a small line but being on the border, it had a great importance. Unfortunately no such survey has been undertaken so far.

For a long time there has been a redemand for reconstructing the Gandak bridge. Although assurances had been given, the pace of work on the project is very very slow. Special funds should be made available for this, so that we could have a bridge on the line from Gorakhpur to the eastern region, near the northern border. This will be of great help to us in times of emergency also.

The work on converting Barabanki-Samstipur line into broad gauge, it would be very helpful. this will not necessitate any line from Allahabad.

There was the Barhaj-Bhatni line which is not an economic line. If it is extended upto Deoria, Gorakhpur, Khadda Chittauni, it will be a very useful line and there will be no losses on that.

The announcement regarding a new train from Delhi to Kashi is welcome. This train should start from Delhi in the morning and then procced to Kashi via Lucknow.

The Minister should have surveys for new lines with a view to provide lines where there was definite and urgent need for these lines. The densely populated areas must be surveyed by the railways and they should be given priority over other areas.

Metre gauge trains coming from stations in Bihar to Lucknow are generaly late. This causes a lot of inconvenience to the travelling public. This should be looked into.

The railway administration should ensure that waiting rooms are made available to the passengers for their use and comfort. Today we find that the department is using them for some other purposes on some stations such as Kanpur, Lucknow and Gorakhpur. In the end, I will request that the assurances given by the former Railway Minister be implemented as soon as possible.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। वे लोक हित में महत्वपूर्ण हैं। पूर्व रेलवे की सियालदाह डिवीजन में बनगांव सेक्शन में इकहरी रेलवे लाइन है वहां से बंगला देश को भी रेलगाड़ियां जाती हैं। सियालदाह से डमडम जंक्शन तक दोहरी रेलवे लाइन है लेकिन डमडम जंक्शन से बनगांव तक इकहरी लाइन है। इससे गाडियों के समय में विलम्ब होता है। सियालदाह से बनगांव तक 40 मील की दूरी को पार करने में 2 से 2 1/2 घंटा लगता है। यदि डमडम जंक्शन से सियालदाह तक जिसका अन्तर केवल 10 मील है, दोहरी रेलवे लाइन हो जाये तो सेवा अच्छी हो जायेगी। दूसरे रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ बहुत होती है। पिछले सात वर्षों में मैं रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड से कहता आ रहा हूं कि वहां दोहरी लाइन बिछायी जाये।

सियालदाह से बनगांव तक और गाड़ियां चलाई जानी चाहिय। हसनाबाद से आने वाले यात्रियों को बारासाट उतरना पड़ता है और वहां से फिर दूसरी गाड़ी पकड़ कर सियालदाह जाते हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने मांग की है कि हसनाबाद से रेल सेवा सियालदाह तक बढ़ाई जानी चाहिये। इस मांग को पूरा किया जाये।

[डा० रानेन सेन]

यह कहा जाता है कि तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि बनगांव रेल लाइन घाटे में चल रही है। यह लाइन इस कारण अलाभकर है क्योंकि वहां रेलगाड़ियां बहुत कम हैं और जो हैं उनमें इतनी अधिक भीड़ होती है कि यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने का अवसर मिल जाता है। यदि यह लाइन दोहरी कर दी जाये और यहां अधिक गाड़ियां चलाई जायें तथा कठोर नियंत्रण हो तो बिना टिकट यात्रा कम हो सकती है और यह गाड़ी लाभप्रद हो सकती है।

देश के विभाजन से पूर्व और फिर कुछ समय बाद तक रेलगाड़ियां सियालदाह से बंगला देश में खुलना या ढ़ाका तक चला करती थीं। सम्भवत: अब पुन: उनके चलने की सम्भावना है। इस बात को देख कर रेलवे बोर्ड को डमडम-बनगांव लाइन को दोहरी कर देना चाहिये।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : Mr. Chairman, Sir, I pay my tributes to the late Shri L. N. Mishra for his services to the country. His death is a great tragedy. I shall request the Railway Minister to depute some high official of his department to find out whether there is any delay or default in the arrangements for the immediate treatment of Shri Mishra. There are some doubts about it. In memory of the late L.N. Mishra, the Rail Bhawan should be named 'Shahid Lalit Narain Mishra Bhawan'. A marble statue of Mishraji should also be installed in front of the Rail Bhawan.

There was a bridge at Bagaha-Chitauni Ghat which had given way long ago. This needs to be reconstructed at the earliest to serve this important area in the north. It should be named after Lalit Babu.

There is a private steamer service from Pahleja ghat to Mahendra Ghat. Can't we start a steamer service run by the Government which have a number of seamers with them.

A bridge should be consrtucted at Patna on the river Ganga. Apart from other advantages, this is very necessary to connect Northern Bihar with Southern Bihar.

The train service from Narkatia Gunj to Pahleja Ghat has been stopped. This should be restarted. Similarly Darbhanga-Pahleja Ghat train service should also be started. A train should be started from Samstipur to Narkatia Gunj via Darbhanga and Sitamarhi. This is necessary for the security of our borders also Railway lines should be constructed between Nirmalia and Bhapatia and between Sonbarra and Muzaffarpur via Sitamarhi. Late Shri Lalit Babu had given an assurance in this regard. I therefore request you to get this line started as early as possible.

Jayanti Janta express should be started from Muzaffarpur instead of Samastipur. Late Shri Mishra has contributed such towards the development of Himachal pradesh. In his times work had started on Nangal Talwara rail line. I request you to continue this work.

सभापति महोदय : दो बातें हैं। क्या सभा की बैठक 7 बजे के बाद तक चलनी चाहिये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : यदि मौलाना इसहाक संभली 7 बजे के बाद मेरे स्थान पर आ जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi) : The Railway Minister deserves to be congratulated for presenting a very good budget this year. Railways is the biggest undertaking in the Country and it is hoped that the new Minister should take all step to ensure that this undertaking work with efficiency. The Railway employees should be made to feel as active partners in the functioning of railways.

There are a numer of employees unions at present. An effort should be made to see that instead of all these unions we had a single union.

Late running of trains is an old malady. This should be looked into. A tareget date should be fixed for bringing about strict punctuality in train services.

The announcement regarding condonation of break in service of the employees who had taken part in the strike was welcome. At some place officials were, however reluctant to take back some employees on one pretext or the other. For examples in Jhansi some persons were arrested even before the strike had began, although they had not taken part in activities of violence or sabotage. They have not been taken back so far. This should be looked into. Orders should be passed to take them at the earliest.

The Taj Express should be extended upto Jansi so that the tourists could also pay a visit to Khajuraho. At present there is no suitable train for foreign tourist for Khajuraho. This proposal do not entail much expenditure. This will also not disturb the present time schedule of the train.

सभापति महोदय : अब सात बज चुके हैं। आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। हम कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित होते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 7 मार्च, 1975/ 16 फाल्गुन, 1896 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 7th March, 1975/16th Phalguna, 1896 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि 1—13 लोक सभा/75—23-7-75—200